

बिबकॉल

तैंतीस वार्षिक रिपोर्ट 2021-2022



पोलियो उन्मूलन

भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय: Vill. चोल, जिला बुलंदशहर (यूपी) - 203203

टेलीफैक्स: -05732- 238757

ईमेल - Complianceofficer_bibcol@yahoo.in , www.bibcol.com



कॉर्पोरेट जानकारी

निदेशक मंडल

डॉ. वाईके गुप्ता, अध्यक्ष

श्री। चंद्र प्रकाश गोयल, प्रबंध निदेशक (16.09.2021 तक)

डॉ. संजय कुमार मिश्रा, प्रबंध निदेशक (17.09.2021 से)

डॉ. अलका शर्मा डॉ. मो. असलम श्री। रोशन लाल (28.10.2021 तक)	डॉ. सुधांशु व्रती डॉ. मधु दीक्षितो श्री। पंकज कुमार (01.02.2022 से)
--	---

कंपनी सचिव

श्री। संदीप कुमार लाल

सांविधिक लेखापरीक्षक
मेसर्स रसूल सिंघल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
गाजियाबाद - 201001

लागत लेखा परीक्षक
मेसर्स सनी छाबड़ा एंड कंपनी
लागत लेखाकार
क्रॉसिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद -
201016

सचिवीय लेखा परीक्षक
मेसर्स अग्रवाल मनीष कुमार एंड
कंपनी
कंपनी सचिव
बी-10 और 11, चाणक्य कॉम्प्लेक्स
लक्ष्मी नगर, दिल्ली- 110092

आंतरिक लेखाकार
AKSB एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
नोएडा, 201304

बकर
केनरा बैंक
9 सामुदायिक केंद्र
गुलमोहर एन्क्लेव नई दिल्ली - 110049

रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट

मेसर्स मास सर्विसेज लिमिटेड
प्लॉट नंबर टी-34, दूसरी मंजिल
ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज II, नई दिल्ली - 110020
फोन नंबर। 011 - 2638 7281 82, 83
फैक्स नहीं। 011 - 26387384,
वेबसाइट www.masserv.com



विषयसूची

क्रमांक नहीं।	विवरण	पृष्ठ सं।
1	सदस्यों को सूचना	4-6
2	निदेशक की रिपोर्ट	7-9
3	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	10
4	कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट	11-14
5	सचिवीय अनुपालन और लेखा परीक्षा रिपोर्ट	15-16
6	निदेशकों की रिपोर्ट में परिशिष्ट	17-20
7	सांविधिक लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	21-35
8	बैलेंस शीट	36
9	लाभ और हानि का विवरण	37
10	नकदी प्रवाह विवरण	38
1 1	वित्तीय विवरण के लिए नोट्स	39-64
12	सी एंड एजी रिपोर्ट	65
13	वार्षिक रिटर्न का उद्घरण	66-69
14	उपस्थिति पर्वी	70
15	छद्म प्रारूप	71



वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीआईबीसीओएल) के सदस्यों की 33वीं वार्षिक आम बैठक निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी:

दिनांक 30/09/2022(शुक्रवार)

समय 11.30 पूर्वाह्न

स्थान: भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओपीवी प्लांट, ग्राम - चोला, बुलंदशहर। (यूपी)

निम्नलिखित साधारण व्यवसायों के लेन-देन के लिए:

- 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण प्राप्त करने, विचार करने और अपनाने के लिए, जिसमें 31 मार्च, 2022 को लेखा परीक्षित बैलेंस शीट और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और बोर्ड की रिपोर्ट शामिल है। उस पर निदेशक और लेखा परीक्षक।
- लेखा परीक्षकों को नियुक्त करना और उनका पारिश्रमिक तय करना और इस संबंध में, विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना।

साधारण संकल्प:

"संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C&AG) द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक या उसमें कोई परिवर्तन, जैसा भी मामला हो। , और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अधीन, निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पर, कंपनी की लेखापरीक्षा करने के लिए, नियुक्ति को एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है और किया जाता है।"

बैठक की सूचना के लिए नोट:

- बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य स्वयं के बजाय मतदान करने के लिए और मतदान में भाग लेने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है। प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। प्रॉक्सी का एक खाली फॉर्म इसके साथ संलग्न है और, यदि इसका उपयोग करने का इरादा है, तो इसे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में एजीएम के शुरू होने के निर्धारित समय से कम से कम अड़तालीस घंटे पहले पूरा किया जाना चाहिए।
- एक व्यक्ति पचास से अधिक सदस्यों की ओर से प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है और कुल मिलाकर वोटिंग अधिकार रखने वाली कंपनी की कुल शेयर पूंजी का 10% से अधिक नहीं हो सकता है। हालांकि, वोटिंग अधिकार रखने वाले कंपनी की कुल शेयर पूंजी का 10% से अधिक रखने वाला सदस्य एक व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकता है और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा।
- बैठक में मतदान करने का हकदार प्रत्येक सदस्य, या उसमें पेश किए जाने वाले किसी प्रस्ताव पर, बैठक शुरू होने के लिए निर्धारित समय से 24 घंटे पहले और बैठक के समापन के साथ समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, परदे के पीछे का निरीक्षण करने का हकदार होगा। कंपनी के कामकाज के घंटों के दौरान किसी भी समय दर्ज की गई, बशर्ते कि कंपनी को निरीक्षण करने के इरादे से कम से कम तीन दिन का लिखित नोटिस दिया गया हो।
- कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) को बैठक में भाग लेने और उनकी ओर से मतदान करने के लिए अधिकृत करने वाले बोर्ड के संकल्प की विधिवत प्रमाणित प्रति भेजें।
- सदस्यों/प्रॉक्सी को बैठक में भाग लेने के लिए उपस्थिति पर्ची भरनी चाहिए और बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति के साथ अपनी उपस्थिति पर्ची लानी चाहिए।
- बैठक में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के मामले में, केवल वही संयुक्त धारक जो नामों के क्रम में ऊपर हैं, वोट देने के हकदार होंगे।
- इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी नंबर लिखें और भौतिक रूप में शेयर रखने वालों से अनुरोध है कि बैठक में सदस्यता की पहचान की सुविधा के लिए बैठक में भाग लेने के लिए उपस्थिति पर्ची में अपना फोलियो नंबर लिखें।
- कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स बंद रहेगा 23/09/2022 से 30/09/2022 दोनों दिन समावेशी।
- नोटिस में संदर्भित सभी दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में वार्षिक आम बैठक की तारीख तक और बैठक में किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच निरीक्षण के लिए खुले हैं।
- परिपत्रों के अनुपालन में वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के साथ एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जानी है, जिनका ई-मेल पता डिपॉजिटरी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) यानी एम/ एस मास सर्विसेज लिमिटेड/कंपनी।



जिन सदस्यों ने अभी तक अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) (इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग के मामले में) या आरटीए के साथ फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम स्कैन के साथ आवश्यक विवरण प्रदान करके इसे पंजीकृत करें। इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी से वार्षिक रिपोर्ट, नोटिस आदि सहित सभी संचार प्राप्त करने के लिए शेयर प्रमाण पत्र, स्वप्रमाणित पैन, आधार की प्रति।

11. यह सराहना की जाएगी कि कंपनी के खातों और संचालन पर प्रश्न, यदि कोई हो, रजि. को भेजे जाते हैं। कंपनी का कार्यालय बैठक से दस दिन पहले ताकि सूचना आसानी से उपलब्ध हो सके।
12. कपटपूर्ण लेनदेन को रोकने के लिए, सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे उचित सावधानी बरतें और किसी भी सदस्य के पते में बदलाव या किसी भी सदस्य की मृत्यु के बारे में कंपनी को जल्द से जल्द सूचित करें। सदस्यों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खाते (खातों) को लंबे समय तक निष्क्रिय न छोड़ें। होल्डिंग्स का आवधिक विवरण संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से प्राप्त किया जाना चाहिए और होल्डिंग्स को सत्यापित किया जाना चाहिए।
13. सेबी (लिस्टिंग ऑब्जिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिकायरमेंट्स) रेगुलेशन, 2015 के रेगुलेशन 40 के अनुसार, लिस्टेड कंपनियों की सिक्योरिटीज को केवल 1 अप्रैल, 2019 से डीमैट रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है, सिवाय ट्रांसमिशन या ट्रांसपोजिशन के अनुरोध के मामले में। प्रतिभूतियों का। तदनुसार, भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त करने और पोर्टफोलियो प्रबंधन में आसानी के लिए, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी होल्डिंग्स को डीमैट रूप में परिवर्तित करने पर विचार करें। सदस्य इस संबंध में सहायता के लिए आरटीए/कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।
14. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य निर्धारित प्रपत्र एसएच-13 में नामांकन दाखिल कर सकते हैं और कंपनी के आरटीए के साथ निर्धारित प्रपत्र एसएच-14 में नामांकन को रद्द/बदलाव कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक/डीमैट रूप में धारित शेयरों के संबंध में नामांकन फॉर्म संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास दाखिल किया जा सकता है।
15. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, सेबी एलओडीआर के नियम 44 और परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से 33वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और व्यापार को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से लेन-देन किया जा सकता है:

इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने वाले शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं: -

मतदान की अवधि 27.09.2022 को सुबह 9.00 बजे शुरू होती है और 29.09.2022 को शाम 5.00 बजे समाप्त होती है।) 23.09.2022 को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

- I. एनएसडीएल से ई-मेल प्राप्त करने वाले सदस्यों के मामले में (उन सदस्यों के लिए जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं):
 - a. ई-मेल खोलें और पीडीएफ फाइल खोलें जैसे "भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिमोट ई-वोटिंग.पीडीएफ" अपने क्लाइंट आईडी या पासवर्ड के रूप में फोलियो नंबर के साथ। उक्त फाइल में रिमोट ई-वोटिंग के लिए आपका यूजर आईडी और पासवर्ड है। कृपया ध्यान दें कि पासवर्ड एक प्रारंभिक पासवर्ड है।
 - b. निम्न URL टाइप करके इंटरनेट ब्राउज़र लॉन्च करें: <https://www.evoting.nsdl.com/>
 - c. शेयरधारक-लॉगिन पर क्लिक करें।
 - d. उपरोक्त चरण (ए) में उल्लिखित प्रारंभिक पासवर्ड के रूप में यूजर आईडी और पासवर्ड डालें। लॉगिन पर क्लिक करें।
 - e. पासवर्ड परिवर्तन मेनू प्रकट होता है। पासवर्ड को अपनी पसंद के नए पासवर्ड के साथ कम से कम 8 अंकों/वर्णों या उसके संयोजन के साथ बदलें। नया पासवर्ड नोट करें। यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।
 - f. रिमोट ई-वोटिंग का होम पेज खुलता है। रिमोट ई-वोटिंग: एक्टिव वोटिंग साइकिल पर क्लिक करें।
 - g. "भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड" के "ईवन" का चयन करें।
 - h. कास्ट वोट पेज खुलने पर अब आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
 - i. उपयुक्त विकल्प का चयन करके अपना वोट दें और संकेत मिलने पर "सबमिट" और "पुष्टि करें" पर क्लिक करें।
 - j. पुष्टि होने पर, "वोट कास्ट सक्सेसफुली" संदेश प्रदर्शित होगा।
 - k. एक बार जब आप संकल्प पर मतदान कर लेते हैं, तो आपको अपना मत संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 - l. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड के संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) को विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ भेजने की आवश्यकता होती है। वोट करने के लिए अधिकृत हैं, स्कूटिनाइज़र को ई-मेल के माध्यम से mkagrawal.cs@gmail.com के लिए चिह्नित एक प्रति के साथ evoting@nsdl.co.in।
- II. बैठक की सूचना की भौतिक प्रति प्राप्त करने वाले सदस्यों के मामले में (उन सदस्यों के लिए जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं या भौतिक प्रति का अनुरोध कर रहे हैं)
 - a. ऊपर वाले बॉक्स में आरंभिक पासवर्ड दिया गया है।



- b. कृपया क्रमांक से सभी चरणों का पालन करें। संख्या (बी) से क्रमांक सं. (ठ) ऊपर, वोट डालने के लिए।
- III. किसी भी प्रश्न के मामले में, आप सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका को डाउनलोड अनुभाग में देख सकते हैं। www.evoting.nsdl.com या टोल फ्री नंबर: 1800-222- 990 पर कॉल करें।
- IV. यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड/पिन का उपयोग कर सकते हैं।
- V. आपफोलियो के उपयोगकर्ता प्रोफाइल विवरण में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी भी अपडेट कर सकते हैं जिसका उपयोग भविष्य में संचार भेजने के लिए किया जा सकता है।
- VI. सदस्यों के वोटिंग अधिकार एस की कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। **ईपीटीई 23 नवंबर, 2022।**
- VII. कोई भी व्यक्ति, जो शेयरों का अधिग्रहण करता है और नोटिस के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी एस के अनुसार शेयर रखता है **ईपीटीई नवंबर 23, 2022**, कट-ऑफ तिथि के बाद डाक या डाक द्वारा नोटिस प्रदान किया जाएगा। ऐसे सदस्य यहां एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी प्राप्त कर सकते हैं evoting@nsdl.co.in या आरटीए, एमएसएस सर्विसेज लिमिटेड, info@masserv.com। हालांकि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप "उपयोगकर्ता विवरण / पासवर्ड भूल गए" विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं www.evoting.nsdl.com या निम्नलिखित टोल फ्री नंबर: 1800-222-990 पर एनएसडीएल से संपर्क करें।
- VIII. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिर से वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।
- IX. एक व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि के अनुसार दर्ज है, केवल रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ बैठक में मतदान की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। मतपत्र के माध्यम से।
- X. अध्यक्ष, एजीएम में, उन प्रस्तावों पर चर्चा के अंत में, जिन पर मतदान होना है, उन सभी सदस्यों के लिए "बैलट पेपर" का उपयोग करके, जो एजीएम में उपस्थित हैं, स्कूटिनाइज़र की सहायता से मतदान की अनुमति देंगे, लेकिन रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाकर अपना वोट नहीं डाला है।
- XI. अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद स्कूटिनाइज़र की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम बीएसई में दाखिल किए जाएंगे।

17.एमएस। अग्रवाल मनीष कुमार एंड सीओ, कंपनी सचिव (सीपी नंबर 7057) को ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए स्कूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है।

ई-वोटिंग के परिणाम कंपनी की एजीएम को या उसके बाद घोषित किए जाएंगे और स्कूटिनाइज़र रिपोर्ट के साथ घोषित परिणामों को कंपनी की वेबसाइट अर्थात् पर रखा जाएगा। www.bibcol.com और एनएसडीएल की वेबसाइट पर भी और कंपनी के एजीएम के संकल्प के पारित होने के तीन दिनों के भीतर www.bseindia.com पर दर्ज किया जाएगा।

18.संलग्न नोटिस और व्याख्यात्मक विवरण में संदर्भित सभी दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सामान्य व्यावसायिक घंटों (सुबह 9 बजे से शाम 5.00 बजे) के दौरान वार्षिक सामान्य की तारीख तक और सभी कार्य दिवसों में निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे। कंपनी की बैठक।

बोर्ड की आज्ञानुसार

दिनांक: 01.09..2022 (डॉ संजय कुमार मिश्रा)

स्थान : नई दिल्ली प्रबंध निदेशक

निदेशक की रिपोर्ट

मैं निदेशक मंडल की ओर से 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखाकारों के लेखापरीक्षित विवरणों के साथ 33वीं वार्षिक



रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूँ।

वित्तीय परिणाम

वर्ष 2021-22 के दौरान बिबकोल का कारोबार रु. पिछले वर्ष के कारोबार के मुकाबले 7,838.80 लाख रुपये। 8,533.36 लाख। वर्ष के लिए कुल व्यापक आय रुपये की है। (875.36) लाख पिछले वर्ष की तुलना में रुपये की व्यापक आय। 475.44 लाख।

लाभांश

संचित घाटे को देखते हुए, कंपनी वर्ष के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं कर रही है।

भविष्य का दृष्टिकोण

कंपनी विविधीकरण मोड में है और ओरल हैजा वैक्सीन की निर्माण सुविधाओं की परियोजना पूरे जोरों पर है। इसके अलावा कंपनी देश में कोवैक्सिन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोवैक्सिन परियोजना के लिए स्वीकृति प्राप्त करने वाली है।

सावधि जमा

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के अंत तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के अनुसार जनता से कोई जमा स्वीकार/आमंत्रित नहीं किया है।

निदेशकों

डॉ. संजय कुमार मिश्रा ने 17.09.2021 से प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। श्री। चंद्र प्रकाश गोयल को 16.09.2021 को कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यमुक्त किया गया है। श्री का कार्यकाल रोहसन लाल, निदेशक को दिनांक 28.10.2021 से कार्य पूर्ण कर लिया गया है। श्री। पंकज कुमार 01.02.2022 से निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं।

प्रतिभूतियों की सूची

कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। कंपनी ने वर्ष 2022-2023 के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान किया है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

एमएस। रसूल सिंघल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को समीक्षाधीन अवधि के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

लेखापरीक्षकों/कैंग की टिप्पणियों पर टिप्पणियों को निदेशक की रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में दिया गया है और ये स्वयं व्याख्यात्मक हैं और/या लेखाओं पर विभिन्न टिप्पणियों में उपयुक्त रूप से व्याख्या की गई हैं।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और बहिर्गमन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा व्यय से संबंधित आवश्यक जानकारी अनुबंध पर उपलब्ध है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

निदेशक का उत्तरदायित्व विवरण:

आंतरिक, सांविधिक और सचिवीय लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर, जिसमें सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा और प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई समीक्षा शामिल है। और वार्षिक खातों में प्रकटीकरण के अधीन और समय-समय पर कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा के आधार पर, हम निम्नानुसार बताते हैं:

- (ए) वार्षिक खातों की तैयारी में, सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था;
 - (बी) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया था और निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य दिया जा सके। उस अवधि के लिए कंपनी का लाभ और हानि;
 - (सी) निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की थी;
 - (डी) निदेशकों ने वार्षिक खातों को एक सतत चिंता के आधार पर तैयार किया था; तथा
 - (ई) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।
- चूंकि कंपनी सरकारी कंपनी है और यह वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों का पालन कर रही है। इसके अलावा कंपनी के अपने कुछ नियम हैं और किसी विशेष स्पष्टता के अभाव में; भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किया जा रहा है।



(च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी पर लागू नहीं था।

कंपनी के निदेशकों की सीएसआर समिति है जिसमें डॉ. सुधांशु ब्रती, डॉ. मोहम्मद शामिल हैं। असलम व श. पंकज कुमार।

कार्मिक

कंपनी ने हमेशा अपने मानव संसाधन को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना है। कंपनी में उच्च भूमिकाओं के लिए कर्मचारियों की योग्यता निर्माण पर जोर दिया गया। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को क्षमता वृद्धि और कौशल विकास के लिए विभिन्न विषयों पर इन-हाउस प्रशिक्षण दिया है। प्रशिक्षण के विषयों को समग्र विकास को बढ़ावा देने और संगठन में कर्मचारियों के बीच समझ, सहयोग, टीम वर्क और नेतृत्व गुणों को बढ़ावा देने के लिए चुना गया था।

निगम से संबंधित शासन प्रणाली

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के संदर्भ में, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर एक रिपोर्ट, शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करने वाले अभ्यास कंपनी सचिव से एक प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित, इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

सचिवीय लेखा परीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) के अनुसार, बोर्ड ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय अनुपालन लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए मेसर्स अग्रवाल मनीष कुमार एंड कंपनी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। उनकी रिपोर्ट को इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है और यह इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

लागत लेखा परीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत अभिलेखों का रखरखाव, कंपनी द्वारा आवश्यक है और तदनुसार ऐसे खाते और रिकॉर्ड बनाए और बनाए जाते हैं और लेखा परीक्षा रिपोर्ट दर्ज की गई है वर्ष 2021-22 के लिए एमसीए। मेसर्स सनी छाबड़ा एंड कंपनी कंपनी के कॉस्ट ऑडिटर हैं।

भूतपूर्ववार्षिक रिटर्न का ट्रेक्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट का एक अंश इस रिपोर्ट के अनुलग्नक में दिया गया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार खुलासे

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, यौन उत्पीड़न पर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

स्वीकृति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक जैव प्रौद्योगिकी विभाग, प्रशासनिक विभाग, केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों, बैंक और सभी व्यावसायिक सहयोगियों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं। बोर्ड इस अवसर पर शेयरधारकों से प्राप्त निरंतर समर्थन और विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दिए गए पूरे दिल से सहयोग के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता है।

जगह: बुलंदशहर

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

दिनांक : 1 .2022

प्रबंध संचालक

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध

कंपनी के साथ पठित धारा 134 (3) (एम) के तहत आवश्यक जानकारी (निदेशक मंडल के संबंध में विवरण का प्रकटीकरण) नियम, 1988।



(ए) ऊर्जा संरक्षण:
प्रकटीकरण का रूप
बिजली और ईंधन की खपत

1. बिजली विवरण:

विवरण	2021-22	2020-21
(ए) खरीदी गई इकाइयाँ	2412619	2469694
कुल राशि (लाख में)	169.11	154.91
औसत दर/इकाई (रुपये में)	7.00	6.27
(बी) यूनिट जनरेशन-स्वयं डीजल जनरेटर	25554	15039
प्रयुक्त एचएसडी (इकाई और लाख में) 7663 लीटर.2020-2021, 11106 लीटर 2021-2022	11.38	5.52
यूनिट प्रति लीटर डीजल	102.55	72.12
तेल लागत/इकाई (₹ में)	44.57	36.70

2. हल्का डीजल तेल (धारा उत्पादन के लिए प्रयुक्त):

विवरण	2021-22	2020-21
मात्रा (लीटर) (बॉयलर में प्रयुक्त)	95070	80480
कुल राशि (₹ लाख में)	66.78	28.41
औसत दर (₹./लीटर)	70.24	35.30

3. खपत (मौखिक पोलियो वैक्सीन की प्रति एक लाख खुराक)

ऊर्जा का स्रोत	मानक (यदि कोई हो) स्वदेशी उत्पादन	चालू वर्ष 2021-22			पिछला वर्ष 2020-21		
		ओपीवी	जस्ता	बिबसानित	ओपीवी	जस्ता	बिबस्वीट
बिजली	4655 इकाइयाँ	2112619	0	0	2169594	0	100
हल्का डीजल तेल	520 लेफ्टिनेंट	126386	0	0	80480	0	0
अन्य (निर्यात बिजली)	कोई भी नहीं	300000			300000		

ब्यौरा	चालू वर्ष	पिछला साल
(ए) प्रौद्योगिकी अवशोषण	शून्य	शून्य
(बी) विदेशी मुद्रा लाभ/हानि (₹ लाख में)	49.27	37.44
(सी) विदेशी मुद्रा व्यय (लाख रुपये में)	8493.01	4922.33

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

औद्योगिक संरचना और विकास



BIBCOL की स्थापना भारत सरकार के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम को पूरा करने के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन की आपूर्ति के लिए की गई थी। स्थापना के बाद से कंपनी ओरल पोलियो वैक्सीन की अरबों खुराक की आपूर्ति करके, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में लगातार महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

उत्पाद लाइन में जोड़ने के लिए, कंपनी ने ओरल हैजा वैक्सीन में विविधता लाई है। ओरल हैजा वैक्सीन के लिए स्थापित विनिर्माण सुविधा का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसके अलावा कंपनी देश में Covaxin के उत्पादन को बढ़ाने के लिए Covaxin परियोजना के लिए स्वीकृति प्राप्त करने के लिए काम कर रही है।

खंड-वार या उत्पाद-वार प्रदर्शन

कंपनी के पास वैक्सीन (ओरल पोलियो वैक्सीन) सेगमेंट में मुख्य राजस्व सृजन है और इसने वर्ष के दौरान ₹ 7838.80 लाख की शुद्ध बिक्री के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आपूर्ति आदेश के अनुसार वैक्सीन की आपूर्ति की है।

आउटलुक-अवसर, खतरे, जोखिम और चिंताएं

- अवसर:** जनता के बीच छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और चिंता नए उत्पादों के विकास का अवसर प्रदान करती है। बिबकोल उसी के लिए कमर कस रहा है और विभिन्न उत्पादों के विकास के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ करार किया है।
- धमकी:** निजी निर्माताओं की वृद्धि, भारत में थोक की अनुपलब्धता, में बार-बार परिवर्तन विदेशी मुद्रा दरें, स्वास्थ्य मंत्रालय की अनिच्छा और पुरस्कार के लिए परिवार कल्याण समर्थन के लिए स्थापित नामांकन आधार पर एक पीएसयू को आपूर्ति आदेश सरकारी पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मूल्य वरीयता का उन्मूलन है धमकी माना जाता है।
- जोखिम:** लंबी उत्पाद विकास अवधि, प्रतिस्पर्धा के कारण उत्पाद की कीमत में कमी, नियामक आवश्यकताओं के निरंतर उन्नयन को जोखिम कारक माना जाता है।
- चिंताओं:** ओपीवी के थोक टीके का सतत आयात और एकल उत्पाद पर निर्भरता।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी ने अपने आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रदान करने वाली प्रणाली स्थापित की है। ऐसी प्रणालियों को उचित रूप से प्रलेखित किया गया है।

संचालन प्रदर्शन के संबंध में वित्तीय प्रदर्शन

विविध खर्चों को कम करने के लिए प्रभावी लागत नियंत्रण प्रक्रिया को अपनाया गया था जिसे लाभ और हानि खाते के विवरण से समझा जा सकता है।

मानव संसाधन

कंपनी अपने मानव संसाधन को अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति मानती है। कंपनी ने नियमित आधार पर कार्यशालाओं, संगोष्ठियों आदि का आयोजन करके अपने कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल के निरंतर उन्नयन के लिए एक प्रशिक्षण प्रभाग की स्थापना की है। यह एक कार्य वातावरण के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रबंधकीय संसाधनों और कार्य बल के अपने पर्याप्त पूल को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं की सक्रिय रूप से समीक्षा करता है और विकसित करता है जो पहल को प्रोत्साहित करता है, चुनौतियां और अवसर प्रदान करता है।

कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट

कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस यह सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम और प्रथाओं का सेट है कि कंपनी के मामलों को इस तरह से प्रबंधित किया जा रहा है जो व्यापक अर्थों में अपने सभी लेनदेन में जवाबदेही, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है और अपने हितधारक की आकांक्षाओं और सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करता है।

BIBCOL ने सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, (LODR) और कॉर्पोरेट प्रशासन पर सार्वजनिक उद्यम दिशानिर्देशों में बताए गए कॉर्पोरेट शासन के सिद्धांतों के उद्देश्यों का अनुपालन सुनिश्चित किया है, कंपनी द्वारा अनुपालन का विवरण इस प्रकार है नीचे:-

1. निदेशक मंडल

बोर्ड में एक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष और कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों की उपयुक्त संरचना है जो LODR में दिए गए विनिर्देश के अनुरूप है। बोर्ड की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने, कर्तव्यों के कुशल निर्वहन की सुविधा और कंपनी की परिस्थितियों के संदर्भ में मूल्य जोड़ने के लिए सभी निदेशक विभिन्न दृष्टिकोणों और कौशल से लैस हैं।

निदेशक मंडल में सात निदेशक होते हैं (आज तक) और उनकी संरचना, श्रेणी और बैठकों में उपस्थिति इस प्रकार है:

नाम	श्रेणी	अन्य निदेशक	कौ सं ख्या समिति सदस्यता आ योजि त अन्य में कंपनी	बोर्ड बैठक म भाग लिया (सं.)	उपस्थिति 30.11.2021 को आयोजित अंतिम एजीएम
डॉ. वाईके गुप्ता	स्वतंत्र अध्यक्ष	एक (1)	ना	4	ना
डॉ. संजय कुमार मिश्रा	प्रबंध संचालक (17.09.2021 से)	एक (1)	ना	2	वर्तमान
श्री। सीपी गोयल	प्रबंध संचालक (16.09.2021 तक)	एक (1)	ना	2	ना
डॉ. अलका शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	एक (1)	ना	4	ना
श्री। रोशन लालू	स्वतंत्र निदेशक (28.10.2021 तक)	एक (1)	ना	1	ना
श्री। पंकज कुमार	स्वतंत्र निदेशक (01.02.2022 से प्रभावी)	एक (1)	ना	1	ना
डॉ. मो. असलम	स्वतंत्र निदेशक	ना	ना	2	ना
डॉ. सुधांशु व्रती	स्वतंत्र निदेशक	ना	ना	3	ना
डॉ. मधु दीक्षितो	स्वतंत्र निदेशक	ना	ना	3	ना

1.1 कंपनी एक पीएसयू होने के नाते, सभी निदेशकों को प्रशासनिक विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त/नामांकित किया जाता है।

1.2 निदेशक एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं।

1.3 निदेशकों का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं है।

1.4 एलओडीआर 2015 के विनियम 26(1)(ए) और (बी) के अनुसार कोई भी निदेशक उन सभी कंपनियों में 10 से अधिक समितियों का सदस्य या 5 से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है, जिनमें वह निदेशक है।

1.5 वर्ष के दौरान कंपनी की चार बोर्ड बैठकें निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित की गईं:

1.04/06/2021, 2. 27/07/2021, 3.29/10/2021, और 4. 08/02/2022।

1.6 गैर-कार्यपालक निदेशक को बैठक शुल्क (01.04.2021 से 31.03.2022 तक)

गैर - कार्यकारी निदेशक	बोर्ड और समिति की संख्या बैठक में भाग लिया	बैठने की फीस (रु.)
डॉ वाईके गुप्ता	4	8000
डॉ. सुधाशु ब्रतो	3	6000
डा मधु दाक्षता	3	6000

2. बोर्ड और उसकी अधीनस्थ समितियां

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177/178 के तहत विशेष रूप से निर्धारित कार्यों को पूरा करने के लिए, सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश; कंपनी ने एक लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संबंध/निवेशक शिकायत समिति का गठन किया है। निम्नलिखित प्रतिवेदन समितियों की संरचना और रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रकृति को दर्शाता है:

2.1 लेखा परीक्षा समिति

सेबी के एलओडीआर 2015 और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के अनुसार एक लेखा परीक्षा समिति है। बोर्ड द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा समिति की भूमिका और शक्तियां उपरोक्त निर्धारित प्रावधानों के अनुसार हैं।

2.2 लेखा परीक्षा समिति की संरचना और अन्य विवरण (31.03.2022 को) इस प्रकार हैं:

निदेशक का नाम	पद	इसकी प्रकृति निदेशक	बैठकों की संख्या	
			आयोजित	में भाग लिया
श्री। पंकज कुमार 01.02.2022 से प्रभावी	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक	4	1
श्री। रोशन लाल (28.10.2021 तक)	अध्यक्ष	स्वतंत्र निदेशक	4	2
डॉ. संजय कुमार मिश्रा (17.09.2021 से प्रभावी)	प्रबंध निदेशक	कार्यकारी निदेशक	4	2
श्री। सीपी गोयल (16.09.2021 तक)	प्रबंध निदेशक	कार्यकारी निदेशक	4	2
डॉ. अलका शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	स्वतंत्र निदेशक	4	4

2.3 कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों और लागत लेखा परीक्षकों को भी लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। आवश्यकतानुसार कंपनी के अन्य प्रमुख पदाधिकारियों को भी बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया।

2.4 वर्ष के दौरान चार लेखा परीक्षा समिति की बैठकें निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित की गईं:

1. 04/06/2021, 2. 27/07/2021, 3. 29/10/2021, और 4. 08/02/2022।

2.5 पारिश्रमिक समिति:- पृथक पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया है। निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है।

2.6 हितधारक संबंध/निवेशक शिकायत समिति

हितधारक संबंध / निवेशक शिकायत समिति, जिसमें डॉ अलका शर्मा, अध्यक्ष, श्री शामिल हैं। आरके शुक्ला और एस. एसके लाल सदस्य। समिति प्रतिभूति हस्तांतरण से जुड़े सभी मामलों की देखरेख और समीक्षा करती है। समिति शेयरधारकों की शिकायतों जैसे शेयरों के हस्तांतरण, बैलेंस शीट की गैर-प्राप्ति आदि के निवारण पर भी ध्यान देती है। समिति रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों के प्रदर्शन की निगरानी करती है, और निवेशक सेवाओं की गुणवत्ता में समग्र सुधार के उपायों की सिफारिश करती है।

3. बोर्ड प्रक्रिया

यह हमेशा कंपनी की नीति और प्रथा रही है कि संविधि द्वारा बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता वाले मामलों के अलावा, तिमाही परिणाम, वास्तविक संचालन, फीडबैक रिपोर्ट और सभी समितियों के कार्यवृत्त सहित सभी प्रमुख निर्णय नियमित रूप से बोर्ड के समक्ष रखे जाते हैं।

4. सामान्य निकाय बैठकें

वार्षिक आम बैठक

पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों का स्थान और समय इस प्रकार था:

साल	स्थान	पिंड खजूर	समय
-----	-------	-----------	-----

2018-19	बिबकॉल, पंजीकृत कार्यालय, ओपीवी प्लॉट, ग्राम चोला, जिला। बुलंदशहर यूपी	27.09.2019	11.30 पूर्वाह्न
2019-20	बिबकॉल, पंजीकृत कार्यालय, ओपीवी प्लॉट, ग्राम चोला, जिला। बुलंदशहर यूपी	30.12.2020	11.30 पूर्वाह्न
2020-21	बिबकॉल, पंजीकृत कार्यालय, ओपीवी प्लॉट, ग्राम चोला, जिला। बुलंदशहर यूपी	30.11.2021	11.30 पूर्वाह्न

5. (ए) भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन पर प्रकटीकरण यानी भौतिक प्रकृति की कंपनी के लेनदेन, इसके प्रमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनियों या रिश्तेदारों आदि के साथ, जो कंपनी के हितों के साथ संभावित संघर्ष हो सकते हैं विशाल।
किसी भी संबंधित पक्ष के साथ कोई भी लेन-देन कंपनी के हितों के विपरीत नहीं था।
(b) कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन का विवरण, स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा कंपनी पर लगाए गए दंड, संरचनाएं या पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर सेबी, या कोई वैधानिक प्राधिकरण।
पिछले तीन वर्षों में पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी नियामक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना या सख्ती नहीं लगाई गई है।

6. संचार के साधन:-

कंपनी के तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम बीएसई पोर्टल और इसकी वेबसाइट www.bibcol.com पर ऑनलाइन जमा किए गए थे

7. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

8. सामान्य शेयरधारक सूचना

8.1 वार्षिक आम बैठक

कंपनी की 33वीं वार्षिक आम बैठक 30/09/2022 को ओपीवी प्लॉट, ग्राम चोला, बुलंदशहर, यूपी-203203 में आयोजित की जाएगी।

8.2 वित्तीय कैलेंडर

पहली तिमाही के नतीजे	:	जुलाई के दौरान।
दूसरी तिमाही के नतीजे	:	अक्टूबर के दौरान
तीसरी तिमाही के नतीजे	:	जनवरी के दौरान
चौथी तिमाही का परिणाम	:	अप्रैल 2022 के अंत से पहले

8.3 पुस्तक बंद करने की तिथि: 23 सितंबर, 2022 से 30 सितंबर, 2022 (दोनों दिन शामिल), वार्षिक आम बैठक आयोजित करने के उद्देश्य से।

8.4 स्टॉक एक्सचेंजों पर इक्विटी शेयरों की लिस्टिंग: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई), मुंबई।

नोट: कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान किया है। कंपनी की 33वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना प्रस्तुत कर दी गई है।

8.5 (ए) स्टॉक कोड ट्रेडिंग सिंबल -बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज: '524663' भारत इम्यूनो

(b) इक्विटी शेयरों के लिए एनएसडीएल और सीडीएसएल में डीमैट आईएसआईएन नंबर: आईएसआईएन नंबर INE994BO1014

(c) स्टॉक मार्केट डेटा (₹./प्रति शेयर 10 रुपये में) बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई)

माह का उच्च माह का निम्नतम :

साल	महीना	उच्च (₹.)	कम (₹.)
2021	अप्रैल	46.25	37.40
	मई	65.50	47.10
	जून	94.50	55.95
	जुलाई	73.90	58.25
	अगस्त	61.85	40.90
	सितंबर	63.20	49.45
	अक्टूबर	62.35	50.35
	नवंबर	60.40	46.25
2022	दिसंबर	58.45	43.00
	जनवरी	61.35	44.50
	फरवरी	50.50	34.80
	मार्च	38.80	28.00

8.6 रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट:

एमएस। मास सर्विसेज लिमिटेड, प्लॉट नंबर टी - 34, दूसरी मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज II, नई दिल्ली 110020। दूरभाष। नंबर- 011-2638 7281 82, 83, फैक्स - 011- 26387384, ई-मेल: info@masserv.com

8.7. शेयर ट्रांसफर सिस्टम

वर्तमान में, भौतिक रूप में प्राप्त शेयरों को संसाधित किया जाता है और शेयर प्रमाण पत्र प्राप्ति की तारीख से 07 से 10 दिनों की अवधि के भीतर वापस कर दिया जाता है, बशर्ते कि दस्तावेज वैध और सभी तरह से पूर्ण हों। शेयर प्रमाणपत्र उनकी प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर भेज दिए जाते हैं। शेयरधारकों से प्राप्त संपूर्ण अभौतिकीकरण अनुरोध की डीपी द्वारा डीआरएन संख्या के सृजन की तारीख से 15 दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर पूर्ण की जाती है और आरटीए के कार्यालय में भौतिक रूप से प्राप्त की जाती है।

8.8 31.03.2022 को शेयरधारकों की श्रेणियां :

श्रेणी कोड	श्रेणी का शेयरधारकों	संख्या का शेयर करना धारकों	की कुल संख्या शेयरों	धारित शेयरों की संख्या में डीमैट प्रपत्र	कुल शेयरधारिता के रूप में कुल का प्रतिशत शेयर की संख्या
ए। शेयर हाल्डिंग का प्रमोटर तथा प्रमोटर समूह	सरकार भारत की	8	25586000	25585993	59.25
बी। जनता शेयर हाल्डिंग	विश्वास	1	1	1	0
	शिव निगमित	121	429259	372959	0.99
	व्यक्तियों - 2 लाख . तक	35918	13906413	12984343	32.21
	- 2 लाख से ऊपर	59	2836284	2836284	6.57
	क्लियरिंग सदस्य (डामेट टाजट)	45	178764	178764	0.41
	एनआरआई	171	243279	243279	0.57
	ग्रैंड कुल	36323	43180000	42201623	100.00

8.9 शेयरों का अभौतिकीकरण

कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 97.73% 31 मार्च, 2022 को डीमैटरियलाइज़ कर दिया गया है। कंपनी के इक्विटी शेयरों में ट्रेडिंग की अनुमति केवल भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार डीमैट रूप में है।

8.10 चलनिधि

कंपनी के शेयरों का नियमित रूप से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार किया जा रहा है।

8.11. संयंत्र स्थान-

भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीआईबीसीओएल), ओपीवी प्लांट, ग्राम चोला, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश - 203203

8.12 पत्राचार के लिए पता

शेयर ट्रांसफर, ट्रांसमिशन और डीमैटरियलाइजेशन अनुरोध के लिए

एमएस। मास सर्विसेज लिमिटेड, प्लॉट नंबर टी - 34, दूसरी मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज II, नई दिल्ली 110020।

या

कंपनी सचिव, भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड, बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 203203।

ग्राम - चोला, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश -

9. अनुपालना प्रमाण पत्र

सेबी लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता, विनियम 2015 के अनुपालन के अनुसार, अभ्यास कंपनी सचिव, मैसर्स अग्रवाल मनीष कुमार एंड कंपनी, नई दिल्ली से एक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त की गई है। प्रमाणपत्र निदेशक की रिपोर्ट का हिस्सा है

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के तहत कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन पर प्रमाण पत्र।

प्रति
सदस्यगण

मेसर्स भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

हमने उक्त कंपनी के सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिकायरमेंट्स) विनियम 2015 में निर्धारित 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड की जांच की है। शेयर बाजार।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। हमारी जांच न तो ऑडिट थी और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए आयोजित की गई थी।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और ऊपर हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी ने सेबी (सूचीबद्धता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है। .

हम आगे कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रभावशीलता की दक्षता जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

जगह: नई दिल्ली
दिनांक: 28.07.2022

**अग्रवाल मनीष कुमार एंड सीओ . के लिए
कंपनी सचिव**

मनीष कुमार अग्रवाल
(मालिक)

फेलो सदस्यता संख्या- 9528,
अभ्यास प्रमाण पत्र संख्या- 7057

फॉर्म नंबर MR-3
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार]

प्रति,

सदस्यगण,

भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

मैंने/हमने भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इसके बाद कंपनी कहा जाता है) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित की है। सेक्रेटरीयल ऑडिट इस तरीके से किया गया था जिससे मुझे/हमें कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पुस्तकों, कागजात, मिनट पुस्तकों, फॉर्म और रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों के मेरे/हमारे सत्यापन के आधार पर और कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के दौरान। सचिवीय लेखापरीक्षा का संचालन, मैं/हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि मेरी/हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड है -प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र इस हद तक, इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के तरीके और अधीन:

मैंने/हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दर्ज की गई पुस्तकों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;
- (ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('SCRA') और उसके तहत बनाए गए नियम;
- (iii) डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम;
- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित लागू नियम और दिशानिर्देश, अर्थात:-

(ए) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहण का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(बी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015;

(सी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का मुद्रा और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018;

(डी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 (लागू नहीं);

(ई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008 (लागू नहीं);

(च) कंपनी अधिनियम और क्लाइंट के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एक 12 निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंटों के लिए रजिस्ट्रार) विनियम, 1993;

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करना) विनियम, 2009 (लागू नहीं); तथा

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 2018 (लागू नहीं);

- (vi) भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व प्रकटीकरण आवश्यकताएं), 2015।

मैंने/हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

- (i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

- (ii) कंपनी द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए लिस्टिंग समझौते,

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन उपरोक्त वर्णित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है: शून्य

मैं/हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

कंपनी के निदेशक मंडल को कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठित किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे। सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया गया है, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए और सार्थक के लिए एक प्रणाली मौजूद है। बैठक में भागीदारी। अधिकांश निर्णय तब किए जाते हैं जब असंतुष्ट सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्त के हिस्से के रूप में दर्ज और दर्ज किया जाता है।

मैं/हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

नोट: प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, मुझे/हम लेखापरीक्षा अवधि से संबंधित बोर्ड संरचनाओं/प्रणाली और प्रक्रियाओं के संबंध में विशिष्ट टिप्पणियों/योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणियों का कोई कारण नहीं पाते हैं।

जगह: नई दिल्ली

दिनांक: 13/07/2022

**अग्रवाल मनीष कुमार एंड सीओ . के लिए
कंपनी सचिव**

उडीन: F009528D000616640

मनीष कुमार अग्रवाल, (मालिक)

सीपी नं। 7057, फेलो सदस्यता संख्या- 9528

निदेशकों की रिपोर्ट के लिए परिशिष्ट
लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की टिप्पणियों का प्रबंधन जवाब

क्रमांक	सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा जारी योग्यता	प्रबंधन द्वारा उत्तर (BIBCOL)
1	सत्यापन के लिए हमें कोई अचल संपत्ति रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया था। कंपनी के अपने कर्मचारियों द्वारा संचालित अचल संपत्तियों की केवल मात्रात्मक भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रदान की गई थी, जिसमें कोई वित्तीय आंकड़े नहीं हैं जिनका वित्तीय विवरण से मिलान किया जा सके। इसके अलावा कई संपत्तियां जिन्हें पिछली भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में "क्षतिग्रस्त स्थिति" या "नहीं मिला" के रूप में चिह्नित किया गया था, उन्हें वर्तमान भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की सूची से हटा दिया गया है, लेकिन पुस्तकों में इसका कोई समायोजन प्रदान नहीं किया गया है। इसका वित्तीय प्रभाव मात्रात्मक नहीं है।	BIBCOL में लगी अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन कंपनी की आंतरिक समिति द्वारा किया गया है और वैधानिक लेखा परीक्षक को अचल संपत्ति शीट पहले ही प्रदान की जा चुकी है। हमारे पास अचल संपत्ति रजिस्टर है हालांकि सलाह को सुधार के लिए नोट किया गया है और आवश्यकतानुसार अचल संपत्ति रजिस्टर में अद्यतन किया गया है।
2	हमें प्रदान किया गया मूल्यहास चार्ट / गणना / मूल्यहास दर गलत है और वित्तीय विवरणों के आंकड़ों से संबंधित नहीं है। इसका वित्तीय प्रभाव मात्रात्मक नहीं है।	मूल्यहास की गणना आईएनडी-एस के अनुसार की गई है और इसे लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत किया गया है।
3	रु. का पूंजीगत कार्य प्रगति पर है। 3190.00 लाख आवास परिसर भवन से संबंधित अपूर्ण संरचना से संबंधित है जो 26 वर्षों से अधिक समय से लंबित है और समय के कारण अपूर्ण संरचना का उपयोग अब नहीं किया जा सकता है और इसे ध्वस्त करने की आवश्यकता है। पिछले वर्ष के दौरान कंपनी ने चल रहे पूंजीगत कार्य का पुनर्मूल्यांकन किया और रुपये का पुनर्मूल्यांकन लाभ बुक किया। 3168.07 लाख। यहां 26 वर्ष से अधिक पुराने अधूरे अस्थाई ढाँचे एवं भूमि की कीमत रु. 21.93 लाख रुपये की कीमत की गई है। निर्माण के लिए 65.00 लाख और रु. भूमि के लिए 3124.95 लाख। आगे कंपनी के पास ऐसे रिकॉर्ड नहीं हैं जो यह स्थापित करते हैं कि भूमि का मूल्य पूंजीगत कार्य का एक हिस्सा है जो प्रगति पर है। विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने ग्राम चोल में अपनी एक अन्य अचल संपत्ति अर्थात भूमि और साइट विकास का पुनर्मूल्यांकन किया और रुपये का पुनर्मूल्यांकन लाभ बुक किया। 8006.51 लाख। IndAS-16 की आवश्यकता है कि "एक वर्ग के भीतर सभी वस्तुओं का एक ही समय में पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए, कुछ संपत्तियों के चयनात्मक पुनर्मूल्यांकन को रोकने के लिए और वित्तीय विवरणों में विभिन्न तिथियों से लागत और मूल्यों के मिश्रण का खुलासा करने से बचने के लिए।" इस	निर्माण के साथ-साथ ग्राम गंगेरवा में स्थित भूमि को उसी प्रशासनिक मंत्रालय यानी जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत BIBCOL द्वारा NIPGR (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम एंड रिसर्च) को लीज पर दिया गया है। NIPGR ने निर्माण को ध्वस्त करने का निर्णय लिया है और उसी ध्वस्त सामग्री के लिए CPWD (केंद्रीय लोक निर्माण विभाग) के माध्यम से नीलामी करनी है। तदनुसार खातों की पुस्तकों में समायोजन किया जाएगा। हालांकि, पुनर्मूल्यांकन केवल नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अवलोकन के अनुसार किया गया है।

	प्रकार कंपनी ने इंडएस-16 के प्रावधानों का घोर उल्लंघन किया है। इसके अलावा कंपनी के पास अपनी परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई बोर्ड अनुमोदित नीति नहीं है।	
4	इंडएस-16 के अनुसार, यदि पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में वृद्धि होती है, तो वृद्धि को अन्य व्यापक आय के रूप में मान्यता दी जाएगी और शीर्षक - पुनर्मूल्यांकन रिजर्व के तहत इक्विटी में देयता पक्ष में जमा/प्रविष्ट किया जाएगा, लेकिन कंपनी लाभ और हानि विवरण में व्यापक आय के तहत इसे दिखाने में विफल रहा और इंडएस-16 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए इसे गलत तरीके से प्रतिधारित आय के रूप में दर्ज किया गया।	IND AS-16 के अनुसार, पुनर्मूल्यांकन लाभ को अन्य व्यापक आय या पुनर्मूल्यांकन आरक्षित दोनों के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। और नोट - अन्य इक्विटी में गलत तरीके से दर्ज की गई कमाई के लिए, इसे अनुपालन के लिए नोट किया गया है।
5	इंडएस-36 के अनुसार, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पीपीई की हानि परीक्षण की आवश्यकता होती है, लेकिन कंपनी द्वारा कोई हानि परीक्षण नहीं किया गया था। इसका वित्तीय प्रभाव मात्रात्मक नहीं है।	इसे आगे के अनुपालन के लिए नोट किया गया है।
6	लाभ और हानि के विवरण में, कंपनी ने रुपये पर आयकर व्यय दिखाया है। 93.38 लाख लेकिन नोट 30 के अनुसार आयकर देयता की गणना रुपये पर की जाती है। 269.50 लाख। खातों की किताबों में आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है और इस तरह बैलेंस शीट में इसे गलत तरीके से जोड़ा/प्रतिधारित कमाई के रूप में प्रदर्शित किया गया है। हालांकि वास्तविक कर देयता शून्य होनी चाहिए क्योंकि पुनर्मूल्यांकन लाभ पर कोई कर देय नहीं है।	वर्ष 2021-2022 के लिए लाभ और हानि खातों में हानि है और गणना की गई रु। 93.38 लाख आस्थगित कर के रूप में जो पहले ही लाभ और हानि खाते में चालू वर्ष आस्थगित कर के रूप में दिखाया जा चुका है। इसलिए, देयता देय नहीं है इसलिए इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
7	कंपनी ने परिसर में सौर संयंत्र स्थापित किया है और फरवरी 2019 से नेट मीटरिंग शुरू की गई थी। हालांकि पट्टे पर दी गई संपत्ति की पहचान के लिए सभी तत्व संतुष्ट हैं, लेकिन कंपनी ने मूल पट्टा भुगतान के लिए पट्टा संपत्ति, पट्टा देयता, मूल्यहास, ब्याज और नकदी प्रवाह को मान्यता नहीं दी है। & ब्याज भुगतान। इसका वित्तीय प्रभाव मात्रात्मक नहीं है।	कंपनी BIBCOL के परिसर में स्थापित सोलर प्लांट के संबंध में किसी भी प्रकार के उपचार के लिए अधिकृत नहीं है क्योंकि यह लीज पर है।
8	हमारे ऑडिट और इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए इन्वेंट्री मूवमेंट रजिस्टर और लागत रिकॉर्ड हमें उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इसका वित्तीय प्रभाव मात्रात्मक नहीं है।	कंपनी का लागत रिकॉर्ड बनाया जा रहा है और उस पर लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से एमसीए में दाखिल की जाती है। कंपनी में इन्वेंटरी का प्रबंधन किया जाता है और इसे सत्यापित किया जा सकता है।
9	विविध देनदारों में रुपये की राशि शामिल है। वित्तीय विवरण के नोट 31 (एच) में दर्शाए गए 645.42 लाख, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (देनदार) द्वारा काटे गए वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 से संबंधित देर से वितरण शुल्क का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो इसकी वसूली के बारे में संदिग्ध हैं और उचित प्रावधान की आवश्यकता है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2015-16 के बाद से किसी भी देरी से वितरण शुल्क / अन्य कटौती का कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया था। हमारे सत्यापन के लिए कोई शेष राशि की पुष्टि / पार्टी विवरण और समाधान प्रदान नहीं किया गया है। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त अग्रिमों को	मामला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गलत तरीके से लिक्विडेटेड डैमेज (एलडी) लगाने से संबंधित है। BIBCOL इस भुगतान को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मामला उठा रहा है। इस संबंध में हमारे मंत्रालय के सचिव की ओर से कानून मंत्रालय के सचिव को पत्र संख्या बीटी/04/2009 के माध्यम से इस मामले को सीपीएसई विवाद के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र (एएमआरसीडी) समिति को विवाद के समाधान के लिए भेजा गया था। आईएफडी, दिनांक

	प्राप्तियों के विरुद्ध समायोजित किया गया है। हमारे सत्यापन के लिए कोई शेष राशि की पुष्टि / पार्टी विवरण और समाधान प्रदान नहीं किया गया है। इसका वित्तीय प्रभाव मात्रात्मक नहीं है।	16.05.2019। इसके बाद यह हमारे मंत्रालय से इस संबंध में किसी भी जानकारी की प्रतीक्षा कर रहा है। शेष राशि की पुष्टि पहले ही विक्रेताओं और देनदारों को ईमेल के माध्यम से नियत समय के भीतर भेज दी गई है, जिसमें से कुछ पुष्टिकरण प्राप्त हुए थे जो पहले ही लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत किए गए थे।
10	जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 31 (डी) में कहा गया है, कंपनी ने प्रदान किया है, लेकिन ग्रेच्युटी देयता के भुगतान में चूक की राशि रु। कर्मचारी विवरण के अभाव में तदर्थ आधार पर एलआईसी ऑफ इंडिया द्वारा मांग के अनुसार 450.00 लाख। वर्ष के अंत में उपदान का कोई बीमाकिक मूल्यांकन नहीं किया जाता है। इसका वित्तीय प्रभाव मात्रात्मक नहीं है।	एलआईसी के साथ कंपनी द्वारा ग्रेच्युटी का रखरखाव किया जा रहा है। ग्रेच्युटी की देनदारी रु. भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त मांग पत्र के आधार पर 450.00 लाख का चालान किया गया है। यह मांग तदर्थ प्रकृति की है। हालांकि एलआईसी से फंड राशि की कमी की विस्तृत जानकारी मांगी गई है।
11	रुपये की राशि। 78.06 लाख गैर-वर्तमान कर परिसंपत्तियों के नोट संख्या 7 में दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से रु। 68.76 लाख वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2020-21 तक काटे गए टीडीएस से संबंधित हैं, जिसके लिए कंपनी के पास कोई मूल्यांकन विवरण उपलब्ध नहीं था और इस तरह की वसूली योग्य नहीं है। इसका वित्तीय प्रभाव मात्रात्मक नहीं है।	पिछले वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2020-21 के लिए प्राप्य टीडीएस को टीडीएस के रूप में बुक किया गया है और आयकर विभाग से सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और मामले आयकर विभाग में लंबित हैं।
12	रुपये की सहायता अनुदान की दूसरी रिलीज। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी को निर्धारित परियोजना के लिए बीआईआरएसी से 273.91 लाख प्राप्त हुए हैं। पहले प्राप्त अनुदानों का कोई विवरण हमें उपलब्ध नहीं कराया गया था और इसलिए हम इसके उपयोग पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। फिर से, कंपनी ने IndAS-20 में प्रदान किए गए अनुदान के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताओं का उल्लंघन किया है। नोट 2.10 में, कंपनी ने खुलासा किया कि अनुदान को लाभ और हानि के माध्यम से भेजा जाना है। हालांकि, कंपनी द्वारा ऐसी किसी नीति का पालन नहीं किया गया है। नकद प्रवाह विवरण तैयार करते समय अनुदानों को न तो लाभ और हानि के माध्यम से भेजा जाता है और न ही उन पर विचार किया जाता है। आगे कोई अलग परियोजना लेखा तैयार नहीं किया जाता है और हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है। इसका वित्तीय प्रभाव मात्रात्मक नहीं है।	अनुदान सहायता पत्र अनुबंध की प्रति लेखापरीक्षा के दौरान उपयोगिता प्रमाण पत्रों के साथ उल्लिखित सभी राशियों के साथ प्रदान की गई है। हमने टैली सॉफ्टवेयर में अलग-अलग प्रोजेक्ट बुक बनाए हैं। अनुदानों/परियोजनाओं का विवरण वार्षिक लेखा 2021-2022 में लेखा टिप्पणियों में दर्शाया गया है।
13	कंपनी रुपये दिखाती है। श्री सेठी से वसूली योग्य के रूप में 3,21,106 / - जबकि कंपनी ने रुपये के भुगतान की देयता स्वीकार कर ली है। 99,000/- माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष। इसलिए कंपनी का लाभ रुपये से अधिक है। 4,20,106/-.	सुनवाई प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के समक्ष पिछले तीन वर्षों से लंबित है।
14	लंबित कानूनी मामलों के लिए ज्ञात देनदारियों या आकस्मिक देयता के प्रकटीकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसका वित्तीय प्रभाव मात्रात्मक नहीं है।	कंपनी के अभिलेखों के अनुसार आकस्मिक देयता का कोई मामला लंबित नहीं है।

15	नोट 13 में, कंपनी रुपये दिखाती है। राजस्व प्राधिकरण के पास शेष राशि के रूप में 1087.30 लाख, जिसमें जीएसटी क्रेडिट और जीएसटी टीडीएस की राशि शामिल है। पूरी राशि की वसूली संदेहास्पद है क्योंकि यह जीएसटी वेबसाइट पर प्रदर्शित शेष राशि से मेल नहीं खा रही है और कोई समाधान नहीं किया गया है। इसका वित्तीय प्रभाव मात्रात्मक नहीं है।	लेखापरीक्षा के दौरान जीएसटी समाधान पहले ही प्रदान किया जा चुका है। इनपुट टैक्स क्रेडिट और दावा किए गए इनपुट टैक्स में दिखाई देने वाला अंतर पार्टियों द्वारा देर से रिटर्न दाखिल करने और जीएसटी पोर्टल पर नो बिल ऑफ एंट्री डेटा के कारण है।
16	कंपनी ने किए गए प्रावधानों पर जीएसटी इनपुट बुक किया है, जिसके लिए चालान अभी भी जारी नहीं किए गए हैं, इस प्रकार कंपनी इनपुट की गलत / अवैध बुकिंग द्वारा जीएसटी का कम भुगतान कर रही है। इसका वित्तीय प्रभाव मात्रात्मक नहीं है।	कंपनी ने वर्ष के अंत के लिए बुक किए गए प्रावधानों के लिए किसी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं किया है।
17	कंपनी अपने विभिन्न अंतिम उत्पादों के आधार पर खंड रिपोर्टिंग का अनुसरण करती है। हालांकि, कंपनी द्वारा हमें लाभ/हानि या परिसंपत्ति/देयताओं के आवंटन के आधार पर रिपोर्ट करने योग्य खंडों की पहचान के लिए कोई नीति संबंधी रिट उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके अलावा खंड रिपोर्टिंग में रिपोर्ट किए गए पिछले वर्ष के आंकड़ों कंपनी के बैलेंस शीट में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों से मेल नहीं खाते / मेल नहीं खाते हैं। हमारे सत्यापन के लिए रिपोर्ट किए गए आंकड़ों की कोई गणना हमें प्रदान नहीं की गई है।	कंपनी के पास वर्तमान में ओरल पोलियो वैक्सीन का एकल उत्पाद है जो राजस्व का लगभग सौ प्रतिशत है। हालांकि, खातों की पुस्तकों में इसके उत्पादों के अलग-अलग शीर्षक हैं।
18	नोट 6 के अनुसार, कंपनी के पास रुपये की सुरक्षा जमा राशि है। 44.84 लाख, लेकिन इसका कोई विवरण कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि इन राशियों की वसूली संदिग्ध है। इस प्रकार, इसके लिए आवश्यक प्रावधान की आवश्यकता है। इस प्रकार, कंपनी का मुनाफा 44.84 लाख रुपये से अधिक बताया गया है।	बिबकॉल द्वारा जमानत राशि रु. 44.84 लाख, जिसके तहत यूपीपीसीएल का बड़ा हिस्सा रु। 38.30 लाख और शेष राशि का भुगतान कुछ अन्य प्रतिभूतियों जैसे गैस सिलेंडर और टेलीफोन की सेवाओं के लिए अन्य नाममात्र मूल्य आदि के खिलाफ किया जाता है और सभी वसूली योग्य हैं।
19	पिछले वर्ष की तुलना में कई आंकड़ों को अलग-अलग समूहों में बांटा गया है, लेकिन संबंधित आंकड़ों को तदनुसार पुनः समूहित नहीं किया गया है। इसके अलावा ऐसा करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। यहां तक कि लेखापरीक्षक को किए गए भुगतान को पिछले वर्ष के समूहन में पेशेवर और कानूनी खर्चों के साथ मिला दिया जाता है।	अनुपालन के लिए नोट किया गया है।
20	वित्तीय जोखिम ढांचे (नोट-32) में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों की कोई गणना हमें हमारे सत्यापन के लिए प्रदान नहीं की गई है।	अनुपालन के लिए नोट किया गया है।
21	पिछले वर्षों के आयकर गणना/निर्धारण आदेश की अनुपलब्धता के कारण आस्थगित कर आस्तियों और एमएटी क्रेडिट की वसूली/गणना सत्यापन योग्य नहीं है। इसका वित्तीय प्रभाव मात्रात्मक नहीं है।	आस्थगित कर आस्तियों की गणना आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है और लेखापरीक्षा के दौरान उपलब्ध कराई गई है।
22	वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और लागू लेखा मानकों के अनुपालन में अपेक्षित विवरण तैयार/प्रस्तुत/प्रदर्शित नहीं किए जाते हैं। विभिन्न निर्णयों की समीक्षा/सत्यापन के लिए हमें बोर्ड और विभिन्न समितियों का कोई कार्यवृत्त उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अलावा 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्रकाशित और मुद्रित वित्तीय विवरण (वार्षिक रिपोर्ट), हमारे द्वारा लेखा परीक्षित, हमारे द्वारा लेखा परीक्षित और	वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 और लागू IND-AS के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है। कंपनी में ऑडिटर का कोई दौरा नहीं हुआ और न ही इसके लिए इसकी मांग की गई थी।

	हस्ताक्षरित वास्तविक विवरणों से भिन्न हैं।	लेखापरीक्षा के दौरान निदेशक मंडल की बैठक का उद्घरण प्रदान किया गया है। लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और मुद्रित वित्तीय विवरणों (वार्षिक रिपोर्ट) में कोई अंतर नहीं है।
--	--	---

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति

**मेसर्स भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्य,
इंड-एस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट**

हमने मेसर्स भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के साथ-साथ इंड-एस वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2022 को बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित) शामिल है।, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और नोट नंबर 1 से 34 में शामिल अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (इसके बाद "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित)।

विपरीत राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के प्रतिकूल राय खंड के आधार में वर्णित मामलों के महत्व के कारण, जिसमें योग्यता के आधार के प्रभाव को पैरा 1 के तहत निर्धारित किया गया है। 22, पूर्वोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से नहीं देते हैं और राज्य के भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं देते हैं। 31 मार्च, 2022 को कंपनी के मामलों का, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए हानि, इक्विटी में परिवर्तन और उसके नकदी प्रवाह का विवरण।

प्रतिकूल राय के लिए आधार

1. सत्यापन के लिए हमें कोई अचल संपत्ति रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया गया था। कंपनी के अपने कर्मचारियों द्वारा संचालित अचल संपत्तियों की केवल मात्रात्मक भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रदान की गई थी, जिसमें कोई वित्तीय आंकड़े नहीं हैं जिनका वित्तीय विवरण से मिलान किया जा सके। इसके अलावा कई संपत्तियां जिन्हें पिछली भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में "क्षतिग्रस्त स्थिति" या "नहीं मिला" के रूप में चिह्नित किया गया था, उन्हें वर्तमान भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की सूची से हटा दिया गया है, लेकिन पुस्तकों में इसका कोई समायोजन प्रदान नहीं किया गया है। इसका वित्तीय प्रभाव मात्रात्मक नहीं है।
2. हमें प्रदान किया गया मूल्यहास चार्ट / गणना / मूल्यहास दर गलत है और वित्तीय विवरणों के आंकड़ों से संबंधित नहीं है। इसका वित्तीय प्रभाव मात्रात्मक नहीं है।

रु. का पूंजीगत कार्य प्रगति पर है। 3190.00 लाख आवास परिसर भवन से संबंधित अपूर्ण संरचना से संबंधित है जो 26 वर्षों से अधिक समय से लंबित है और समय के कारण अपूर्ण संरचना का उपयोग अब नहीं किया जा सकता है और इसे ध्वस्त करने की आवश्यकता है। पिछले वर्ष के दौरान कंपनी ने प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्य का पुनर्मूल्यांकन किया और 3168.07 लाख रुपये का पुनर्मूल्यांकन लाभ बुक किया। यहाँ 26 वर्ष से अधिक पुराने अधूरे अस्थाई ढाँचे

और 21.93 लाख रुपये की भूमि के निर्माण के लिए 65.00 लाख रुपये और भूमि के लिए 3124.95 लाख रुपये आंकी गई है। आगे कंपनी के पास ऐसे रिकॉर्ड नहीं हैं जो यह स्थापित करते हैं कि भूमि का मूल्य पूंजीगत कार्य का एक हिस्सा है जो प्रगति पर है। विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने ग्राम चोल में अपनी एक अन्य अचल संपत्ति अर्थात् भूमि और साइट विकास का पुनर्मूल्यांकन किया और रुपये का पुनर्मूल्यांकन लाभ बुक किया। 8006.51 लाख।

3. इंडएस-16 आवश्यकता है कि "एक वर्ग के भीतर सभी वस्तुओं को एक ही समय में पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए, कुछ संपत्तियों के चुनिंदा पुनर्मूल्यांकन को रोकने के लिए और वित्तीय विवरणों में विभिन्न तिथियों से लागत और मूल्यों के मिश्रण का खुलासा करने से बचने के लिए।" इस प्रकार कंपनी ने IndAS-16 के प्रावधानों का घोर उल्लंघन किया है। इसके अलावा कंपनी के पास अपनी परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई बोर्ड अनुमोदित नीति नहीं है।
4. इंडएस-16 के अनुसार, यदि पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप किसी परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में वृद्धि होती है, तो वृद्धि को अन्य व्यापक आय के रूप में मान्यता दी जाएगी और शीर्षक - पुनर्मूल्यांकन रिजर्व के तहत इक्विटी में देयता पक्ष में जमा/प्रविष्ट किया जाएगा, लेकिन कंपनी लाभ और हानि विवरण में व्यापक आय के तहत इसे दिखाने में विफल रहा और इंडएस-16 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए इसे गलत तरीके से प्रतिधारित आय के रूप में दर्ज किया गया।
5. इंडएस-36 के अनुसार, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पीपीई की हानि परीक्षण की आवश्यकता होती है, लेकिन कंपनी द्वारा कोई हानि परीक्षण नहीं किया गया था। इसका वित्तीय प्रभाव मात्रात्मक नहीं है।
6. लाभ और हानि के विवरण में, कंपनी ने रुपये पर आयकर व्यय दिखाया है। 93.38 लाख लेकिन नोट 30 के अनुसार आयकर देयता की गणना रुपये पर की जाती है। 269.50 लाख। खातों की किताबों में आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है और इस तरह बैलेंस शीट में इसे गलत तरीके से जोड़ा/प्रतिधारित कमाई के रूप में प्रदर्शित किया गया है। हालांकि वास्तविक कर देयता शून्य होनी चाहिए क्योंकि पुनर्मूल्यांकन लाभ पर कोई कर देय नहीं है।
7. कंपनी ने परिसर में सौर संयंत्र स्थापित किया है और फरवरी 2019 से नेट मीटरिंग शुरू की गई थी। हालांकि पट्टे पर दी गई संपत्ति की पहचान के लिए सभी तत्व संतुष्ट हैं, लेकिन कंपनी ने मूल पट्टा भुगतान के लिए पट्टा संपत्ति, पट्टा देयता, मूल्यहास, ब्याज और नकदी प्रवाह को मान्यता नहीं दी है। & ब्याज भुगतान। इसका वित्तीय प्रभाव मात्रात्मक नहीं है।
8. हमारे ऑडिट और इन्वेंटी वैल्यूएशन के लिए इन्वेंटी मूवमेंट रजिस्टर और लागत रिकॉर्ड हमें उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इसका वित्तीय प्रभाव मात्रात्मक नहीं है।
9. विविध देनदारों में रुपये की राशि शामिल है। वित्तीय विवरण के नोट 31 (एच) में दर्शाए गए 645.42 लाख, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (देनदार) द्वारा काटे गए वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 से संबंधित देर से वितरण शुल्क का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो इसकी वसूली के बारे में संदिग्ध हैं और उचित प्रावधान की आवश्यकता है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2015-16 के बाद से किसी भी देरी से वितरण शुल्क / अन्य कटौती का कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया था। हमारे सत्यापन के लिए कोई शेष राशि की पुष्टि / पार्टी विवरण और समाधान प्रदान नहीं किया गया है। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त अग्रिमों को प्राप्तियों के विरुद्ध समायोजित किया गया है। हमारे सत्यापन के लिए कोई शेष राशि की पुष्टि / पार्टी विवरण और समाधान प्रदान नहीं किया गया है। इसका वित्तीय प्रभाव मात्रात्मक नहीं है।
10. जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 31 (डी) में कहा गया है, कंपनी ने प्रदान किया है, लेकिन ग्रेच्युटी देयता के भुगतान में चूक की राशि रु। कर्मचारी विवरण के अभाव में तदर्थ आधार पर एलआईसी ऑफ इंडिया द्वारा मांग के अनुसार 450.00 लाख। वर्ष के अंत में उपदान का कोई बीमांकिक मूल्यांकन नहीं किया जाता है। इसका वित्तीय प्रभाव मात्रात्मक नहीं है।
11. रुपये की राशि। 78.06 लाख गैर-वर्तमान कर परिसंपत्तियों के नोट संख्या 7 में दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से रु। 68.76 लाख वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2020-21 तक काटे गए टीडीएस से संबंधित हैं, जिसके लिए कंपनी के

पास कोई मूल्यांकन विवरण उपलब्ध नहीं था और इस तरह की वसूली योग्य नहीं है। इसका वित्तीय प्रभाव मात्रात्मक नहीं है।

12. रुपये की सहायता अनुदान की दूसरी रिलीज। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी को निर्धारित परियोजना के लिए बीआईआरएसी से 273.91 लाख प्राप्त हुए हैं। पहले प्राप्त अनुदानों का कोई विवरण हमें उपलब्ध नहीं कराया गया था और इसलिए हम इसके उपयोग पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। फिर से, कंपनी ने IndAS-20 में प्रदान किए गए अनुदान के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताओं का उल्लंघन किया है। नोट 2.10 में, कंपनी ने खुलासा किया कि अनुदान को लाभ और हानि के माध्यम से भेजा जाना है। हालांकि, कंपनी द्वारा ऐसी किसी नीति का पालन नहीं किया गया है। नकद प्रवाह विवरण तैयार करते समय अनुदानों को न तो लाभ और हानि के माध्यम से भेजा जाता है और न ही उन पर विचार किया जाता है। आगे कोई अलग परियोजना लेखा तैयार नहीं किया जाता है और हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है। इसका वित्तीय प्रभाव मात्रात्मक नहीं है।
13. कंपनी रुपये दिखाती है। श्री सेठी से वसूली योग्य के रूप में 3,21,106 / - जबकि कंपनी ने रुपये के भुगतान की देयता स्वीकार कर ली है। 99,000/- माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष। इसलिए कंपनी का लाभ रुपये से अधिक है। 4,20,106/-.
14. लंबित कानूनी मामलों के लिए ज्ञात देनदारियों या आकस्मिक देयता के प्रकटीकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसका वित्तीय प्रभाव मात्रात्मक नहीं है।
15. नोट 13 में, कंपनी रुपये दिखाती है। राजस्व प्राधिकरण के पास शेष राशि के रूप में 1087.30 लाख, जिसमें जीएसटी क्रेडिट और जीएसटी टीडीएस की राशि शामिल है। पूरी राशि की वसूली संदेहास्पद है क्योंकि यह जीएसटी वेबसाइट पर प्रदर्शित शेष राशि से मेल नहीं खा रही है और कोई समाधान नहीं किया गया है। इसका वित्तीय प्रभाव मात्रात्मक नहीं है।
16. कंपनी ने किए गए प्रावधानों पर जीएसटी इनपुट बुक किया है, जिसके लिए चालान अभी भी जारी नहीं किए गए हैं, इस प्रकार कंपनी इनपुट की गलत / अवैध बुकिंग द्वारा जीएसटी का कम भुगतान कर रही है। इसका वित्तीय प्रभाव मात्रात्मक नहीं है।
17. कंपनी अपने विभिन्न अंतिम उत्पादों के आधार पर खंड रिपोर्टिंग का अनुसरण करती है। हालांकि, कंपनी द्वारा हमें लाभ/हानि या परिसंपत्ति/देयताओं के आवंटन के आधार पर रिपोर्ट करने योग्य खंडों की पहचान के लिए कोई नीति संबंधी रिट उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके अलावा खंड रिपोर्टिंग में रिपोर्ट किए गए पिछले वर्ष के आंकड़े कंपनी के बैलेंस शीट में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों से मेल नहीं खाते / मेल नहीं खाते हैं। हमारे सत्यापन के लिए रिपोर्ट किए गए आंकड़ों की कोई गणना हमें प्रदान नहीं की गई है।
18. नोट 6 के अनुसार, कंपनी के पास रुपये की सुरक्षा जमा राशि है। 44.84 लाख, लेकिन इसका कोई विवरण कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि इन राशियों की वसूली संदिग्ध है। इस प्रकार, इसके लिए आवश्यक प्रावधान की आवश्यकता है। इस प्रकार, कंपनी का मुनाफा 44.84 लाख रुपये से अधिक बताया गया है।
19. पिछले वर्ष की तुलना में कई आंकड़ों को अलग-अलग समूहों में बांटा गया है, लेकिन संबंधित आंकड़ों को तदनुसार पुनः समूहित नहीं किया गया है। इसके अलावा ऐसा करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। यहां तक कि लेखापरीक्षक को किए गए भुगतान को पिछले वर्ष के समूहन में पेशेवर और कानूनी खर्चों के साथ मिला दिया जाता है।
20. वित्तीय जोखिम ढांचे (नोट-32) में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों की कोई गणना हमें हमारे सत्यापन के लिए प्रदान नहीं की गई है।
21. पिछले वर्षों के आयकर गणना/निर्धारण आदेश की अनुपलब्धता के कारण आस्थगित कर आस्तियों और एमएटी क्रेडिट की वसूली/गणना सत्यापन योग्य नहीं है। इसका वित्तीय प्रभाव मात्रात्मक नहीं है।
22. वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और लागू लेखा मानकों के अनुपालन में अपेक्षित विवरण तैयार/प्रस्तुत/प्रदर्शित नहीं किए जाते हैं। विभिन्न निर्णयों की समीक्षा/सत्यापन के लिए हमें बोर्ड और विभिन्न समितियों का कोई कार्यवृत्त उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अलावा 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्रकाशित और मुद्रित वित्तीय विवरण (वार्षिक रिपोर्ट), हमारे द्वारा लेखा परीक्षित, हमारे द्वारा लेखा परीक्षित

और हस्ताक्षरित वास्तविक विवरणों से भिन्न हैं। हमने अधिनियम (एसए) की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग के मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी के लिए स्वतंत्र हैं, साथ ही स्वतंत्रता आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम के प्रावधानों और बनाए गए नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं। इसके तहत, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है।

मामलों पर जोर

1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में सूचना का गैर-प्रस्तुतीकरण। इस संबंध में संदर्भ नोट सं. 31 (जी)
2. नोट संख्या 31 (एफ) पर ध्यान आकर्षित किया जाता है, कंपनी को भारत सरकार से विभिन्न अनुदान प्राप्त हुए थे। इन अनुदानों का उपयोग उसी के अनुसार किया जाना चाहिए, जैसा कि स्वीकृति आदेश में परिभाषित किया गया है। लेकिन 31 मार्च 2022 को निर्धारित समापन तिथि की समाप्ति के बाद भी महत्वपूर्ण राशि अव्ययित पड़ी है।
3. नोट 8 में, कंपनी ने रु। 1661.47 लाख आस्थगित कर संपत्ति के रूप में और रु। 441.17 लाख मैट क्रेडिट के रूप में। IND-AS और प्रूडेंस अवधारणा के अनुसार आस्थगित कर संपत्ति और MAT क्रेडिट को केवल उसी सीमा तक मान्यता दी जानी है, जिसका उपयोग आने वाले वर्षों में किया जा सकता है। प्रबंधन का विचार है कि परियोजना उपलब्ध होने के कारण, यह उचित हो गया है कि पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध आस्थगित कर संपत्ति की वसूली की जा सकती है। हालांकि, अव्ययित एमएटी क्रेडिट की शुद्धता के सत्यापन के लिए आयकर रिकॉर्ड हमें उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
4. कंपनी द्वारा देनदारों और लेनदारों से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं की गई थी।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

अनु क्रमांक	मुख्य लेखा परीक्षा मामला	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
1	<p>भूमि और साइट विकास का पुनर्मूल्यांकन</p> <p>कंपनी ने वर्ष के दौरान "भूमि और साइट विकास" का पुनर्मूल्यांकन किया और रुपये के पुनर्मूल्यांकन लाभ को बुक किया। 8006.51 लाख।</p> <p>हमने "भूमि और साइट विकास" के पुनर्मूल्यांकन को इसकी प्रकृति और</p>	<p>हमारी लेखापरीक्षा योजना/प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "भूमि और स्थल विकास" के पुनर्मूल्यांकन की पहचान और आवश्यकताओं से संबंधित प्रक्रिया की समझ प्राप्त करना। • परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन और लागू लेखा मानकों के साथ नीति के अनुपालन के लिए कंपनी की लेखा नीति की उपयुक्तता का आकलन करना;

	<p>कंपनी की वित्तीय स्थिति पर इसके प्रभाव के कारण एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना, जिसमें गलत विवरण का एक अंतर्निहित जोखिम था।</p>	<ul style="list-style-type: none"> • "भूमि और साइट विकास" के मूल्यांकन में बाहरी मूल्यांकनकर्ता द्वारा निष्पादित मूल्यांकन प्रक्रिया की समझ प्राप्त करना <p>हालांकि, हम मेसर्स ग्लोबल (आई) इंटरनेशनल, दिल्ली की मूल्यांकन रिपोर्ट को छोड़कर कंपनी से कोई जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं कर सके। पुनर्मूल्यांकन के लिए इंडएस-16 के प्रावधानों का भी घोर उल्लंघन किया गया है।</p>
2	<p>इन्वेंटरी का मूल्यांकन</p> <p>वित्तीय विवरणों के लिए नोट 9 देखें। हमने इन्वेंट्री के मूल्यांकन को एक प्रमुख ऑडिट मामले के रूप में पहचाना क्योंकि इसमें स्टॉक के वहन मूल्य का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय शामिल हैं।</p>	<p>हमारी लेखापरीक्षा योजना/प्रक्रियाओं में, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित शामिल हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> • स्टॉक के मूल्यांकन के लिए कंपनी की लेखा नीति की उपयुक्तता का आकलन और मौजूदा लेखा मानकों की आवश्यकताओं के साथ नीति का अनुपालन; • नमूना आधार पर स्टॉक के मूल्यांकन और परीक्षण, उनके डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना; • शुद्ध वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी) के प्रबंधन के निर्धारण और अपनाए गए प्रमुख अनुमानों की समझ प्राप्त करना और मूल्यांकन करना, भविष्य की बिक्री कीमतों और बिक्री और उनके आधार को बनाने के लिए आवश्यक लागतों सहित; तथा • लेखा नीति के अनुसार व्यापार में स्टॉक के मूल्य के लिए किसी समायोजन की आवश्यकता है या नहीं, इसका आकलन करने के लिए स्टॉक-इन-ट्रेड की लागत के लिए नमूना आधार पर एनआरवी की तुलना करना। <p>हालांकि, कंपनी ने कोई स्टॉक वैल्यूएशन और मूवमेंट रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया है। इसके अलावा प्रदान किए गए विवरण भी अपुष्ट/अस्पष्टीकृत हैं। इन्वेंट्री के लिए इंडएस-2 के प्रावधानों का भी पालन नहीं किया जाता है।</p>

के अलावा अन्य जानकारी वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में शामिल जानकारी, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक सहित बोर्ड की रिपोर्ट, व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करता है और हम उस पर किसी भी प्रकार के

आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा प्रतीत होती है भौतिक रूप से गलत होना। यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का एक महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है।

हालांकि, हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्रकाशित और मुद्रित वित्तीय विवरण (वार्षिक रिपोर्ट), हमारे द्वारा लेखा परीक्षित और हस्ताक्षरित वास्तविक विवरणों से भिन्न हैं। फिर से, कंपनी द्वारा हमें इन अंतरों का कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अलावा चालू वर्ष के लिए ऐसी कोई रिपोर्ट/सूचना हमें हमारे पढ़ने और तुलना के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई थी और इस तरह हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

प्रबंधन की जिम्मेदारी वित्तीय विवरण

कंपनी का प्रबंधन / निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के संबंध में जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, परिवर्तन के बारे में एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की इकटिटी और नकदी प्रवाह। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव,

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या बंद करने का इरादा नहीं रखता है, तब तक चल रहे चिंता से संबंधित मामलों का खुलासा करना और लेखांकन के आधार पर चलने वाली चिंता के आधार का उपयोग करना है। संचालन, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।

के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा

हमारे उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम भी:

- पहचानें और वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने

वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।

- प्राप्तपरिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करें और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता।

- उपयुक्तता पर निष्कर्षप्रबंधन द्वारा लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के उपयोग के आधार पर और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू चिंता के रूप में काम करना बंद कर सकती है।

- मूल्यांकन करनावित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री, प्रकटीकरण सहित, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हमने शासन के आरोपित लोगों को एक बयान के साथ प्रदान किया है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों को संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद किए गए मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण थेवर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की उचित रूप से अपेक्षा की जाएगी इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

a) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे, हालांकि, जैसा कि प्रासंगिक स्थानों पर रिपोर्ट किया गया था, कुछ जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

b) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों को तब तक नहीं रखा गया है, जैसा कि

उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

c) बैलेंस शीट, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए कैश फ्लो का विवरण संबंधित खाते की पुस्तकों के अनुरूप नहीं है।

d) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण सामान्य रूप से कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट इंड-एस का अनुपालन नहीं करते हैं।

e) सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) कंपनी पर लागू नहीं होती है।

f) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक ए" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

g) सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 (16) कंपनी पर लागू नहीं होती है।

h) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि हमारी राय में संशोधित है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :

i. कंपनी ने हमें हमारे सत्यापन के लिए लंबित मुकदमों के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराए हैं। इसके अलावा, कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के किसी भी प्रभाव का खुलासा नहीं किया है और तदनुसार हम उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई वास्तविक नुकसान हो सकता है।

iii. कंपनी को किसी भी राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") द्वारा आवश्यक है, हम अनुलग्नक "बी" में देते हैं, a आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर बयान।

3. जैसा कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 143(5) के तहत जारी निर्देशों के माध्यम से आवश्यक है, हम संलग्न अनुलग्नक "सी" में एक रिपोर्ट देते हैं।

के लियेरसूल सिंघल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(एफआरएन: 500015एन)

दिनांक: 10.08.2022

जगह: दिल्ली

यूडीआईएन: 22074227एओटीटीएक्सई5220

सीए जितेंद्र गोयल
साझेदार
एम नंबर 074227

"अनुलग्नक-ए" स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए

(निर्दिष्ट मेसर्स भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के तहत पैरा 1 (एफ) में सम तिथि)

प्रतिवेदन कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर

हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है मेसर्स भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") 31 मार्च, 2022 तक उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में।

प्रबंधन का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए उत्तरदायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो संबंधित कंपनी की नीतियों के पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता,

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और कंपनियों की धारा 143(10) के तहत निर्धारित ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। अधिनियम, 2013, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किया है, वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

अर्थवित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो-

(1) संबद्ध होनारिकॉर्ड के रखरखाव के लिए, उचित विवरण में, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाता है;

(2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा

(3) उचित प्रदान करें कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में आश्वासन, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

स्वाभाविक हदवित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड शामिल हैं, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री बिगड़ सकता है।

हमारी कोई जवाबदारी नहीं है

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों के आधार पर या मानदंडों के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपना आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित नहीं किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया।

इस कारण से, हम अपनी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण था और क्या ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में लागू किए गए ऑडिट परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर बताए गए अस्वीकरण पर विचार किया है, और अस्वीकरण कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करता है।

के लियेरसूल सिंघल एंड
कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(एफआरएन: 500015एन)

दिनांक: 10.08.2022

जगह: दिल्ली

यूडीआईएन: 22074227एओटीटीएक्सई5220

सीए जितेंद्र गोयल
साझेदार
एम नंबर 074227

"अनुलग्नक- बी"स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए

(निर्दिष्ट मेसर्स भारत इम्प्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के तहत पैरा 2 में।

प्रस्तुत जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर हमें और हमारी लेखा परीक्षा के सामान्य क्रम में हमारे द्वारा जाँची गई पुस्तकों और अभिलेखों को, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- (i) (ए) कोई अचल संपत्ति रिकॉर्ड, जिसमें खरीद की तारीख, संपत्ति का विवरण, संपत्ति का वर्ग, मात्रा, खरीद की लागत, अचल संपत्तियों की स्थिति आदि शामिल हैं, हमें हमारे सत्यापन के लिए प्रदान नहीं किया गया है।
- (b) जैसा कि प्रबंधन द्वारा रिपोर्ट किया गया है, इसकी अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन वार्षिक आधार पर अपने स्वयं के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है और कोई संपत्तियां जिन्हें पिछली भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में "क्षतिग्रस्त स्थिति" या "नहीं मिला" के रूप में चिह्नित किया गया था, उन्हें वर्तमान भौतिक सत्यापन रिपोर्ट की सूची से हटा दिया गया है, लेकिन खातों की पुस्तकों में इसका कोई समायोजन प्रदान नहीं किया गया है। इसके अलावा अचल संपत्तियों की सूची, जिसके लिए भौतिक सत्यापन किया गया है, वित्तीय विवरणों में अचल संपत्तियों के आंकड़ों से मेल नहीं खाता / सह-संबंधित नहीं है।
- (c) जैसा कि हमें समझाया गया है और हमें दी गई जानकारी के अनुसार अचल संपत्ति के लिए कंपनी के नाम पर कोई शीर्षक विलेख उपलब्ध नहीं हैं, इसके बजाय कंपनी के पास भारत सरकार, विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 28 मई, 1992 के आवंटन पत्र थे। और प्रौद्योगिकी-कंपनी के नाम पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग। नीचे दिया गया विवरण:

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य	के नाम पर आयोजित	क्या प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	अवधि आयोजित - सीमा इंगित करें, जहां उपयुक्त हो	कंपनी के नाम न होने का कारण*
बिबकोल, ओपीवी प्लांट ग्राम चोला, बुलंदशहर में भूमि - 50 एकड़	रु. 8408.08 लाख	विवरण उपलब्ध नहीं है	विवरण उपलब्ध नहीं है	विवरण उपलब्ध नहीं है	केवल आवंटन आदेश दिनांक 28 मई 1992, कोई शीर्षक दस्तावेज़ नहीं
आवासीय कॉलोनी, ग्राम गंगेरवा बुलंदशहर में भूमि - 9.43 एकड़ (10 एकड़ कम 0.57 एकड़ अनिवार्य रूप से अधिग्रहित)	रु. 3190.00 लाख	विवरण उपलब्ध नहीं है	विवरण उपलब्ध नहीं है	विवरण उपलब्ध नहीं है	केवल आवंटन आदेश दिनांक 28 मई 1992, कोई शीर्षक दस्तावेज़ नहीं

- (d) वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी निश्चित संपत्ति अर्थात् भूमि और साइट विकास का पुनर्मूल्यांकन किया और मूल्यांकन रिपोर्ट मेसर्स ग्लोबल (आई) इंटरनेशनल द्वारा दी गई है। हम यह सत्यापित करने में असमर्थ हैं कि मूल्यांकनकर्ता पंजीकृत है या नहीं। संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन में इंडएस-16 के प्रावधानों का घोर उल्लंघन किया गया है। कंपनी ने रुपये का पुनर्मूल्यांकन लाभ बुक किया। वर्ष के दौरान 8006.51 लाख। पहले के वर्ष में भी कंपनी ने अपनी एक और संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन किया है और रुपये का पुनर्मूल्यांकन लाभ बुक किया है। 3168.07 लाख।
- (e) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ शुरू की गई या लंबित किसी भी कार्यवाही के संबंध में कंपनी द्वारा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

- (ii) (ए) वर्ष के दौरान, प्रबंधन द्वारा सूची के भौतिक सत्यापन की सूचना नहीं दी जाती है।

- (b) कंपनी ने केनरा बैंक से चालू संपत्ति की सुरक्षा के आधार पर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा को मंजूरी दी है। हालांकि, कोई भी दस्तावेज, जो बैंक को जमा किया गया है, हमें सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया।
- (iii) जैसा कि कंपनी द्वारा रिपोर्ट किया गया है, वर्ष के दौरान कंपनी ने निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टी को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान किया है।
- (iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के तहत आने वाली कंपनियों को कोई ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूतियां नहीं दी गई हैं।
- (v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने धारा 73 से 76 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। तथापि, विविध लेनदारों/सुरक्षा जमाराशियों के बकाया शेष हैं जिनका भुगतान वर्षों से नहीं किया जाता है, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार डीमड डिपॉजिट माना जा सकता है।
- (vi) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड का रखरखाव, कंपनी पर लागू होता है। हालांकि, हमारे सत्यापन के लिए ऐसा कोई लागत रिकॉर्ड और खाता हमें उपलब्ध नहीं कराया गया था, इसलिए हम ऐसे लागत रिकॉर्ड के रखरखाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
- (vii) कंपनी का प्रबंधन हमें वैधानिक देय राशियों को सत्यापित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज/स्पष्टीकरण प्रदान नहीं कर सका। इस प्रकार:
- (a) हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और किसी भी अन्य वैधानिक सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित है। उपयुक्त अधिकारियों को बकाया है या नहीं।
- (b) हम यह टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या कंपनी के पास कोई विवाद है जिसके परिणामस्वरूप आयकर या बिक्री कर या सेवा कर या सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या मूल्य वर्धित कर, जीएसटी इत्यादि के तहत मांगें हुई हैं, जिन्हें जमा नहीं किया गया है कंपनी।
- (viii) कंपनी ने उनके कर निर्धारण का कोई विवरण प्रदान नहीं किया है, इसलिए हम यह सत्यापित करने में असमर्थ हैं कि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान खाते की पुस्तकों में दर्ज नहीं किए गए किसी भी लेनदेन को आत्मसमर्पण या आय के रूप में प्रकट किया गया है या नहीं या नहीं।
- (ix) कंपनी का प्रबंधन हमें यह सत्यापित करने के लिए मंजूरी की शर्तें और अन्य आवश्यक दस्तावेज / स्पष्टीकरण प्रदान नहीं कर सका कि क्या कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार को ऋण चुकाने या उधार लेने में चूक की है। इसलिए, हम इस तरह की चूक, यदि कोई हो, पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
- (x) (ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लिखतों सहित) और सावधि ऋणों से कोई धन नहीं जुटाया है।
- (b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।
- (xi) (ए) कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई धोखाधड़ी प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान नोटिस या रिपोर्ट नहीं की गई है।
- (b) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में केंद्र सरकार के पास कोई रिपोर्ट दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। साल;

- (c) कंपनी द्वारा व्हिसल ब्लोअर शिकायतों के संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया है। ऐसे में हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
- (xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है; इस प्रकार, यह पैरा लागू नहीं होता है।
- (xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, हालांकि प्रासंगिक दस्तावेजों के अभाव में हम इसे सत्यापित करने में असमर्थ हैं। इसके अलावा, वित्तीय विवरणों में इस तरह के लेनदेन के किसी भी विवरण का खुलासा नहीं किया गया है, जैसा कि लागू लेखा मानकों द्वारा आवश्यक है।
- (xiv) (ए) कंपनी के पास एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है लेकिन वह न तो अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है और न ही इसकी रिपोर्ट समय पर लेखा परीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत/विचार की जाती है; (बी) ऑडिट के तहत अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा विचार किया गया था।
- (xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान निदेशकों या इससे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है।
- (xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम 1934 की धारा 45-IA के तहत खुद को पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है।
- (xvii) विचाराधीन वर्ष के दौरान कंपनी को रुपये का नकद घाटा हुआ। 854.09 लाख और रु. ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 1787.60 लाख।
- (xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।
- (xix) वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के लेखा परीक्षक के ज्ञान के आधार पर, हमारी राय है कि वहाँ है कंपनी की बैलेंस शीट की तारीख पर मौजूदा देनदारियों को पूरा करने की क्षमता पर ऑडिट रिपोर्ट की तारीख के अनुसार एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है और जब वे बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होते हैं।
- (xx) (ए) कंपनी को हुए नुकसान के कारण कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
(बी) कंपनी को हुए नुकसान के कारण कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- (xxi) एक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण होने के कारण लागू नहीं है।

के लियेरसूल सिंघल एंड
कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(एफआरएन: 500015एन)

दिनांक: 10.08.2022

जगह: दिल्ली

यूडीआईएन: 22074227एओटीटीएक्सई5220

गोयल

सीए जितेंद्र

साझेदार

एम नंबर 074227

अनुलग्नकस्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए 'सी'

कंट्रोलरभारत के महालेखा परीक्षक ने वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत कोई निर्देश जारी नहीं किया है। तथापि, हमने वर्ष 2021-22 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा धारा के तहत जारी निर्देशों के आधार पर मैसर्स भारत इम्यूनोलॉजी एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में क्षेत्रों की जांच की है। पिछले वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के 143(5)।

सीनियर नहीं।	क्षेत्र की जांच	प्रेक्षण/निष्कर्ष
1.	क्या आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कंपनी के पास प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, कहा जा सकता है।	कंपनी के पास लेखांकन लेनदेन को मैनुअल रूप से दर्ज करने की एक प्रणाली है जिसे टैली सॉफ्टवेयर द्वारा आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित किया जाता है। इसके अलावा, सात अलग-अलग खाता बहियों को सॉफ्टवेयर पर रखा जाता है और उन्हें एकीकृत नहीं किया जाता है, हालांकि आईटी सिस्टम के बाहर कोई लेखांकन लेनदेन संसाधित नहीं होता है। वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए सभी सात ट्रायल बैलेंस को मैनुअल रूप से एक साथ मिला दिया जाता है। इसके अलावा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बिना किसी ऑडिट ट्रेल के दर्ज किए गए डेटा में बैक डेटिंग और संशोधन की अनुमति देता है, जिससे डेटा अखंडता पर वर्ष की हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्रबंधन द्वारा रिपोर्ट किए गए और/या देखे गए ऋणों/ऋणों/ब्याज के पुनर्गठन/छूट/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है। हालांकि, कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के कारण, बैंक ने अपनी स्वीकृत नीतियों के अनुसार रियायतें/नए वित्त पोषण की अनुमति दी है।
2.	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण की कोई पुनर्चना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में बताया जा सकता है।	

3.	<p>क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।</p>	<p>विचाराधीन वर्ष के दौरान, जैसा कि प्रबंधन द्वारा रिपोर्ट किया गया है, रु. केन्द्रीय एजेंसी की एक योजना के तहत प्राप्त 273.91 लाख।</p> <p>तथापि, कंपनी द्वारा केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि और हमारी लेखापरीक्षा के लिए इसके उपयोग के लिए कोई विवरण/दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।</p> <p>यद्यपि यह स्पष्ट किया गया है कि इन निधियों का लेखा नोटों के नोट संख्या-31(एफ) में बताए गए को छोड़कर, इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था।</p>
----	--	--

के लियेरसूल सिंघल एंड
कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
(एफआरएन: 500015एन)

दिनांक: 10.08.2022
जगह: दिल्ली
यूडीआईएन: 22074227एओटीटीएक्सई5220

सीए जितेंद्र गोयल
साझेदार
एम नंबर 074227

31 मार्च, 2022 को बैलेंस शीट

(राशि लाख में)

विवरण	टिप्पणनं०।	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
ए संपात्ति			
1 गर तात्कालिक पारसंपात्ति			
(ए) संपात्ति, सयंत्र और उपकरण	4	8,408.08	422.84
(बी) पूजागत काय-प्रगाति	-	3,190.00	3,190.00
(सी) वित्तीय संपात्ति	5	906.33	1,251.67
(डी) अन्य गर-चालू संपात्ति	6	44.84	44.84
(ई) गर चालू कर संपात्ति (शुद्ध)	7	78.06	84.54
(च) आस्थागत कर संपात्ति (शुद्ध)	8	2,102.63	2,009.25
		14,729.94	7,003.15
2 वतमान संपात्ति			
(ए) सूची	9	3,624.97	1,349.04
(बी) वित्तीय संपात्ति			
(i) निवेश	-		
(ii) व्यापार प्राप्तिया	10	113.29	1.05
(iii) नकद और नकद समकक्ष	11	464.30	122.70
(iii) उपरोक्त (ii) के अलावा अन्य बैंक शेष	12	836.65	930.88
(सी) अन्य वतमान संपात्ति	13	1,503.66	991.75
		6,542.88	3,395.42
	कुल	21,272.86	10,398.58
ब इक्विटी और देयता			
1 हिस्सेदारी			
(ए) इक्विटी शेयर पूजा	14	4,318.00	4,318.00
(बी) अन्य इक्विटी	15	6,217.32	(913.89)
		10,535.32	3,404.11
2 गर माजूदा देनदारिया			
(ए) आस्थागत अनुदान	16	-	0
(बी) दीर्घकालिक प्रावधान	17	611.15	585.39
		611.15	585.39
3 वतमान देनदारिया			
(ए) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	18	7,788.50	2,729.34
(ii) व्यापार देय	19	86.94	1,479.32
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20	118.75	49.81
(बी) आस्थागत अनुदान	16	-	-
(सी) अल्पकालिक प्रावधान	21	535.18	441.95
(डी) अन्य वतमान देनदारिया	22	1,597.03	1,708.66
		10,126.39	6,409.07
	कुल	21,272.86	10,398.58

संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनते हुए संलग्न नोट देखें।

रसूल सिंघल एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

FRN-500015N

सीए जितेंद्र गोयल

साझेदार

एम.नंबर 074227

(राजीव कुमार शुक्ला)

स्थान : दिल्ली उपाध्यक्ष - राष्ट्रपति

दिनांक: 10.08.2022 पैन: ADKPS1169B

(संदीप कुमार लाल)

कंपनी सचिव

पैन: एबीडीपीएल9540एल

(संजय कुमार मिश्रा)

प्रबंध संचालक

दीन-07363048

(योगेंद्र कुमार गुप्ता)

अध्यक्ष

दीन-03432845

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(राशि लाख में)

	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च, 2021
ए	सतत संचालन			
1	संचालन से राजस्व	23	7,838.80	8,533.36
2	अन्य आय	24	110.23	167.93
3	कुल राजस्व (1+2)		7,949.03	8,701.29
4	खर्च			
	(ए) खपत सामग्री का लागत	25	5,918.51	6,105.99
	(बी) स्टॉक-इन-ट्रेड का खरीद		-	-
	(सी) तैयार माल का सूची में परिवर्तन, कार्य-प्रगति और स्टॉक-इन-ट्रेड	26	44.46	2,014.53
	(डी) कर्मचारी लाभ व्यय	27	1,384.91	1,444.49
	(ई) वित्त लागत	28	559.17	477.74
	(च) मूल्यहास और परेशाधन व्यय	4	21.27	23.67
	(छ) अन्य खर्च	29	989.46	1,055.64
	कुल खर्च		8,917.77	11,122.06
5	लाभ/(हानि) असाधारण और कर से पहले (3 - 4)		(968.74)	(2,420.78)
6	असाधारण आइटम		-	-
7	असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ / (हानि) (5 + 6)		(968.74)	(2,420.78)
8	असाधारण सामग्री			
9	कर पूर्व लाभ/(हानि) (7 + 8)		(968.74)	(2,420.78)
10	कर व्यय:			
	(ए) चालू वर्ष के लिए वर्तमान कर व्यय			
	(बी) (कम): एमएटी क्रेडिट (जहां लागू हो)		-	0
	(सी) पिछले वर्षों से संबंधित वर्तमान कर व्यय		-	0
	(डी) शुद्ध वर्तमान कर व्यय		-	0
	(ई) आस्थायिक कर		(93.38)	(609.50)
11	कर के बाद लाभ / (हानि)		(875.36)	(1,811.27)
12	अन्य व्यापक आय			
	(i) व आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			3,168.07
	(ii) उपरोक्त से संबंधित आयकर		-	(881.36)
	कुल अन्य व्यापक आय		-	2,286.71
13	कुल लाभ/(हानि) (11+12)		(875.36)	475.44
	इकिटा का प्रति शेयर आय- नाममात्र मूल्य प्रति शेयर 10/- रुपये प्रत्येक			
	सतत संचालन			
14	बुनयादा		(2.03)	1.10
	पतला		(2.03)	1.10

संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनते हुए संलग्न नोट देखें।

रसूल सिंघल एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN-500015N

सीए जितेंद्र गोयल
साझेदार
एम.नंबर 074227
(राजीव कुमार शुक्ला)
स्थान : दिल्ली उपाध्यक्ष - राष्ट्रपति
दिनांक: 10.08.2022 पैन: ADKPS1169B

(संदीप कुमार लाल)
कंपनी सचिव
पैन:एबीडीपीएल9540एल

(संजय कुमार मिश्रा)
प्रबंध संचालक
दीन-07363048

(योगेंद्र कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष
दीन-03432845

2021-22 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(राशि लाख में)

ब्योरा	2021-22	2020-21
ए प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह:		
अतिरिक्त ऑर्डर से पहले शुद्ध लाभ / हानि	(968.74)	(2,420.78)
के लिए समायोजन:	-	-
मूल्यहास प्रदान किया गया	21.27	23.67
अन्य व्यापक व्यय	-	3,168.07
ब्याज व्यय	559.17	477.74
पूर्व अविधि समायोजन	-	-
ब्याज आय	(53.11)	(66.87)
डब्ल्यू पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ / (हानि)	(441.42)	1,181.83
के लिए समायोजन:		
(वृद्धि) / व्यापार प्राप्तियों में कमी	(112.25)	1,760.33
(वृद्धि) / सूची में कमी	(2,275.93)	3,822.84
(वृद्धि) / अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों में कमी	(505.43)	187.22
व्यापार देय में वृद्धि / (कमी)	(1,392.38)	(2,873.83)
(वृद्धि) / प्रावधान में कमी	119.00	374.57
(वृद्धि) / वित्त आस्तियों में कमी	345.35	111.65
सरकारी अनुदान में वृद्धि/(कमी)	-	-
वर्तमान देनदारियों में वृद्धि / (कमी)	(111.63)	(3,578.96)
अन्य वित्तीय दायित्व में वृद्धि/(कमी)	68.94	11.57
अन्य बैंक बैलेंस में वृद्धि / (कमी)	94.23	180.46
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद	(4,211.52)	1,177.69
बी निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल संपत्तियों की खरीद	-	-
अचल संपत्तियों की बिक्री	-	-
ब्याज आय	53.11	66.87
निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया कुल नकद	53.12	66.88
सी वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
आस्थायित अनुदान में वृद्धि/(कमी)	-	-
कैपिटल कार्य - प्रगति पर	-	(3,168.07)
बैंक उधार में वृद्धि / (कमी)	5,059.16	2,425.49
ब्याज व्यय	(559.17)	(477.74)
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकद	4,500.01	(1,220.30)
नकद और नकद समकक्षा में शुद्ध कमी / वृद्धि	341.54	24.19
जोड़:		
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य	122.70	98.50
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	464.30	122.70

संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनते हुए संलग्न नोट देखें।

रसूल सिंघल एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

FRN-500015N

सीए जितेंद्र गोयल

साझेदार

एम.नंबर 074227

(राजीव कुमार शुक्ला)

स्थान : दिल्ली उपाध्यक्ष - राष्ट्रपति

दिनांक: 10.08.2022 पैन: ADKPS1169B

(संदीप कुमार लाल)

कंपनी सचिव

पैन:एबीडीपीएल9540एल

(संजय कुमार मिश्रा)

प्रबंध संचालक

दीन-07363048

(योगेंद्र कुमार गुप्ता)

अध्यक्ष

दीन-03432845

नोट नंबर 1 कॉर्पोरेट जानकारी

भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ("BIBCOL" या कंपनी) भारत में निगमित और अधिवासित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय ग्राम चोला, बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) में स्थित है।

कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं।

कंपनी ओरल पोलियो वैक्सीन, जिंक टैबलेट, डायरेहा मैनेजमेंट किट और बीआईबी स्वीट टैबलेट के निर्माण में लगी हुई है। कंपनी के वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए हैं और भारतीय रुपये में कार्यात्मक मुद्रा के रूप में तैयार किए गए हैं। भारतीय रुपये में मूल्य लाख के लिए पूर्णांकित हैं, सिवाय अन्यथा संकेत के।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 30.05.2022 को जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया था और यह शेयरधारकों द्वारा वार्षिक आम बैठक में अपनाने के अधीन है।

नोट नंबर 2 महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

इंड-एएस . के अनुपालन का विवरण

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी रूप से संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों ('इंड एसएस') के अनुपालन के लिए तैयार किए गए हैं। कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 (भारतीय जीएएपी) के पैरा 7 के साथ पढ़ा गया। 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष तक, कंपनी ने भारतीय GAAP की आवश्यकता के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं, जिसमें कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के तहत अधिसूचित मानक शामिल हैं और जिन्हें "पिछला GAAP" माना जाता है।

कंपनी (भारतीय खाता मानक) नियम 2015 (जैसा संशोधित) के तहत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी और अधिसूचित सभी इंड एसएस, जब तक कि निदेशक मंडल द्वारा जारी करने के लिए वित्तीय विवरणों को मंजूरी नहीं दी जाती है, इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में विचार किया गया है।

तैयारी का आधार

ये वित्तीय विवरण निम्नलिखित को छोड़कर ऐतिहासिक लागत के आधार पर इंड-एएस के अनुसार तैयार किए गए हैं।

- i) कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देनदारियां - उचित मूल्य पर मापी जाती हैं और
- ii) परिभाषित लाभ योजना- उचित मूल्य पर मापी गई संयंत्र संपत्ति।

ऐतिहासिक लागत आम तौर पर माल और सेवा के बदले प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होती है।

कंपनी चालू/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर बैलेंस शीट में संपत्ति और देनदारियों को प्रस्तुत करती है। एक परिसंपत्ति को चालू माना जाता है जब वह है:

- i) सामान्य परिचालन चक्र में प्राप्त होने या बेचने या उपभोग करने का इरादा होने की उम्मीद है,
- ii) मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है,
- iii) रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद है,
- iv) नकद या नकद समकक्ष जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए विनिमय किए जाने या देयता का निपटान करने से प्रतिबंधित न हो, या
- v) गैर-वर्तमान वित्तीय आस्तियों के वर्तमान भाग को वहन करना। अन्य सभी संपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एक दायित्व चालू होता है जब:

- i) इसके सामान्य परिचालन चक्र में व्यवस्थित होने की उम्मीद है,
- ii) यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है,
- iii) यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर निपटाया जाना है,
- iv) रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है, या
- v) इसमें गैर-वर्तमान वित्तीय देनदारियों का वर्तमान भाग शामिल है। अन्य सभी देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है

राजस्व मान्यता

राजस्व को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि कंपनी को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है और राजस्व को मज़बूती से मापा जा सकता है। कंपनी माल की बिक्री को मान्यता देती है जब स्वामित्व के महत्वपूर्ण जोखिम और पुरस्कार खरीदार को हस्तांतरित किए जाते हैं, आमतौर पर माल की डिलीवरी पर

राजस्व को प्राप्त / प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है, जिसमें छूट, मात्रा में छूट और सरकार की ओर से एकत्र किए गए करों या शुल्क को छोड़कर भुगतान की संविदात्मक रूप से परिभाषित शर्तों को ध्यान में रखा जाता है।

एक वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय को मान्यता दी जाती है जब यह संभव है कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होगा और आय की राशि को मज़बूती से मापा जा सकता है। ब्याज आय एक समय के आधार पर, बकाया मूलधन के संदर्भ में और लागू होने वाली ब्याज दर के आधार पर अर्जित की जाती है, प्रारंभिक मान्यता पर उस परिसंपत्ति की निवल अग्रणीत राशि पर वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन काल के दौरान अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों को सटीक रूप से छूट देता है।

बीमा दावों को स्वीकार किए गए/स्वीकार किए जाने की उम्मीद के आधार पर और इस हद तक कि दावों को प्राप्त करने में कोई अनिश्चितता नहीं है, के आधार पर हिसाब लगाया जाता है।

अन्य सभी आय का हिसाब प्रोद्भवन के आधार पर किया जाता है,

खर्च

सभी खर्चों का हिसाब प्रोद्भवन के आधार पर किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और पूंजीगत कार्य प्रगति पर है (सीडब्ल्यूआईपी)

सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को लागत कम संचित मूल्यहास और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, पर मापा जाता है। फ्री होल्ड जमीन मुल्यहीन नहीं है। एक परिसंपत्ति की लागत में सामग्री की खरीद लागत शामिल है, जिसमें आयात शुल्क और गैर-वापसी योग्य / क्रेडिट योग्य कर शामिल हैं, किसी संपत्ति को स्थान पर लाने की कोई भी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लागत और योग्यता के निर्माण के वित्तपोषण के लिए उपयोग किए जाने वाले उधार पर इसके इच्छित उपयोग ब्याज की स्थिति। परिसंपत्तियों को परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हो जाए।

जब संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के महत्वपूर्ण हिस्सों को अंतराल पर बदलने की आवश्यकता होती है, तो कंपनी उनके विशिष्ट उपयोगी जीवन के आधार पर उनका अलग से मूल्यहास करती है। इसी तरह, जब एक प्रमुख नवीनीकरण किया जाता है, तो इसकी लागत को संयंत्र और उपकरणों की वहन राशि में मान्यता के मानदंडों को पूरा करने पर प्रतिस्थापन के रूप में पहचाना जाता है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव लागतों को लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं पर किए गए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार व्यय (स्थिर संपत्तियों के निर्माण या अधिग्रहण के लिए उधार ली गई निधि से संबंधित वित्त लागत सहित) को परिसंपत्तियों के आवंटन के लिए पूर्व-संचालन व्यय के रूप में माना जाता है और सीडब्ल्यूआईपी के तहत दिखाया जाता है, सीडब्ल्यूआईपी को खर्च की गई राशि पर बताया गया है संपत्ति या संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर बैलेंस शीट की तारीख तक जो अभी तक उनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं।

जब संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु के कुछ हिस्सों में अलग-अलग उपयोगी जीवन होते हैं, तो उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अलग-अलग मदों (प्रमुख घटक) के रूप में गिना जाता है।

परिसंपत्ति के निपटान / बिक्री या सेवानिवृत्ति पर वित्तीय विवरणों से लागत और संबंधित संचित मूल्यहास को समाप्त कर दिया जाता है और परिणामी लाभ या हानि (बिक्री आय और संपत्ति की अग्रणी राशि के बीच अंतर) को लाभ और हानि के बयान में मान्यता दी जाती है।

वर्ष के दौरान, ग्राम चोला में भूमि और स्थल विकास के रूप में दिखाई देने वाली भूमि का पुनर्मूल्यांकन सरकार द्वारा अधिकृत मूल्यांकक से प्राप्त किया गया है।

खातों की किताबों में मौजूदा मूल्य का पुनर्मूल्यांकन अंतर और अंतर की राशि को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व के शीर्ष के तहत स्थानांतरित कर दिया गया है।

मूल्यहास के तरीके, अनुमानित उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्य

- मूर्त अचल संपत्तियों पर मूल्यहास सीधी रेखा के आधार पर प्रदान किया जाता है ताकि परिसंपत्तियों की लागत या पुनर्मूल्यांकन के मामले में लागत के लिए प्रतिस्थापित राशि को संबंधित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर इसके अवशिष्ट मूल्य को घटाकर अनुसूची के भाग सी के तहत निर्धारित किया जा सके। कंपनी अधिनियम, 2013 के लिए III। अवशिष्ट मूल्य को संबंधित परिसंपत्तियों की लागत का 5% माना गया है।
- अमूर्त आस्तियों का परिशोधन दस वर्ष से अनधिक आर्थिक लाभ की अवधि में किया जाता है।
- वर्ष के दौरान जोड़ी गई, बेची गई या छोड़ी गई संपत्तियों पर मूल्यहास/परिशोधन यथानुपात आधार पर प्रदान किया जाता है।

अमूर्त संपत्ति (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर)

अमूर्त संपत्ति को अधिग्रहण की लागत पर वसूली योग्य करों को घटाकर संचित परिशोधन/कमी और हानि हानि, यदि कोई हो, को घटाकर बताया गया है। लागत में खरीद मूल्य, उधार लेने की लागत और किसी भी लागत को शामिल किया जाता है जो कि संपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए काम करने की स्थिति में लाने के लिए सीधे जिम्मेदार होता है। एक अमूर्त संपत्ति की मान्यता रद्द करने से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है और जब परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त हो जाती है तो लाभ और हानि के विवरण के विवरण में पहचाना जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को दस वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

सूची

इन्वेंटरी का मूल्यांकन कम लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया

जाता है। लागत का निर्धारण भारित औसत/फीफो लागत के आधार पर किया जाता है।
तैयार माल की लागत और कार्य प्रगति पर अवशोषण लागत के आधार पर निकाला गया है।

इन्वेन्ट्री की लागत में खरीद मूल्य, रूपांतरण की लागत और अन्य प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लागतें शामिल होती हैं जो इन्वेन्ट्री को उनके संबंधित वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में खर्च की गई हैं। उधार लेने की लागत इन्वेन्ट्री के मूल्य में शामिल नहीं है।
शुद्ध वसूली योग्य मूल्य (एनआरवी) व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में अनुमानित बिक्री मूल्य है जिसमें पूरा होने की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत शामिल है।

सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को अलग बैंक खातों में रखा जाता है और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए खातों के लिए अलग-अलग नोटों में प्रस्तुत किया जाता है और उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है जब उचित आश्वासन मिलता है कि अनुदान प्राप्त होगा और कंपनी उनके साथ संलग्न सभी शर्तों का पालन करेगी।
पीपीई से संबंधित सरकारी अनुदान को आस्थगित आय माना जाता है (शामिल नीचे गैर-वर्तमान देनदारियों साथ वर्तमान हिस्से सोच-विचार किया हुआ नीचे वर्तमान देनदारियों) और संबंधित परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त और जमा की जाती है और अन्य आय के तहत शामिल होती है।
राजस्व प्रकृति से संबंधित सरकारी अनुदानों को संबंधित लागतों के साथ मिलान करने के लिए आवश्यक अवधियों में लाभ और हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसकी भरपाई करने का उनका इरादा है और संबंधित व्यय के साथ समायोजित किया जाता है।
(यदि किसी विशिष्ट व्यय से संबंधित नहीं है, तो इसे आय के रूप में लिया जाता है और इसके तहत प्रस्तुत किया जाता है: अन्य आय)

उधार लेने की लागत

संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार उधार की लागत को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। एक अर्हक संपत्ति वह है जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने के लिए आवश्यक रूप से पर्याप्त समय लेती है। विशिष्ट उधारों के अस्थायी निवेश पर अर्जित ब्याज आय, अर्हक आस्तियों पर उनके व्यय को लंबित रखते हुए, पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लागतों में से घटा दी जाती है। अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि में लाभ और हानि विवरण में लगाया जाता है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

पट्टे

एक पट्टे को स्थापना तिथि पर एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है वित्त पट्टा या एक परिचालन लीज़। एक पट्टा जो के लिए आकस्मिक सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित करता है कंपनी के स्वामित्व को वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वित्त पट्टों के अलावा अन्य पट्टों के तहत अर्जित संपत्ति को परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑपरेटिंग लीज़ पर ली गई संपत्ति के संबंध में कुल लीज़ रेंटल (अनुसूचित किराये में वृद्धि सहित) लीज़ अवधि के दौरान एक सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि के विवरण के लिए चार्ज किया जाता है जब तक कि कोई अन्य व्यवस्थित आधार समय के पैटर्न का अधिक प्रतिनिधि न हो। फायदा। एक परिचालन पट्टे के लिए विशेष रूप से किए गए प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को पट्टे की अवधि में लाभ और हानि के विवरण के लिए आस्थगित और चार्ज किया जाता है।

प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपत्तियां

माप में पर्याप्त मात्रा में अनुमान लगाने वाले प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभावना है कि संसाधनों का बहिर्वाह होगा।

यदि पैसे के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक है, तो प्रावधानों को मौजूदा पूर्व-कर दर पर अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह को छूट देकर निर्धारित किया जाता है जो कि पैसे के समय मूल्य के मौजूदा बाजार आकलन और छूट का उपयोग करते समय देयता के लिए विशिष्ट जोखिम को दर्शाता है। ।, समय बीतने में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है

एक आकस्मिक दायित्व एक संभावित दायित्व है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है जिसका अस्तित्व होगा पुष्टि की गई द्वारा the घटना या गैर घटना में से एक या कंपनी के नियंत्रण से परे अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाएं या एक वर्तमान दायित्व जिसे मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। एक आकस्मिक देयता भी अत्यंत दुर्लभ मामलों में उत्पन्न होती है जहां ऐसी देयता होती है जिसे पहचाना नहीं जा सकता क्योंकि इसे विश्वसनीय रूप से नहीं मापा जा सकता है।

एक आकस्मिक देयता को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन वित्तीय विवरण में इसके अस्तित्व का खुलासा किया जाता है। जब आय की प्राप्ति होती है वस्तुतः निश्चित है, तो संबंधित परिसंपत्ति अब एक आकस्मिक संपत्ति नहीं है, और एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रावधानों, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर की जाती है।

देय लाभांश

शेयरों पर अंतिम लाभांश शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन की तिथि पर देयता के रूप में दर्ज किया जाता है और अंतरिम लाभांश कंपनी के निदेशक मंडल

द्वारा घोषणा की तिथि पर देयता के रूप में दर्ज किया जाता है। इसी राशि को सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

विदेशी मुद्रा लेनदेन

कंपनी के वित्तीय विवरण INR में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है।

विदेशी मुद्रा में लेनदेन लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं। समाप्त वर्ष में विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्ग की मौद्रिक मदों को वर्ष समाप्त दरों पर अनुवादित किया जाता है, जो कि बैलेंस शीट की तारीख से प्राप्त होने की संभावना है, या संवितरण के लिए आवश्यक है। मौद्रिक मदों के निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर उन दरों से भिन्न होते हैं जिन पर उन्हें वित्तीय विवरणों में शुरू में दर्ज/रिपोर्ट किया गया था, उस वर्ष में आय या व्यय के रूप में पहचाना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

गैर-मौद्रिक आइटम जो एक विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्ग की ऐतिहासिक लागत पर किए जाते हैं, प्रारंभिक लेनदेन की तारीख में विनिमय दर का उपयोग करके अनुवादित किए जाते हैं।

कर्मचारी लाभ।

a) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ।

- i) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ को उस अवधि के विवरण लाभ और हानि खाते में बिना छूट वाली राशि पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है।
- ii) दीर्घावधि कर्मचारी लाभ को उस वर्ष के विवरण लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हैं।

b) मुआवजा अनुपस्थिति

संचित अवकाश, जिसे अगले 12 महीनों के भीतर उपयोग किए जाने की उम्मीद है, को अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में माना जाता है और इसे बैलेंस शीट में मौजूदा प्रावधानों के तहत दिखाया गया है। कंपनी संचित अवकाश को बारह महीने से आगे ले जाने की उम्मीद को दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में मानती है और बैलेंस शीट में दीर्घकालिक प्रावधानों के तहत दिखाया गया है।

c) परिभाषित लाभ योजनाएं

कंपनी ग्रेच्युटी के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करता है। इस लाभ के प्रति कंपनी की देयता बीमांकिक के आधार पर निर्धारित की जाती है बैलेंस शीट की तारीख में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके मूल्यांकन। ऐसे लाभों के संबंध में बीमांकिक लाभ और हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय प्रपत्र

एक वित्तीय साधन कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय संपत्ति और किसी अन्य पार्टी की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को जन्म देता है।

A. वित्तीय संपत्ति

a) एक प्रारंभिक मान्यता

कंपनी वित्तीय उपकरणों, या उनके घटक भागों को वित्तीय परिसंपत्ति, वित्तीय देयता या इक्विटी साधन के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर संविदात्मक व्यवस्था के सार के अनुसार वर्गीकृत करती है। वित्तीय लिखतों को मान्यता दी जाती है जब कंपनी लिखत के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाती है। वित्तीय लिखतों को शुरू में उचित मूल्य के साथ-साथ लेनदेन लागतों पर मान्यता दी जाती है, जो सीधे वित्तीय साधन के अधिग्रहण या जारी करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों को छोड़कर, जिन्हें शुरू में लेनदेन लागत को छोड़कर उचित मूल्य पर मापा जाता है। (जिसे लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है)।

b) बाद की माप

i) परिशोधन लागत (एसी) पर वहन की गई वित्तीय परिसंपत्तियां

एक वित्तीय परिसंपत्ति को बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है यदि इसे एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्ति को पकड़ना है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर वृद्धि देती हैं जो पूरी तरह से हैं बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज का भुगतान।

ii) अन्य व्यापक आय (FVTOCI) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां

एक वित्तीय परिसंपत्ति को बाद में अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि इसे एक व्यवसाय मॉडल के भीतर रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करना और वित्तीय संपत्ति बेचना और वित्तीय संपत्ति की संविदात्मक शर्तों को नकद में निर्दिष्ट तिथियों पर वृद्धि करना है। प्रवाह जो केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान है।

iii) लाभ और हानि विवरण (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां

इक्विटी लिखत

इंड एस 109 के दायरे में सभी इक्विटी निवेशों को उचित मूल्य पर या तो एफवीटीओसीआई या एफवीटीपीएल में मापा जाता है। कंपनी ऐसे चुनाव लिखत दर साधन के आधार पर करती है। FVTOCI के रूप में मापे गए इक्विटी उपकरणों के लिए, लाभांश को छोड़कर, लिखत पर सभी उचित मूल्य परिवर्तनों को OCI में मान्यता दी जाती है। एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी लिखतों को पी एंड एल में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

a) de-मान्यता

एक वित्तीय संपत्ति (या जहां लागू हो, एक वित्तीय संपत्ति का हिस्सा) को प्राथमिक रूप से अमान्य कर दिया जाता है जब:

1. परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का संविदात्मक अधिकार समाप्त हो गया है या
2. कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अपना अधिकार और बाद में संपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को तीसरे पक्ष को हस्तांतरित कर दिया है।

b) वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण:

कंपनी निर्धारित करता है वित्तीय आस्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण प्रारम्भिक पहचान। बाद में प्रारंभिक मान्यता, कोई पुनरावर्ती classification नहीं है के लिए बनाया वित्तीयसंपत्तियां जो इक्विटी उपकरण और वित्तीय देनदारियां हैं।

c) वित्तीय संपत्तियों की हानि

कंपनी ने वित्तीय आस्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) मॉडल का उपयोग करते हुए हानि भत्ते को मान्यता दी, जिनका लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य नहीं है। बिना किसी महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के प्राप्य व्यापार के लिए हानि भत्ता को लाइफ टाइम ईसीएल के बराबर राशि पर मापा जाता है अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, अपेक्षित क्रेडिट हानि को 12-महीने ईसीएल के बराबर राशि पर मापा जाता है, जब तक कि इसमें उल्लेखनीय वृद्धि न हुई हो प्रारंभिक मान्यता से क्रेडिट जोखिम जिस स्थिति में उन्हें आजीवन ईसीएल में मापा जाता है।

B. वित्तीय देनदारियों

a) प्रारंभिक मान्यता और माप:

सभी वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और ऋण और उधार और देय राशि के मामले में, प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लागत को घटाकर। **The कंपनी का वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देय, ऋण और उधार सहित बैंक ओवर ड्राफ्ट, वित्तीय गारंटी अनुबंध और व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल हैं।** आवर्ती प्रकृति की फीस को सीधे लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

b) बाद की माप:

वित्तीय देनदारियों को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर किया जाता है। बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाले व्यापार और अन्य देय राशियों के लिए, इन लिखतों की कम परिपक्वता के कारण उचित मूल्य का अनुमान लगाया जाता है।

i) ऋण और उधार

प्रारंभिक मान्यता के बाद, ब्याज वाले ऋणों और उधारों को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है। परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए की जाती है और शुल्क या लागत जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

ii) मिश्रित वित्तीय साधन

निर्गम तिथि पर एक समान गैर-परिवर्तनीय लिखत के लिए बाजार ब्याज दर का उपयोग करके एक चक्रवृद्धि लिखत के देयता घटक के उचित मूल्य का अनुमान लगाया जाता है। इस राशि को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधन लागत पर देयता के रूप में दर्ज किया जाता है जब तक कि रूपांतरण पर या साधन की मोचन तिथि पर समाप्त नहीं हो जाता। इक्विटी घटक को उपकरण के उचित मूल्य से देयता घटक की राशि के अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है। इसे इक्विटी में मान्यता प्राप्त है, आयकर प्रभावों के निवल, और बाद में इसे फिर से मापा नहीं जाता है।

c) वित्तीय साधनों की मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय दायित्व को अमान्य कर दिया जाता है जहां दायित्व के तहत दायित्व का निर्वहन किया जाता है या रद्द या समाप्त हो जाता है जहां एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी निविदा से दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है और नए दायित्व की मान्यता। संबंधित अग्रणीत राशियों में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

d) वित्तीय साधनों की भरपाई

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को व्युत्पन्न उपकरणों सहित ऑफसेट किया जाता है और शुद्ध राशि को बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया जाता है, यदि मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और शुद्ध आधार पर निपटान करने या संपत्ति का एहसास करने का इरादा है और देनदारियों को एक साथ निपटाना।

e) उचित मूल्य माप

उचित मूल्य एक बाजार-आधारित माप है, न कि एक इकाई-विशिष्ट माप। इंड एस के तहत, वित्तीय साधनों का उचित मूल्यांकन इंड एस 113 "उचित मूल्य मापन" (इंड एस - 113) द्वारा निर्देशित होता है।

कुछ संपत्तियों और देनदारियों के लिए, बाजार में देखने योग्य लेनदेन या बाजार की जानकारी उपलब्ध हो सकती है। अन्य संपत्तियों और देनदारियों के

लिए, बाजार में देखने योग्य लेनदेन और बाजार की जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकती है। हालांकि, दोनों मामलों में उचित मूल्य माप का उद्देश्य उस कीमत का अनुमान लगाने के लिए समान है जिस पर मौजूदा बाजार स्थितियों के तहत माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच परिसंपत्ति को बेचने या देयता को स्थानांतरित करने के लिए एक व्यवस्थित लेनदेन होगा (यानी एक एक बाजार सहभागी के दृष्टिकोण से माप तिथि पर निकास मूल्य जो परिसंपत्ति रखता है या देयता का बकाया है)।

उक्त इंड एस में निर्दिष्ट तीन व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीकें बाजार दृष्टिकोण, लागत दृष्टिकोण और आय दृष्टिकोण हैं जिन्हें उक्त इंड एस में अलग से पेश किया गया है।

ऊपर बताई गई प्रत्येक मूल्यांकन तकनीक अलग-अलग मौलिक मान्यताओं पर आगे बढ़ती है, जिनकी प्रासंगिकता अधिक या कम होती है, और कभी-कभी किसी स्थिति के लिए किसी विशेष कार्यप्रणाली की कोई प्रासंगिकता नहीं होती है। इस प्रकार, किसी विशेष उद्देश्य के लिए अपनाई जाने वाली विधियों को विवेकपूर्ण ढंग से चुना जाना चाहिए। मूल्यांकन की किसी विशेष पद्धति का अनुप्रयोग मूल्यांकन की जा रही कंपनी, उस उद्योग की प्रकृति जिसमें वह संचालित होता है, कंपनी की आंतरिक ताकत और उस उद्देश्य पर निर्भर करता है जिसके लिए मूल्यांकन किया जाता है।

वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण करने में, कंपनी विभिन्न प्रकार के तरीकों और मान्यताओं का उपयोग करती है जो बाजार की स्थितियों और प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख में मौजूद जोखिमों पर आधारित होती हैं।

मूल्यांकन तकनीक द्वारा वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण और खुलासा करने के लिए कंपनी निम्नलिखित पदानुक्रम का उपयोग करती है: स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (अनसमायोजित)।

स्तर 2 : स्तर 1 में शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा अन्य इनपुट जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिसंपत्ति या देयता के लिए देखे जा सकते हैं।

स्तर 3: संपत्ति या देनदारियों के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं (अवलोकन योग्य इनपुट)

f) शेयर पूंजी

एक इक्विटी लिखत एक अनुबंध है जो कंपनी की सभी देनदारियों को घटाने के बाद कंपनी की संपत्ति में अवशिष्ट ब्याज का सबूत देता है। वृद्धिशील लागतसीधे तौर पर नए इक्विटी शेयर जारी करने के कारण, किसी भी कर प्रभाव को छोड़कर, इक्विटी से कटौती के रूप में मान्यता प्राप्त है।

क्षति गैर-वित्तीय संपत्ति

किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और सीमित जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति की अग्रणीत राशि की समीक्षा प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर की जाती है, यदि आंतरिक / बाहरी कारक के आधार पर हानि का कोई संकेत है। जब परिसंपत्ति की वहन राशि वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है तो एक परिसंपत्ति खराब हो जाती है। वसूली योग्य राशि किसी परिसंपत्ति या नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई के शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में उसके मूल्य से अधिक होती है। वसूली योग्य राशि एक व्यक्तिगत संपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से काफी हद तक स्वतंत्र होती है।

एक हानि हानि उस वर्ष में लाभ और हानि के विवरण के लिए चार्ज की जाती है जिसमें एक परिसंपत्ति को बिगड़ा हुआ के रूप में पहचाना जाता है। यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में कोई परिवर्तन किया गया है, तो पूर्व लेखा अवधि में मान्यता प्राप्त एक हानि हानि को उलट दिया जाता है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि कोई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और सीमित जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति खराब हो सकती है। यदि ऐसी कोई हानि मौजूद है, तो एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है कि हानि की सीमा, यदि कोई हो। जहां व्यक्तिगत संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं है। यदि तुलन पत्र की तारीख में कोई संकेत है कि पहले से मूल्यांकन की गई हानि हानि अब मौजूद नहीं है,

करों

आयकर व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर शामिल हैं और इसे लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है, सिवाय उस सीमा तक जो सीधे इक्विटी या ओसीआई में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित है।

वर्तमान कर

वर्तमान कर के लिए प्रावधान उस लेखा अवधि के लिए गणना की गई कर योग्य आय के संदर्भ में किया जाता है जिसके लिए वित्तीय विवरण कर दरों और कानूनों को लागू करके तैयार किए जाते हैं जो बैलेंस शीट की तारीख में अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित होते हैं। कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि यह अन्य व्यापक आय (ओसीआई) या अन्य इक्विटी में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित है। इस मामले में, कर को अन्य व्यापक आय और अन्य इक्विटी में भी मान्यता प्राप्त है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को बैलेंस शीट दृष्टिकोण का उपयोग करके मान्यता प्राप्त है। आस्थगित आयकर आस्तियों और देनदारियों को वित्तीय विवरणों में आस्तियों और देनदारियों के कर आधार और उनकी अग्रणीत राशि के बीच उत्पन्न होने वाले कटौती योग्य और कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब आस्थगित कर सद्भावना या संपत्ति या देयता की प्रारंभिक मान्यता से उत्पन्न होता है। लेन-देन जो एक व्यावसायिक संयोजन नहीं है और लेन-देन के समय न तो लेखांकन और न ही कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है।

आस्थगित कर आस्तियों को कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर क्रेडिटों को आगे ले जाने और किसी भी अप्रयुक्त कर हानियों के लिए इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ कटौती योग्य अस्थायी अंतर, और अप्रयुक्त कर क्रेडिट को आगे

बढ़ाना और अप्रयुक्त कर हानियों का उपयोग किया जा सकता है।

आस्थगित कर आस्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर की जाती है और इस सीमा तक कम कर दी जाती है कि अब यह संभव नहीं है कि आस्थगित कर आस्तियों के सभी या कुछ भाग की वसूली की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर आस्तियों का प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित हो गया है कि भविष्य में कर योग्य लाभ आस्थगित कर संपत्ति की वसूली की अनुमति देगा। आस्थगित कर आस्तियों और देनदारियों को कर दरों पर मापा जाता है जो उस वर्ष में लागू होने की उम्मीद है जब परिसंपत्ति का एहसास होता है या देयता का निपटान कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर किया जाता है जो बैलेंस शीट पर अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित होते हैं दिनांक।

आस्थगित कर आस्तियों में कर कानूनों के अनुसार भुगतान किया गया न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) उस सीमा तक शामिल होता है, जिस सीमा तक यह भविष्य के आयकर दायित्व के प्रति समायोजन के लिए उपलब्धता के रूप में भविष्य के आर्थिक लाभ देने की संभावना रखता है। तदनुसार, MAT को बैलेंस शीट में आस्थगित कर परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जब परिसंपत्ति को मज़बूती से मापा जा सकता है और यह संभावना है कि asset से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ को महसूस किया जाएगा।

स्थगित कर संपत्ति और स्थगित कर देनदारियां हैं ऑफसेट अगर a कानूनी रूप से लागू करने लायक सेट करने का अधिकार मौजूद है बंद स्थगित कर संपत्ति के खिलाफ स्थगित कर देनदारियां और आस्थगित कर एक ही कर योग्य इकाई और एक ही कराधान प्राधिकरण से संबंधित हैं।

मैट क्रेडिट

एमएटी के क्रेडिट को एक परिसंपत्ति के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जब और इस हद तक इस बात का पुख्ता सबूत हो कि कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी, यानी वह अवधि जिसके लिए एमएटी क्रेडिट को आगे ले जाने की अनुमति है। जिस वर्ष में एमएटी क्रेडिट एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त होने के योग्य हो जाता है, उक्त परिसंपत्ति को लाभ और हानि खाते के विवरण में क्रेडिट के माध्यम से बनाया जाता है और एमएटी क्रेडिट पात्रता के रूप में दिखाया जाता है। कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर इसकी समीक्षा करती है और MAT क्रेडिट पात्रता की अग्रणीत राशि को उस सीमा तक लिखती है, इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी।

प्रति शेयर आय

कंपनी अपने इक्विटी शेयरों के लिए प्रति शेयर मूल और पतला आय ("ईपीएस") डेटा प्रस्तुत करती है। बेसिक ईपीएस की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के कारण लाभ और हानि को अवधि के दौरान बाहर के इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है। पतला ईपीएस इक्विटी शेयरधारकों के कारण लाभ और हानि को समायोजित करके और सभी कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को समायोजित करके निर्धारित किया जाता है।

बिक्री के लिए धारित गैर-वर्तमान संपत्ति (या निपटान समूह) और बंद संचालन

- a) गैर-चालू आस्तियों (या निपटान समूहों) को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उनकी अग्रणीत राशि मुख्य रूप से निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री/वितरण के माध्यम से वसूल की जाएगी और बिक्री/वितरण को अत्यधिक संभावित माना जाता है।

बिक्री/वितरण को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों से संकेत मिलता है कि यह संभावना नहीं है कि बिक्री/वितरण में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे या बिक्री/वितरण का निर्णय वापस ले लिया जाएगा। प्रबंधन को वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर अपेक्षित बिक्री/वितरण के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

- b) बिक्री के लिए धारित आस्तियों (और निपटान समूहों) के प्रारंभिक वर्गीकरण से ठीक पहले, परिसंपत्तियों (या निपटान समूहों में सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों) की अग्रणीत राशि को उनकी लागू लेखा नीति के अनुसार मापा जाता है।

मालिकों को बिक्री/वितरण के लिए धारित गैर-चालू आस्तियों (या निपटान समूहों) को बाद में उनकी अग्रणीत राशि और बेचने के लिए उचित मूल्य कम लागत पर मापा जाता है, आस्थगित कर संपत्ति, कर्मचारी लाभ से उत्पन्न संपत्ति और संपत्ति को छोड़कर च वित्तीय परिसंपत्तियां जो विशेष रूप से इस आवश्यकता से मुक्त हैं।

- c) गैर-वर्तमान संपत्तियां, जिनमें वे शामिल हैं जो एक निपटान समूह (पीपीई और अमूर्त संपत्ति) का हिस्सा हैं, जिन्हें एक बार मालिकों को बिक्री / वितरण के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, न तो मूल्यहास किया जाता है और न ही परिशोधन किया जाता है। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूह की देनदारियों के कारण ब्याज और अन्य खर्चों को मान्यता दी जानी जारी है।
- d) बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत गैर-चालू आस्तियों (निपटान समूह की संपत्ति सहित) को बैलेंस शीट में अन्य परिसंपत्तियों से अलग प्रस्तुत किया जाता है। बिक्री/वितरण के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत निपटान समूह की देनदारियों को बैलेंस शीट में अन्य देनदारियों से अलग प्रस्तुत किया जाता है।
- e) एक निपटान समूह बंद संचालन के रूप में अर्हता प्राप्त करता है यदि यह इक्विटी का एक घटक है जिसे या तो निपटारा जा रहा है या बिक्री के लिए आयोजित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और यह व्यवसाय की एक अलग प्रमुख लाइन या संचालन के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, या एकल सह का हिस्सा है -व्यापार की एक अलग प्रमुख लाइन या संचालन के भौगोलिक क्षेत्र के निपटान की योजना या पुनर्विक्रय की दृष्टि से विशेष रूप से एक सहायक कंपनी है।

बंद किए गए कार्यों को निरंतर संचालन के परिणामों से बाहर रखा गया है और लाभ और हानि के समेकित विवरण में बंद किए गए संचालन से कर के बाद लाभ या हानि के रूप में एकल राशि के रूप में अलग से प्रस्तुत किया जाता है और तुलनात्मक जानकारी को तदनुसार पुनर्कथित किया जाता है।

f) समेकित वित्तीय विवरणों के सभी नोटों में मुख्य रूप से निरंतर संचालन के लिए राशि शामिल है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

खंड रिपोर्टिंग

ऑपरेटिंग सेगमेंट को मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप तरीके से रिपोर्ट किया जाता है। राजस्व और व्यय को खंड की परिचालन गतिविधियों के संबंध के आधार पर खंडों में पहचाना जाता है। लागत मूल्य के आधार पर अंतर खंड राजस्व का हिसाब लगाया जाता है। राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियां जो उचित आधार पर खंडों के लिए आवंटित नहीं हैं, उन्हें "अनआवंटित राजस्व / व्यय / संपत्ति / देनदारियों" के तहत शामिल किया गया है।

मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता, जो संसाधनों के आवंटन और परिचालन क्षेत्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, को प्रबंध निदेशक के रूप में पहचाना गया है जो रणनीतिक निर्णय लेता है।

खंड रिपोर्टिंग के लिए अपनाई गई लेखा नीतियां समग्र रूप से कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए अपनाई गई लेखांकन नीतियों के अनुरूप हैं।

नकद और नकदी के समतुल्य

बैलेंस शीट में नकद और नकद समकक्षों में हाथ पर नकद, हाथ पर चेक, चालू खातों पर बैंकों के साथ शेष और अल्पावधि, तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अत्यधिक तरल निवेश शामिल हैं और जिनमें मूल्य में परिवर्तन का महत्वहीन जोखिम होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रयोजन के लिए, कैश और कैश समकक्ष में नकद और नकद समकक्ष शामिल होते हैं, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है और बकाया बुक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध है क्योंकि उन्हें कंपनी के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

नकदी प्रवाह विवरण

अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके नकदी प्रवाह की सूचना दी जाती है, जिससे गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों के लिए कर से पहले लाभ/हानि को समायोजित किया जाता है, पिछले या भविष्य के परिचालन नकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी आस्थगित या प्रोद्धवन और आय या व्यय की मद से जुड़ा हुआ है निवेश या वित्तपोषण प्रवाह। कंपनी के संचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह को अलग किया जाता है।

नोट संख्या: 3 महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय, अनुमान और अनुमान

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए लेखांकन अनुमानों के उपयोग की आवश्यकता होती है, जो परिभाषा के अनुसार शायद ही कभी वास्तविक परिणामों के बराबर हो। प्रबंधन को निर्णय लेने और कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने और वित्तीय विवरण तैयार करने में कुछ धारणाएँ बनाने की भी आवश्यकता है।

इस तरह के अनुमानों, निर्णयों और मान्यताओं का उपयोग राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करता है जिसमें साथ में प्रकटीकरण और आकस्मिक देनदारियों का खुलासा शामिल है। इन मान्यताओं और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिनके लिए भविष्य की अवधि में प्रभावित परिसंपत्तियों या देनदारियों की अग्रणी राशि के लिए एक भौतिक समायोजन की आवश्यकता होती है।

अनुमानों और निर्णयों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है। वे ऐतिहासिक अनुभव और भविष्य की घटनाओं की अपेक्षाओं सहित अन्य कारकों पर आधारित हैं जिनका कंपनी पर वित्तीय प्रभाव पड़ सकता है और जिन्हें परिस्थितियों में उचित माना जाता है।

अनुमान और अनुमान

कंपनी ने अपनी मान्यताओं और अनुमानों पर आधारित है पर मापदंडों उपलब्ध जब वित्तीय बयान तैयारी थी। मौजूदा परिस्थितियां और धारणाएं भविष्य के विकास के बारे में, हालांकि, बाजार में बदलाव या कंपनी के नियंत्रण से बाहर होने वाली परिस्थितियों के कारण बदल सकता है। इस तरह के परिवर्तन होने पर मान्यताओं में परिलक्षित होते हैं।

तुलन पत्र की तारीख पर भविष्य और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों से संबंधित प्रमुख धारणाएं जिनमें अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणी राशियों के लिए एक भौतिक समायोजन करने का एक महत्वपूर्ण जोखिम है, नीचे वर्णित हैं।

- i) **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यहास और उपयोगी जीवन:** संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों को उनके अनुमानित अवशिष्ट मूल्य को ध्यान में रखते हुए, संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर मूल्यहास किया जाता है। प्रबंधन किसी भी रिपोर्टिंग अवधि के दौरान दर्ज की जाने वाली मूल्यहास की मात्रा निर्धारित करने के लिए अनुमानित उपयोगी जीवन और संपत्ति के अवशिष्ट मूल्यों की सालाना समीक्षा करता है। उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्य समान संपत्तियों के साथ कंपनी के ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित हैं और प्रत्याशित तकनीकी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हैं। पिछले अनुमानों से महत्वपूर्ण परिवर्तन होने पर भविष्य की अवधि के लिए मूल्यहास को समायोजित किया जाता है।
- ii) **आयकर:** आयकर और आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की गणना के लिए प्रबंधन निर्णय आवश्यक है। आस्थगित कर आस्तियों को अप्रयुक्त हानियों (पूर्व वर्षों के नुकसानों को आगे ले जाने) और अप्रयुक्त कर क्रेडिट के लिए इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ नुकसान का उपयोग किया जा सकता है। कंपनी प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख पर आस्थगित कर x की अग्रणी राशि की समीक्षा करती है। अनुमान में प्रयुक्त कारक वास्तविक परिणाम से भिन्न हो सकता है जिससे वित्तीय विवरण में राशियों में महत्वपूर्ण समायोजन हो सकता है। न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) क्रेडिट को एक परिसंपत्ति के रूप में तभी मान्यता दी जाती है जब और उस सीमा तक इस बात के पुख्ता सबूत हों कि कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी; उस वर्ष में जिसमें MAT क्रेडिट एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त होने के योग्य हो जाता है।

- iii) **प्राप्य व्यापार की वसूली:** अतिदेय व्यापार प्राप्तियों की वसूली का आकलन करने और उन प्राप्तियों के खिलाफ प्रावधान की आवश्यकता है या नहीं यह निर्धारित करने के लिए निर्णयों की आवश्यकता होती है। विचार किए गए कारकों में प्रतिपक्ष की क्रेडिट रेटिंग, प्रत्याशित भविष्य के भुगतानों की राशि और समय और गैर-भुगतान के जोखिम को कम करने के लिए की जाने वाली कोई भी संभावित कार्रवाई शामिल है।
- iv) **प्रावधान:** प्रावधानों और देनदारियों को उस अवधि में पहचाना जाता है जब यह संभव हो जाता है कि पिछले संचालन या घटनाओं के परिणामस्वरूप भविष्य में धन का बहिर्वाह होगा और नकदी बहिर्वाह की मात्रा का मज़बूती से अनुमान लगाया जा सकता है। दायित्व की मान्यता और परिमाणीकरण के समय के लिए मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्णय लागू करने की आवश्यकता होती है, जो परिवर्तन के अधीन हो सकते हैं। चूंकि भविष्य में नकदी का बहिर्वाह कई वर्षों तक हो सकता है, प्रावधानों और देनदारियों की अग्रणी राशि की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और बदलते तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया जाता है।
- v) **गैर-वित्तीय संपत्तियों की हानि:** कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यांकन करती है कि क्या कोई संकेत है कि एक परिसंपत्ति खराब हो सकती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, या जब किसी परिसंपत्ति के लिए वार्षिक हानि परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि एक परिसंपत्ति या सीजीयू के उचित मूल्य से अधिक है जिसमें निपटान की लागत और उपयोग में इसका मूल्य कम है। यह एक व्यक्तिगत संपत्ति के लिए निर्धारित किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य परिसंपत्तियों या संपत्ति के समूहों से काफी हद तक स्वतंत्र होती है। जहां किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, संपत्ति को बिगड़ा हुआ माना जाता है और उसकी वसूली योग्य राशि के लिए लिखा जाता है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को प्रीटैक्स छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो पैसे के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है। उचित मूल्य निर्धारित करने में निपटान की लागत घटाकर, हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है, यदि ऐसे किसी लेनदेन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है।

vi) **परिभाषित लाभ दायित्वों का अनुमान**

ग्रेच्युटी और क्षतिपूर्ति की अनुपस्थिति के कारण कंपनी का दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

ग्रेच्युटी और क्षतिपूर्ति की अनुपस्थिति के कारण कंपनी का दायित्व बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ बनाना शामिल है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर का निर्धारण, भविष्य में वेतन वृद्धि और मृत्यु दर शामिल हैं। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, एक परिभाषित लाभ दायित्व इन मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है।

पैरामीटर परिवर्तन के अधीन होना चाहिए छूट दर है। उचित छूट दर का निर्धारण करने में, प्रबंधन रोजगार के बाद के लाभ दायित्व की मुद्राओं के अनुरूप मुद्राओं में सरकारी बांड की ब्याज दर पर विचार करता है।

मृत्यु दर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तालिकाओं पर आधारित है। जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के जवाब में उन मृत्यु दर तालिकाओं में अंतराल पर ही परिवर्तन होता है। भविष्य के वेतन में वृद्धि और ग्रेच्युटी में वृद्धि अपेक्षित मुद्रास्फीति दरों पर आधारित है।

- vii) **वित्तीय संपत्तियों की हानि:** वित्तीय आस्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफ़ॉल्ट के जोखिम और अपेक्षित नकद हानि दरों के बारे में धारणाओं पर आधारित हैं। कंपनी इन अनुमानों को बनाने और कंपनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्योन्मुखी अनुमानों के आधार पर, हानि गणना के लिए इनपुट का चयन करने में निर्णय का उपयोग करती है।

- viii) **वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप:** रिपोर्टिंग तिथि पर भविष्य और अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों से संबंधित प्रमुख धारणाएं जिनमें अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन मात्रा में सामग्री समायोजन करने का एक महत्वपूर्ण जोखिम है। वित्तीय विवरण तैयार करते समय उपलब्ध मापदंडों पर कंपनी ने अपनी धारणाओं और अनुमानों को आधार बनाया। मौजूदा परिस्थितियों और भविष्य के विकास के बारे में धारणाएं, हालांकि, बाजार में बदलाव या कंपनी के नियंत्रण से बाहर होने वाली परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं। इस तरह के परिवर्तन होने पर मान्यताओं में परिलक्षित होते हैं।

- ix) **चिंता के बारे में सामग्री अनिश्चितता:** वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन ने कंपनी की एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन किया है। वित्तीय विवरण चालू चिंता के आधार पर तैयार किए जाते हैं। प्रबंधन अपने आकलन करने में, घटनाओं या स्थितियों से संबंधित भौतिक अनिश्चितताओं के बारे में जानता है, जो कंपनी की एक चालू चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकता है।

मूल्यहास31.03.2022 को समाप्त वर्ष की अनुसूची

(राशि लाख में)

[illegible]

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणों पर नोट्स

(राशि लाख रुपये में)

विवरण के रूप में के रूप में at

31 मार्च, 2022 31 मार्च, 2021

नोट # 5

वित्तीय परिसंपत्तियां (परिशोधन लागत पर वहन की गई)

निर्धारित शेष राशि

बैंकों के साथ सावधि जमा

(एक वर्ष से अधिक परिपक्वता के साथ बैंक जमा)

(एक वर्ष से कम परिपक्वता के साथ बैंक जमा)

अन्य सावधि जमा

(एक वर्ष से कम परिपक्वता के साथ बैंक जमा)

(एक वर्ष से अधिक परिपक्वता के साथ बैंक जमा)

906.20		550.15
	0.13	701.52
	-	-
	-	-
906.33		1,251.67

नोट #6

अन्य गैर - वर्तमान परिसंपत्ति

पूंजी अग्रिम

दूसरों के साथ सुरक्षा जमा

सरकारी प्राधिकरण के पास सुरक्षा जमा

-		-
6.55		6.55
38.30		38.30
44.84		44.84

नोट # 7

गैर चालू कर संपत्ति

अग्रिम आयकर/टीडीएस (अप्रतिभूत अच्छा माना जाता है)

* रुपये शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2009-10 के लिए 60.81

लाख टीडीएस काटा गया

78.06		84.54
78.06		84.54

नोट # 8

आस्थगित कर परिसंपत्तियां और आस्थगित कर देयताएं

आगे की हानियों पर आस्थगित कर आस्तियां

पुनः माप पर आस्थगित कर देयता

पुस्तकों का अंतर और कर मूल्यहास

निवल आस्थगित कर आस्तियां/देयताएं

एमएटी क्रेडिट उपलब्ध

एमएटी वित्तीय वर्ष 2012-13

एमएटी वित्तीय वर्ष 2013-14

मैट वित्तीय वर्ष 2014-15

एमएटी वित्तीय वर्ष 2016-17

1,661.47		1,552.75
-		41.93
-		(26.59)
1,661.47		1,568.09
	18.09	18.09
224.65		224.65
	32.87	32.87
165.56		165.56
2,102.63		2,009.25

नोट # 9

सूची (जैसा लिया गया, मूल्य और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित)

कच्चा माल

तैयार माल

स्टोर और स्पेयर और अन्य

पैकिंग सामग्री

2,698.22		628.68
595.20		639.66
	32.20	25.10
299.35		55.60
3,624.97		1,349.04

नोट # 10 (पारशाधन लागत पर किया गया)

व्यापार प्राप्य (असुरक्षित, अच्छा माना जाता है जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)

असुरक्षित, अच्छा माना जाता है

- छह महीने से अधिक को अवांछित के लिए बकाया

111.11 0.07

- जिस तारीख से देय है, उस तारीख से छह महीने से कम को अवांछित के लिए बकाया

2.18 0.98

113.29 1.05**नोट # 11****नकद और नकदी के समतुल्य****बैंकों के साथ शेष राशि**

- चालू खातों पर

177.73 10.60

सरकारी अनुदान से संबंधित अन्य बैंक शेष

- चालू खातों पर

286.56 112.09

464.30 122.70**नोट #12****सरकारी अनुदानों से संबंधित निर्धारित शेष राशि**

- मूल परिपक्वता वाली जमा राशियाँ (एक वर्ष से कम को मूल परिपक्वता वाली)

200.00 200.00

- एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता वाली जमा राशियों का वर्तमान भाग)

636.65 730.88

अन्य बैंक शेष/एफडीआर

- मूल परिपक्वता वाली जमा राशियाँ (एक वर्ष से कम को मूल परिपक्वता वाली)

- एक वर्ष से अधिक को मूल परिपक्वता वाली जमा राशियों का वर्तमान भाग)

- -

836.65 930.88**नोट # 13****अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों**

प्राप्य खर्च

16.84 -

राजस्व प्राधिकरण के साथ सतुलन

1,087.30 689.32

परियोजनाओं से प्राप्य

261.99 214.40

कर्मचारियों को आग्रह (सुरक्षित माना जाता है)

6.38 5.82

आपूर्तिकर्ताओं को आग्रह

68.50 3.88

खराब और संदेह आग्रह के लिए कम प्रावधान

- -

अज्ञेय व्याज प्राप्य/अन्य आय

62.27 77.90

चेक प्राप्त हुआ लेकिन निकासी के लिए नहीं भेजा गया

- 0.13

कर्मचारियों का अग्रदाय

0.38 0.30

1,503.66 991.75**नोट # 14****अधिकृत पूंजी**

51,000,000 रुपये के इक्विटी शेयर...10/- प्रत्येक

5,100.00 5,100.00

जारी, सब्सक्राइब और पेड अप

43,180,000 रुपये 10/- के इक्विटी शेयर प्रत्येक

4,318.00 4,318.00

4,318.00 4,318.00

A) वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई शेयर जारी/खरीदा नहीं है।

B) कंपनी के पास इक्विटी शेयर का केवल एक वर्ग है, जिसका मूल्य 10/- रुपये प्रति शेयर है।

C) वर्ष 31 मार्च, 2022 के दौरान, इक्विटी शेयर धारक को मान्यता प्राप्त प्रति शेयर लाभांश की राशि "शून्य" (पीवाई "शून्य") थी।

D) कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारक का विवरण नीचे दिया गया है: -

विवरण	31.03.2022	% आयु हाउडिंग	31.03.2021
	शेयर का संख्या		शेयर का संख्या
1. भारत के राष्ट्रपात	25,586,000	59.00	25,586,000.00

नोट # 15**अन्य इकिटी**

a) अधिशेष/घाटा अर्थात लाभ और हानि विवरण में शेष राशि

1499 ल बलस शाट क अनुसार	(4,081.89)	(2,270.62)
पूर्व अवधि समायोजन	-	-
वर्ष क दारान वृद्ध	(875.36)	(1,811.27)
	(4,957.26)	(4,081.89)
बा) पुनमूल्याकन रिजर्व	11,174.57	3,168.07
कुल	6,217.32	(913.89)

नोट #16**आस्थगित अनुदान**

उद्घाटन अनुदान	-	-
वर्ष क दारान प्राप्त	-	-
वर्ष क दारान कम उपयोग किया गया	-	-
समापन अनुदान	-	-
वर्तमान आस्थगित अनुदान	-	-
गर चालू आस्थागत अनुदान	-	-

नोट # 17**दाघकालिक प्रावधान**

कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (नान करट)	604.00	578.24
अन्य	7.15	7.15
	611.15	585.39

नोट # 18**वित्तीय देयता (परिशोधन लागत पर वहन)**

लघु अवाध का उधारा		
कायशाल पूजा ऋण शेष (वर्तमान आर भावष्य दाना, सभा अचल संपत्तियां पर पहले सम-परि शुल्क के माध्यम से सुरक्षित) (वाहनों को छोड़कर), स्टॉक और बक डेट, चाहे वह अब ढीला पड़ा हो या मामलों में या जो झूठ नहीं बोल रहा हो या स्टोर म या पारगमन क दारान।	7,788.50	2,729.34
	7,788.50	2,729.34

नोट # 19**व्यापार देय (पारशाधन लागत पर वहन)**

- सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यमों के कारण	-	-
- अन्य	86.94	1,479.32
	86.94	1,479.32

नोट # 20**अन्य वित्तीय देयताएं****मौजूदा**

सुरक्षा जमा राशि	118.75	49.81
	118.75	49.81

नोट # 21**अल्पकालिक प्रावधान**

कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (वर्तमान)	535.18	441.95
अन्य		
कुल	535.18	441.95

नोट # 22**अन्य वर्तमान देनदारियां**

अन्य देनदारियां	175.01	403.68
अन्य देनदारियां	282.01	56.08
कर्मचारियों का देय	-	-
सावाधक देय देय	20.06	22.20
सुरक्षा जमा देयताएं	-	-

ग्राहका स आग्रम	-	288.40
कमचारया की अन्य दनदारया	-	-
जिक प्राजक्ट कापटल ग्राट बलस	10.09	10.09
आरल कोलरा वेक्सान प्राजक्ट कापटल ग्राट बलस	373.90	224.29
प्लाज्मा विकास पारयाजना पूजा अनुदान शष	0.06	0.07
आपावा सुवधाआ का उन्नयन पारयाजना पूजा अनुदान शष	359.76	344.12
आतसार प्रबधन किट पारयाजना पूजा अनुदान शष	325.87	309.45
BOPV प्राजक्ट कापटल ग्राट बलस	50.27	50.27
	1,597.03	1,708.66

नोट # 23

संचालन से राजस्व

उत्पादों की बिक्री

7,838.80	8,533.36
7,838.80	8,533.36

नोट # 24

अन्य आय

ब्याज आय	53.11	66.87
Covaxin . स प्राप्य ब्याज	0.33	-
समायाजन क रूप म इडस्ट्रोज	-	-
प्रशिक्षण के लिए बैंच फीस	2.08	0.38
नकद छूट	0.13	0.58
एलडी (खरीद)	0.13	0.73
आय स्थागत कर	-	-
अतिरिक्त प्रावधान वापसी	-	-
पूर्व अवाध समायाजन	-	59.48
विवध प्राप्तया	0.00	0.38
कोविड -19 में अनुग्रह प्राप्त किया	3.86	-
आईटी रिफंड पर ब्याज	1.31	1.51
विदेशी मुद्रा (लाभ)	49.27	37.44
अन्य व्यापक आय	-	-
लघु और अधिक	0.00	0.00
सांठिसां रिक्वरा	-	0.49
अपाशष्ट सामग्रा का बक्रा	-	0.08
	110.23	167.93

नोट # 25

प्रयुक्त सामग्री की लागत

आरंभिक स्टॉक	628.68	2,173.53
खराद	7,988.05	4,561.15
कम क्लाजग स्टॉक	2,698.22	628.68
	5,918.51	6,105.99

नोट # 26

व्यापार में स्टॉक में बदलाव

प्रारंभिक स्टॉक (तैयार माल)	639.66	2,654.19
क्लाजग स्टॉक (तैयार माल)	595.20	639.66
	44.46	2,014.53

नोट # 27

कर्मचारी लाभ व्यय

वेतन और मजदूरी	1,163.62	932.76
पाएफ और अन्य फंड म योगदान	115.77	95.96
कर्मचारी कल्याण व्यय	0.52	8.20

उपहार	105.00	407.57
	1,384.91	1,444.49

नोट # 28

वित्त लागत

ब्याज व्यय	509.68	435.28
बक प्रभार	16.49	9.07
एफएलसा आर अन्य पर बक प्रभार	33.00	33.40
	559.17	477.74

नोट # 29

अन्य खर्चे

स्टोर और हार्डवेयर की खपत	67.56	46.05
पाकग सामग्री का खपत	574.14	668.40
व्यापार सवधन	1.31	0.52
शक्ति और ईंधन	169.21	154.96
यात्रा आर वाहन	15.60	13.95
डाक और टेलीफोन	0.24	0.67
बामा	5.68	7.07
पेशेवर और कानूनी खर्च	7.85	4.97
मरम्मत एव रखरखाव		
- कार्यशाला एवं यंत्र	21.85	15.65
- इमारत	-	-
- अन्य	-	-
छूट आर छूट		
फ्रंट आर काटज	48.18	56.48
देर से वितरण शुल्क		
लेखा परीक्षा के पारश्रामिक		
क) लेखा परीक्षा शुल्क	1.25	0.75
बी) टैक्स ऑडिट शुल्क	0.50	-
ग) जेब खर्च से बाहर	-	-
सुरक्षा आर हाउसकीपिंग	31.17	24.41
पीएम केयर्स फंड	0.14	
पाकग क शुल्क	0.27	
शिक्षता व्यय	1.16	
अयोग्य आईटासा	0.23	
पूर्व अवधि समायोजन	33.24	
सरकार का चुकाया गया ब्याज जुमाना	0.09	
आतारक लेखा परीक्षा शुल्क	-	-
लागत लेखा परीक्षा शुल्क		
स्टेशनरी आर पोत्रकोए	1.73	1.54
प्रकाशन/एनआईटी व्यय	0.49	0.83
भूमि मुआवज पर ब्याज	1.09	1.09
विविध & अन्य खर्चे	-	1.45
अनुसंधान एव विकास व्यय	0.05	48.01
शेयर ट्रांसफर खर्च		
लाइस्टिंग शुल्क	5.19	5.04
परीक्षण शुल्क	1.23	3.82
बिक्री पर कमाशन	-	-
खराब आर सादग्न ऋण बट्ट खात म डाल गए	-	-
	989.46	1,055.64

नोट संख्या : 30 कर व्यय

वर्तमान कर		
आस्थागत कर	(93.38)	(609.50)
न्यूनतम वकील्यक कर (एमएटी) क्रेडिट पात्रता		
पिछल वर्ष के लिए आयकर		

कुल	(93.38)	(609.50)
कर व्यय का समाधान		
कर देन से पूर्व लाभ	(968.74)	(2,420.78)
लागू कर दर% (27.82%)		
परिकल्पित कर व्यय	(269.50)	(673.46)
के लिए समायोजन:		
आस्थगित कर आस्तियों का प्रभाव हानि पर मान्यता नहीं	-	-
अन्य व्यापक	-	(881.36)
अन्य समायोजन	-	-
शुद्ध समायोजन	-	(881.36)
कर व्यय	(269.50)	(1,554.82)

अन्य इक्विटी

विवरण	प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व	पुनर्मूल्यांकन संरक्षित	बनाए रखा आय	अन्य व्यापक आय	कुल इक्विटी	अन्य
01.04.2021 के अनुसार शेष राशि		-	(4,081.89)	-	(4,081.89)	
पूर्व अवाध समायोजन		-		-	-	-
शेष राशि	-		(4,081.89)	-	(4,081.89)	
क दायन इक्विटी में परिवर्तन						
31 मार्च, 2022 का समाप्त हुआ			(875.36)		(875.36)	
के लिए लाभसाल	-		(875.36)	-	(875.36)	
अन्य व्यापक आय/(हानि) के लिए वर्ष	-			-	-	-
अन्य व्यापक आय/प्रातधारत आय स/म स्थानांतरण	-			-	-	-
31 मार्च, 22 2022 तक शेष राशि	-	-	(4,957.32)	-	(4,957.32)	
01.04.2020 तक शेष राशि	-		(2,270.62)	-	(2,270.62)	
पूर्व अवाध समायोजन	-		-	-	-	
शेष राशि	-		(2,270.62)	-	(2,270.62)	
31 मार्च, 2021 का समाप्त हुआ			1,356.79		1,356.79	
के लिए लाभसाल	-		(1,811.27)	-	(1,811.27)	
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि)	-		-3,168.07	-	3,168.07	
अन्य व्यापक से/में स्थानांतरण आय/प्रातधारत आय	-		-	-	-	
31 मार्च, 2021 का शेष राशि	-	-	(913.89)	-	(913.89)	

01.04.2019 को शेष राशि	-	-	(1,250.26)	-	(1,250.26)	
पूर्व अवाध समायोजन	-	-	-	-	-	
शेष राशि	-	-	(1,250.26)	-	(1,250.26)	
31 मार्च, 2020 का समाप्त वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तन						
के लिए लाभसाल	-	-	(1,021.13)	-	(1,021.13)	
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि)	-	-	-	0.77	0.77	
अन्य व्यापक स/म स्थानांतरण आय/प्रातधारत आय	-	-	0.77	(0.77)	-	
31 मार्च, 2020 तक शेष राशि	-	-	(2,270.62)	-	(2,270.62)	

संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में।

रसूल सिंघल एंड कंपनी के लिए**चार्टर्ड अकाउंटेंट****FRN-500015N**

सीए जितेंद्र गोयल

साझेदार

एम.नंबर 074227

(राजीव कुमार शुक्ला)

स्थान : दिल्ली उपाध्यक्ष - राष्ट्रपति**दिनांक: .08.2022 पैन: ADKPS1169B**

(संदीप कुमार लाल)

कंपनी सचिव

पैन:एबीडीपीएल9540एल

(संजय कुमार मिश्रा)

प्रबंध संचालक

दीन-07363048

(योगेंद्र कुमार गुप्ता)

अध्यक्ष

दीन-03432845

नोट संख्या: 31

a) बोर्ड की राय में, सभी चालू संपत्तियां, ऋण और अग्रिम, वसूली पर एक मूल्य है जो व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में कम से कम उस राशि के बराबर होगा जिस पर बैलेंस शीट में कहा गया है।

b) आस्तियों की हानि पर इंड-एस 36 के संदर्भ में, प्रबंधन द्वारा परिसंपत्तियों की हानि के लिए संकेतकों का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था और इसलिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई हानि प्रभार (यदि कोई हो) को मान्यता नहीं दी जा सकती।

c) खंड की जानकारी:

निदेशक मंडल की पहचान कंपनी के मुख्य परिचालन निर्णय-निर्माता (सीओडीएम) के रूप में की गई है, जैसा कि IND AS- 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट द्वारा परिभाषित किया गया है। मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता संसाधन आवंटन और प्रदर्शन मूल्यांकन के बारे में निर्णय लेने के उद्देश्य से अपने व्यावसायिक खंडों के परिचालन परिणामों की निगरानी अलग से करता है। खंड के प्रदर्शन का मूल्यांकन लाभ या हानि के आधार पर किया जाता है और वित्तीय विवरणों में लाभ या हानि के साथ लगातार मापा जाता है। परिचालन खंडों के बीच की अवधि के लिए लाभ और हानि का वितरण वर्ष के दौरान किए गए आनुपातिक राजस्व पर आधारित है और संपत्ति और देनदारियों का वितरण 31-03-2022 को धन के स्रोतों और वर्तमान निधियों के आवेदन के आधार पर किया गया है। विशेष ऑपरेटिंग सेगमेंट में।

क्रमांक	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	खंड राजस्व		
	a) ओरल पोलियो वैक्सीन	7834.73	8525.15
	b) जिक की गोлияं	0.00	0.16
	सी) बीआईबी वीआईटी	0.02	0.01
	घ) बिबसानित	3.52	08.04
	कुल	7838.27	8533.36
2	खंड परिणाम - कर और वित्त लागत से पहले लाभ/(हानि) और असाधारण आइटम		
	a) ओरल पोलियो वैक्सीन	-410.91	-1941.09
	b) जिक की गोлияं	-0.18	-0.05
	सी) बीआईबी मिठाई गोлияं	0.00	0.00
	घ) बिबसानित	0.00	-1.90
	कुल	-411.09	-1943.04
	जोड़ें/कम: i) वित्त लागत	559.17	477.74
	ii) बिना आर्बिट वयव निवल	0.00	0.00
	कर और वित्त लागत से पहले लाभ/(हानि)	--970.25	--2420.78
3	खंड संपत्ति		
	a) ओरल पोलियो वैक्सीन	19991.02	9298.06
	b) जिक की गोлияं	7.24	7.42
	ग) बीआईबी मिठाई की गोлияं	0.00	0.00
	ई) आवंटित नहीं	1274.60	1091.55

	कुल संपत्ति	21272.86	10397.03
4	खंड देयताएं		
	a) ओरल पोलियो वैक्सीन	19991.02	9298.06
	b) जिक की गोलियां	7.24	7.42
	सी) बीआईबी मिठाई गोलियाँ	0.00	0.00
	ई) आवंटित नहीं	1274.60	1091.55
	कुल देनदारियों	21272.86	10397.03
5	पूँजीगत व्यय:		
	a) ओरल पोलियो वैक्सीन	0.00	0.00
	b) जिक की गोलियां	-	-
	सी) अन-आवंटन	0.00	0.00
	कुल पूँजीगत व्यय:	0.00	0.00
6	मूल्यहास और परिशोधन:		
	a) ओरल पोलियो वैक्सीन	21.17	23.55
	b) जिक की गोलियां	0.10	0.12
	सी) अन-आवंटन	0.00	0.00
	कुल मूल्यहास और परिशोधन	21.27	23.67

d) **कर्मचारी लाभ :**

भारतीय लेखा मानक - 19 "कर्मचारी लाभ" के अनुसार, कर्मचारी लाभ का खुलासा इस प्रकार है:

परिभाषित योगदान योजना:

भविष्य निधि के रूप में कर्मचारी लाभ के रूप में माना जाता है परिभाषित योगदान योजना। The योगदान प्रति the संबंधित निधि हैं बनाया गया मेंप्रासंगिक क़ानून के अनुसार और व्यय के रूप में पहचाने जाते हैं जब कर्मचारियों ने उन्हें योगदान के लिए सेवा प्रदान की है, परिभाषित योगदान योजना में योगदान, लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है:

(रु. लाख में)

परिभाषित योगदान योजना	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
भविष्य निधि में नियोक्ता का योगदान	104.52	96.54
पेंशन फंड में नियोक्ता का योगदान	16.77	17.51
अन्य व्यवस्थापक। Expक्स्प.	5.15	4.85
कुल	126.44	118.90

उपहार

ग्रेच्युटी योजना ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 के भुगतान द्वारा शासित है, उक्त अधिनियम के तहत एक कर्मचारी जिसने पांच साल की सेवा पूरी कर ली है वह विशिष्ट लाभ का हकदार है। एलआईसी द्वारा उस कंपनी के लिए ग्रेच्युटी योजना का रखरखाव किया जा रहा है जो कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की मृत्यु, अक्षमता या रोजगार की समाप्ति पर भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार भुगतान प्रदान करती है।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान एलआईसी ने रुपये की मांग की है। ग्रेच्युटी योगदान में कमी के लिए 450.00 लाख, जिसमें से कंपनी ने रुपये का प्रावधान रखा। वित्त वर्ष 2021-22 तक 450.00 लाख सृजित।

सेवानिवृत्ति के बाद निधि रहित परिभाषित लाभ दायित्वों का विवरण इस प्रकार है:

बीमार छुट्टी और छुट्टी नकदीकरण के संबंध में कर्मचारी लाभ 31 मार्च 2022 को बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित हैं। विवरण नीचे दिया गया है।

(रु. लाख में)

विवरण	सिक लीव अनफंडेड	नकदीकरण छोड़े - वित्तरहित
ए) परिवर्तन दायित्व के वर्तमान मूल्य में		
एक) मूल्य 1 अप्रैल 2021 के अनुसार दायित्व का	70.47 (67.52)	534.82 (511.27)
बी) रुचि लागत	4.62 (4.43)	35.08 (33.80)
सी) अतीत सेवा लागत	- (-)	- (-)
डी) मौजूदा सेवा लागत	3.02 (3.07)	24.39 (24.30)
इ) फ़ायदे भुगतान किया गया	- -	-26.80 -
एफ) बीमांकिक हानि/(लाभ)	-8.59 (4.56)	37.47 (34.55)
जी) वर्तमान 31 मार्च 2022 को दायित्व का मूल्य	69.52 (70.47)	604.95 (534.82)
वर्तमान में दायित्व	10.89 (10.38)	59.57 (11.57)
गैर-वर्तमान देयता	58.63 (60.09)	545.38 (523.25)
बी) परिवर्तन योजना संपत्ति के उचित मूल्य में	- (-)	- (-)
सी) राशि बैलेंस शीट (एबी) में मान्यता प्राप्त	69.52 (70.47)	604.95 (534.82)
डी) खर्च लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त		
एक) मौजूदा सेवा लागत	3.02 (3.07)	24.39 (24.30)
बी) अतीत सेवा लागत	- (-)	- (-)
सी) रुचि लागत	4.62 (4.43)	35.08 (33.80)
इ) खर्च अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त		
एक) बीमांकिक हानि/(लाभ)	-8.59 (4.56)	37.47 (34.55)
शुद्ध लागत	-0.95	96.94
बी) विवरण योजना संपत्ति का	- (-)	- (-)
सी) बीमांकिक मान्यताओं		
एक) छूट भाव	6.89% प्रति वर्ष	6.89% प्रति वर्ष
बी) भाव वेतन में वृद्धि (प्रति वर्ष)	3.00% पीए	3.00% पीए
सी) नश्वरता मेज	आईएएलएम (2012-2014)	आईएएलएम (2012-2014)
डी) निवृत्ति उम्र साल)	60 वर्ष	60 वर्ष

e) आकस्मिक देयताएं:-

कर्मचारी मुकदमे:- कंपनी के खिलाफ तत्कालीन कर्मचारियों यानी श्री भास्कर गुप्ता और (कर्मल) वीके सेठी द्वारा क्रमशः निर्वाह भत्ता और वेतन के लिए दायर मामलों में मुकदमा लंबित है: कुल 3.54 लाख रुपये। (पीवाई 3.54 लाख रुपये में) कुल)

f) सरकारी अनुदान

- (i) रुपये के लिए पूंजी अनुदान। 311 लाख (रुपये .) तीन सौ & ग्यारह लाख) और रु। 137.04 लाख मंजूर किए गए सरकार द्वारा के दौरान मैं भारत वर्ष 2005-2006 और 2009-2010 में जिंक डिस्पर्सिबल टैबलेट के उत्पादन के निर्माण के लिए विनिर्माण सुविधाओं और बुनियादी ढांचे में सुधार की स्थापना के लिए। विनिर्माण सुविधाओं के लिए प्राप्त अनुदान पर अर्जित ब्याज और जिंक डिस्पर्सिबल टैबलेट के उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार को अनुदान की शर्तों के अनुसार अनुदान खाते में जमा किया गया है। निर्माण सुविधा जून 2009 में पूरी हुई। अनुदान राशि 31.12.2018 को निर्धारित की गई।

	(रु. लाख में)
रकम प्राप्त	452.67
जोड़ें: ब्याज/अन्य आय	36.79
कम: उपयोग	478.09
अनुदान राशि वापस	1.28

31.03.22 . को शेष राशि	10.09

स्वीकृति आदेश के अनुसार स्वीकृत राशि और उपयोग की गई राशि के बीच बजट भिन्नता वर्ष के लिए जमा किए गए उपयोग प्रमाण पत्र के अनुसार है समाप्त 31.03.2022, अनुदान में मौजूद शेष राशि का भुगतान या विभाग के विवेक के अनुसार ही धन का उपयोग करना होगा।

- (ii) कंपनी को रुपये का पूंजी/राजस्व अनुदान प्राप्त हुआ है। सरकार से 476.35 लाख (2010-11)। ओरल पोलियो वैक्सीन फॉर्मूलेशन सुविधा की प्रक्रिया अनुकूलन और गुणवत्ता में सुधार के लिए विनिर्माण और बुनियादी ढांचा सुविधा की स्थापना के लिए भारत सरकार। बुनियादी सुविधा सुविधा के लिए प्राप्त पूंजी अनुदान पर अर्जित ब्याज, प्रक्रिया के अनुकूलन के लिए उन्नयन और मौखिक पोलियो वैक्सीन फॉर्मूलेशन सुविधा की गुणवत्ता में सुधार को अनुदान की शर्तों के अनुसार अनुदान खाते में जमा किया गया है। ओरल पोलियो वैक्सीन फॉर्मूलेशन फैसिलिटी परियोजना की प्रक्रिया के अनुकूलन और गुणवत्ता में सुधार के लिए बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन प्रगति पर है और इसे चालू किया जाना बाकी है। हालाँकि, इस भाग पर सरकार से आवश्यक अनुमोदन। भारत की परियोजना के पूरा होने के बाद लिया जाएगा।

	(रु. लाख में)
रकम प्राप्त	476.35
जाड़: ब्याज/अन्य आय	294.43
कम: उपयोग	411.02
राजस्व उपयोग	

31.03.22 . को शेष राशि	359.76

स्वीकृति आदेश के अनुसार स्वीकृत राशि और उपयोग की गई राशि के बीच बजट अंतर 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्रस्तुत उपयोग प्रमाण पत्र के अनुसार है, अनुदान में मौजूद शेष राशि का भुगतान या विभाग के विवेक के अनुसार ही धन का उपयोग करना होगा।

- (iii) वर्ष 2010-11 के दौरान कंपनी को सरकार से 337.87 लाख रुपये का पूंजीगत अनुदान प्राप्त हुआ। डायरिया प्रबंधन किट के लिए पायलट प्लांट की स्थापना के लिए भारत सरकार। डायरिया प्रबंधन किट के लिए प्राप्त पूंजीगत अनुदान पर अर्जित ब्याज अनुदान की शर्तों के अनुसार अनुदान खाते में जमा कर दिया गया है। हालाँकि, इस भाग पर सरकार से आवश्यक अनुमोदन। भारत की परियोजना के पूरा होने के बाद लिया जाएगा। अनुदान का विवरण नीचे दिया गया है-

	(रु. लाख में)
रकम प्राप्त	337.87
जाड़: ब्याज/अन्य आय	134.63
कम: उपयोग	163.05

31.03.22 . को शेष राशि	309.45

स्वीकृति आदेश के अनुसार स्वीकृत राशि और उपयोग की गई राशि के बीच बजट भिन्नता वर्ष के लिए जमा किए गए उपयोग प्रमाण पत्र के अनुसार है समाप्त 31.03.2022, अनुदान में मौजूद शेष राशि का भुगतान या विभाग के विवेक के अनुसार ही धन का उपयोग करना होगा।

- (iv) वर्ष 2012-13 के दौरान कंपनी को सरकार से 513.13 लाख रुपये (पीवाई रुपये शून्य लाख) का पूंजी अनुदान प्राप्त हुआ है। BOPV के लिए R&D सुविधाओं की स्थापना के लिए भारत सरकार। बीओपीवी परियोजना के लिए प्राप्त पूंजीगत अनुदान पर अर्जित ब्याज को अनुदान की शर्तों के अनुसार अनुदान खाते में जमा कर दिया गया है। हालाँकि, इस भाग पर सरकार से आवश्यक अनुमोदन। भारत की परियोजना के पूरा होने के बाद लिया जाएगा। अनुदान का विवरण नीचे दिया गया है-

	(रु. लाख में)
रकम प्राप्त	513.13
जोड़ें: ब्याज/अन्य आय	18.43
कम: उपयोग	481.29
31.03.22 . को शेष राशि	50.27

स्वीकृति आदेश के अनुसार स्वीकृत राशि और उपयोग की गई राशि के बीच बजट अंतर 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्रस्तुत उपयोग प्रमाण पत्र के अनुसार है, अनुदान में मौजूद शेष राशि का भुगतान या विभाग के विवेक के अनुसार ही धन का उपयोग करना होगा।

- (v) कंपनी को वित्तीय वर्ष 2019-20 में सरकार से 617.87 लाख रुपये का पूंजी अनुदान प्राप्त हुआ है। मौखिक हैजा के टीके के परीक्षण उत्पादन के लिए अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं की स्थापना के लिए भारत सरकार। ओरल हैजा वैक्सीन परियोजना के लिए प्राप्त पूंजी अनुदान पर अर्जित ब्याज को अनुदान की शर्तों के अनुसार अनुदान खाते में जमा कर दिया गया है। ओरल हैजा वैक्सीन परियोजना प्रगति पर है और अभी तक अनुदान की शुरुआत नहीं हुई है। अनुदान का विवरण नीचे दिया गया है:

	(रु. लाख में)
रकम प्राप्त	617.87
जाड़: ब्याज/अन्य आय	20.58
जाड़: अनुदान पुनः प्राप्त कर। साल के दौरान	273.91
कम: उपयोग	538.46
अनुदान राशि वापस	0.00
31.03.22 . को शेष राशि	373.90

स्वीकृति आदेश और राशि के अनुसार स्वीकृत राशि के बीच बजट भिन्नता उपयोग किया है जैसा प्रति उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत के लिये the साल समाप्त 31.03.2022, अनुदान में मौजूद शेष राशि का भुगतान या विभाग के विवेक के अनुसार ही धन का उपयोग करना होगा।

- (vi) कंपनी को वित्तीय वर्ष 2019-20 में सरकार से 16.00 लाख रुपये का पूंजी अनुदान प्राप्त हुआ है। चिकित्सीय उपयोग के लिए एल्ब्यूमिन, इम्युनोग्लोबुलिन और अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए प्लाज्मा फ्रैक्शनेशन प्रक्रिया के लिए अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं की स्थापना के लिए भारत सरकार। परियोजना के लिए प्राप्त पूंजीगत अनुदान पर अर्जित ब्याज अनुदान की शर्तों के अनुसार अनुदान खाते में जमा कर दिया गया है। अनुदान का विवरण नीचे दिया गया है-

	(रु. लाख में)
रकम प्राप्त	16.00
जाड़: ब्याज/अन्य आय	0.00
कम: उपयोग	15.94
अनुदान राशि वापस	0.00
31.03.22 . को शेष राशि	0.06

स्वीकृति आदेश के अनुसार स्वीकृत राशि और उपयोग की गई राशि के बीच बजट अंतर 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए प्रस्तुत उपयोग प्रमाण पत्र के अनुसार है, अनुदान में मौजूद शेष राशि का भुगतान या विभाग के विवेक के अनुसार ही धन का उपयोग करना होगा।

स्वीकृति आदेश में उल्लिखित तिथि के अनुसार परियोजना के प्रारंभ से लेकर अब तक की परियोजनाओं की अवधि का विवरण इस प्रकार है:-

क्रमांक	परियोजना का नाम	परियोजना की आरंभ तिथि	प्रारंभ तिथि से परियोजना की अवधि
1	जिक (311 लाख रुपये की मूल स्वीकृति)	26.03.2006	24 माह
	जिक (137.04 लाख रुपये की अतिरिक्त स्वीकृति)	28.09.2011	21 महीने
2	उन्नयन ओपीवी	28.05.2010	12 महीने
3	दस्त प्रबंधन किट	17.09.2010	24 माह
4	अनुदान -बीओपीवी	02.07.2012	12 महीने

5	ओरल हेजा का टीका	18.02.2019	26 महीने
6	पीडीएम	13.03.2019	12 महीने

- g) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत, ऐसे उद्यमों से संबंधित सृजन प्रकटीकरण किए जाने की आवश्यकता है। आपूर्तिकर्ता से उक्त अधिनियम के तहत उनके कवरेज के संबंध में अपर्याप्त जानकारी को देखते हुए, खातों में कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है। हालांकि, प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए अधिनियम के प्रावधान के अनुसार देय ब्याज का प्रभाव, यदि कोई हो, भौतिक होने की उम्मीद नहीं है।
- h) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (व्यापार प्राप्य) ने पिछले वर्ष 2013-14 के दौरान 645.42 लाख रुपये की देरी से डिलीवरी शुल्क में कटौती की है।
और 2014-15 जिसका लेखा बहियों में लेखा नहीं किया गया है और the कंपनी है पीछा करना the मामला साथ the सम्बंधित मंत्री राय के लिये the इन कटौतियों का भुगतान इसके अलावा, चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भुगतान सलाह अभी तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए, चालू वर्ष के दौरान काटे गए विलंब शुल्क (यदि कोई हो) का पता लगाने योग्य नहीं है और तदनुसार पुस्तकों में इसका हिसाब नहीं है।
- i) निपटान या अनुवाद पर विनिमय अंतर के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को कस्टम ड्यूटी / आईजीएसटी और वर्ष के अंत देयता के भुगतान की तारीख पर कस्टम कार्यालय द्वारा अपनाई गई मुद्रा विनिमय दर लेते हुए लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया गया है। आपूर्तिकर्ता की मुद्रा क्रय दर पर परिवर्तित किया जाता है। इस संबंध में वर्ष के दौरान कंपनी ने 49.27 लाख रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। (पीवाई लाभ रु.37.44 लाख।)

j) **संबंधित पार्टी प्रकटीकरण:-**

इंड एस 24 'संबंधित पार्टी' के तहत अपेक्षित संबंधित पक्षों के संबंध में प्रकटीकरण

प्रकटीकरण 'यहां नीचे बताया गया है:

(i) **पार्टियाँ जहाँ नियंत्रण मौजूद है**

शून्य

(ii) **अन्य संबंधित पक्ष जहां वर्ष के दौरान लेनदेन हुआ है**

a. **प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी):**

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1) डॉ. वाईके गुप्ता | अध्यक्ष (वर्तमान) |
| 2) श्री। सजय कुमार मिश्रा | प्रबंध निदेशक (17.09.2021 से) |
| 3) श्री। चंद्र प्रकाश गोयल | प्रबंध निदेशक (16.09.2021 तक) |
| 4) डॉ. अलका शर्मा | निदेशक |
| 5) श्री। पंकज कुमार | निदेशक (01.02.2022 से) |
| 6) श्री। रोशन लाल | निदेशक (28.10.2021 तक) |
| 7) डॉ. मधु दीक्षित | निदेशक |
| 8) डॉ. मो. असलम | निदेशक |
| 9) डॉ. सुधांशु ब्रती | निदेशक |
| 10) श्री संदीप कुमार लाल | कंपनी सचिव |

k) लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक:

(लाख रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
(ए) सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में	1.00	1.00
(बी) टैक्स ऑडिट के लिए	0.50	0.50
कुल	1.50	1.50

l) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर व्यय: लागू नहीं

m) प्रति शेयर आय (ईपीएस)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
एक) फायदा / (हानि) इकिटी शेयरधारकों के कारण (लाख रुपये में)	(875.36)	475.44
बी) भारत बकाया इकिटी शेयरों की औसत संख्या में बुनियादी: अंत में इकिटी शेयरों की भारत औसत संख्या	43180000	43180000
सी) ii) एमएल शेयरों की भारत औसत संख्या जैसा कि b(i) में है	43180000	43180000
डी) भुगतान किया गया शेयर का अप मूल्य	₹.10/-	₹.10/-
इ) बुनियादी प्रति शेयर आय(रुपये)(a/bi)	(2.03)	1.10
एफ) प्रति शेयर पतला आय (₹.) (a/bii)	(2.03)	1.10

n) विदेशी मुद्रा प्रवाह और बहिर्वाह

में व्यय:

(लाख रुपये में)

विवरण	मौजूदा साल	पिछला साल
मरम्मत और रखरखाव व्यय	5.18	13.48
अचल सम्पत्ति	शून्य	शून्य
ओपीवी बल्क और वीवीएम लेबल	8493.01	4922.33

ii l) कमाई:

निर्यात बिक्री (एफओबी मूल्य)	शून्य	शून्य
तैयार माल की निर्यात बिक्री के लिए प्राप्त अग्रिम	शून्य	शून्य

- o) कंपनी द्वारा अनवशोषित मूल्यहास हानियों और अनवशोषित व्यावसायिक हानियों के संबंध में आस्थगित कर आस्तियों को मान्यता दी गई है। प्रबंधन का विचार है कि कंपनी उन मान्यता प्राप्त कटौती योग्य अंतर के लाभों का एहसास करेगी, आगे की हानियों और अप्रयुक्त कर क्रेडिट के हिस्से को परियोजना के आधार पर और हाथ में परियोजनाओं से अनुमानित भविष्य की कर योग्य आय का अनुमान लगाएगी।

नोट संख्या 32 - वित्तीय जोखिम ढांचा

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में उधार, पूंजी लेनदार और व्यापार और अन्य शामिल हैं देय. The मुख्य उद्देश्य का इन वित्तीय देनदारियां है प्रतिकंपनी के संचालन के लिए वित्त। कंपनी की वित्तीय संपत्तियों में ऋण, व्यापार और अन्य प्राप्य, नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम के संपर्क में है। विदेशों में कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों का प्रबंधन करते हैं। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन आश्वासन देता है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियां, उपयुक्त नीतियों और जोखिम उद्देश्यों द्वारा नियंत्रित होती हैं। जोखिम प्रबंधन उद्देश्य के लिए सभी व्युत्पन्न गतिविधियां उन टीमों द्वारा की जाती हैं जिनके पास उपयुक्त कौशल, अनुभव और सुपर विजन है। निदेशक मंडल इन जोखिमों में से प्रत्येक के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और उन पर सहमत होता है, जिनका सारांश नीचे दिया गया है:

A. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो किसी वित्तीय साधन के भविष्य के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में बाजार मूल्य में बदलाव के कारण उतार-चढ़ाव होगा। बाजार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम और अन्य जोखिम शामिल हैं, जैसे नियामक जोखिम और वस्तु मूल्य जोखिम।

i) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो उचित मूल्य या भविष्य नकदी प्रवाह का एक वित्तीय साधन उतार चढ़ाव होगा इसलिये का परिवर्तन बाजार में रुचिदरें। बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम प्राथमिक रूप से फ्लोटिंग ब्याज दरों के साथ कंपनी के उधार दायित्वों से संबंधित है। हालांकि

ब्योरा	31.3.2022 के रूप में	31.03.2021 तक
परिवर्तनीय दर उधार	7088.50	2029.34
नोश्चित दर उधार	7.00	7.00

संवेदनशीलता

कंपनी की लगभग 100% उधारी बैंकों की SBI आधार दरों से जुड़ी हुई है। अन्य सभी चर स्थिर होने के साथ, निम्न तालिका ऋणों के फ्लोटिंग दर हिस्से पर उधार लागत पर ब्याज दर में परिवर्तन के प्रभाव को दर्शाती है।

विवरण	में वृद्धि / कमी		पहले लाभ पर प्रभाव	
	मूल बिंदु		कर	
साल	2022	2021	2022	2021
बढ़ोतरी	100	100		3.61
कमी	100	100		(3.61)

ii) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम वह जोखिम है जो विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण किसी एक्सपोजर के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा, विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से कंपनी द्वारा किए गए आयात से संबंधित है जो कि वर्ष के दौरान किया गया।

संवेदनशीलता

विदेशी विनिमय दरों में 1% की वृद्धि या कमी का लाभ पर भौतिक प्रभाव पड़ेगा।

बी श्रेय जोखिम

क्रेडिट जोखिम वह जोखिम है जो प्रतिपक्षकार करेगा चूक उस पर के तहत दायित्व एक संविदा व्यवस्था प्रमुख प्रति एक वित्तीय हानि। कंपनी की बिक्री हैज्यादातर केंद्र सरकार को; जिससे क्रेडिट डिफॉल्ट जोखिम काफी कम हो जाता है।

जब वसूली की कोई उचित उम्मीद नहीं होती है, तो वित्तीय संपत्तियां बट्टे खाते में डाल दी जाती हैं, हालांकि, कंपनी प्राप्तियों को पुनर्प्राप्त करने का प्रयास जारी रखती है। जहां वसूली की जाती है, उन्हें लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

प्राप्य व्यापार की उम्र नीचे दी गई है:

	विवरण	6 महान तक	6 महान स अधिक	एक वर्ष स अधिक
एक) बी)	31.03.2021 तक सकल वहन राशि अपेक्षित ऋण हानि @	111.11	1.82	0.36

निम्नलिखित तालिका लाइफ टाइम अपेक्षित क्रेडिट लॉस मॉडल का उपयोग करके मापी गई हानि भत्तों में परिवर्तन को सारांशित करती है। इस अवधि के दौरान अनुमान तकनीकों या धारणा में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया था।

विवरण	व्यापार प्राप्य के लिए ईसीएल
31.03.2022 वर्ष के दौरान प्रावधान/प्रत्यावर्तन	शून्य

बैंकों के पास शेष - अन्य वित्तीय आस्तियां

बैंकों के पास शेष राशि से ऋण जोखिम का प्रबंधन कंपनी की नीति के अनुसार किया जाता है। कंपनी उन बैंकों का चयन करने के लिए ट्रैक रिकॉर्ड, संस्थान का आकार, बाजार की प्रतिष्ठा और सेवा मानकों जैसे कारकों पर विचार करती है, जिनके साथ सावधि जमा बनाए रखा जाता है। आम तौर पर, सावधि जमा बैंकों के पास रखे जाते हैं, जिनके साथ कंपनी ने भी उधार लिया है।

क्रेडिट जोखिम के लिए कंपनी का अधिकतम जोखिम के लिये अवयव बैलेंस शीट के रूप में 31 मार्च, 2022 को है वहन राशि जैसा कि कहा गया नीचेनोट संख्या 18'।

सी चलनिधि जोखिम

i) चलनिधि जोखिम प्रबंधन

चलनिधि जोखिम वह जोखिम है जो एक कंपनी को वित्तीय देनदारियों से जुड़े अपने दायित्वों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है जो नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को वितरित करके तय किए जाते हैं। कंपनी का उद्देश्य अपनी नकदी और इसकी संपार्श्विक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तरलता का इष्टतम स्तर बनाए रखना है। कंपनी का प्रबंधन तरलता, वित्त पोषण के साथ-साथ निपटान के लिए जिम्मेदार है। प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर रोलिंग, पूर्वानुमान के माध्यम से कंपनी की शुद्ध तरलता की स्थिति की निगरानी करता है

ii) वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

नीचे दी गई तालिका तुलन पत्र में संविदात्मक परिपक्वता तिथि तक की शेष अवधि के आधार पर प्रासंगिक परिपक्वता में वित्तीय देनदारियों के लिए बिना छूट वाले नकदी प्रवाह प्रदान करती है।

गैर व्युत्पन्न वित्तीय साधन

				(रु. लाख में)
विवरण	31.03.2022 तक 6 महीने से कम	31.03.2022 तक अधिक6 महीने से अधिक	31.03.2022 तक इससे अधिक12 महीने	31.03.2022 के अनुसार राशि का वहन करना
व्यापार और अन्य देय	75.94	6.09	4.91	86.94.

(iii) वित्तीय व्यवस्था:
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी के पास निम्नलिखित आहरित उधार सुविधाएं हैं।

राशि (रु. लाख)

विवरण	31.3.2022
आहारत उधार सुवधाए	411.50

नोट संख्या: 33 - पूंजी प्रबंधन

a) जोखिम प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य के लिए, पूंजी में कंपनी के इक्विटी शेयरधारक के कारण जारी इक्विटी पूंजी, प्रतिभूति प्रीमियम और अन्य सभी इक्विटी रिजर्व शामिल हैं। पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करना और एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखना और एक चालू चिंता पर जारी रखने की क्षमता की रक्षा करना है। कंपनी के पूंजी प्रबंधन उद्देश्य आर्थिक व्यवहार्यता की रक्षा के लिए सभी रिजर्व सहित इक्विटी बनाए रखना और भविष्य में उपलब्ध होने वाले किसी भी विकास के अवसरों को वित्त देना है ताकि शेयरधारक मूल्य को अधिकतम किया जा सके। कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और लाभांश की राशि में समायोजन करती है, शेयरधारकों को पूंजी पर वापसी, नए शेयर जारी करती है या ऋण कम करने के लिए संपत्ति बेचती है।

b) ऋण अनुबंध:

इस समग्र उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अन्य बातों के अलावा, कंपनी के पूंजी प्रबंधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यह ब्याज वाले ऋणों और उधार से जुड़ी वित्तीय वाचाओं को पूरा करता है जो पूंजी संरचना आवश्यकताओं को परिभाषित करते हैं। कंपनी ने इन वाचाओं के साथ संकलित किया है और किसी भी ब्याज की वित्तीय वाचाओं में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है - ऋण और उधार।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान पूंजी प्रबंधन के उद्देश्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया।

नोट: 34.

पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से तैयार किया गया है, पुनर्वर्गीकृत, पुनर्व्यवस्थित और पुनर्वर्गीकृत किया गया है, जहां आवश्यक मात्रा में और पूर्ववर्ती वर्ष के लिए अन्य खुलासे हैं, जिनमें आंकड़े शामिल हैं जो चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग के रूप में शामिल हैं और राशियों और अन्य के संबंध में पढ़ा जाना है चालू वर्ष से संबंधित प्रकटीकरण।

चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN-500015N

सीए जितेंद्र गोयल
साझेदार
एम.नंबर 074227
(राजीव कुमार शुक्ला)
स्थान : दिल्ली उपाध्यक्ष - राष्ट्रपति
दिनांक: .08.2022 पैन: ADKPS1169B

(संदीप कुमार लाल)
कंपनी सचिव
पैन:एबीडीपीएल9540एल

(संजय कुमार मिश्रा)
प्रबंध संचालक
दीन-07363048

(योगेंद्र कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष
दीन-03432845

यूडीआईएन-22074227एओटीटीएक्सई5220

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड मार्च 2022 के वित्तीय वक्तव्यों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों को प्राप्त करने के लिए (बीआईबीसी) 31.31.

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीआईबीसीओएल) की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर धारा के तहत निर्धारित अंकेक्षण पर मानकों के अनुसार राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। अधिनियम के 143(10)। यह उनके द्वारा 23 सितंबर 2021 की अपनी ऑडिट रिपोर्ट के द्वारा किया गया बताया गया है।

मैंने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीआईबीसीओएल) के वित्तीय विवरण की पूरक लेखापरीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।) अधिनियम के।

**के लिए और की ओर से
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक**

**जगह: नई दिल्ली
दिनांक:**

**लेखापरीक्षा महानिदेशक
(पर्यावरण और वैज्ञानिक विभाग)**

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014]

i.	सीआईएन	L24232UP1989GOI010542
ii.	पुनःविवरण तिथि	10.03.1989
iii.	कंपनी का नाम	भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BIBCOL)
iv.	कंपनी की श्रेणी / उप-श्रेणी	उत्पादन
v.	जोड़ेंपंजीकृत कार्यालय का रेजिस और संपर्क विवरण	बिबकोल, ओपीवी प्लांट, ग्राम - चोला, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश - 203203 कंपनी सचिव, फोन - 9458096110
vi.	क्या सूचीबद्ध कंपनी	तुएस
vii.	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई हो	मैसर्स मास सर्विसेज लिमिटेड प्लॉट नंबर टी-34, दूसरी मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज- II, नई दिल्ली - 110020। फोन - 011 26387281 से 83

अलीएल कंपनी के कुल कारोबार में 10% या उससे अधिक का योगदान करने वाली व्यावसायिक गतिविधियों को बताया जाएगा: -

एस आर.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	ओरल पोलियो वैक्सीन	2423	100

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेकअप कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में)

[illegible]

कोई और									
उप-कुल (ए)(1):-	2558599 3	7	2558600 0	59.2 5	2558599 3	7	2558600 0	59.2 5	शून्य
विदेशी									
एनआरआई - व्यक्ति									
अन्य व्यक्ति									
निकाय कार्पोरेशन									
बैंक / वित्तीय संस्था									
कोई और									
उप-कुल (ए)(2): -	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सार्वजनिक शेयरधारिता									
संस्थानों									
म्यूचुअल फंड्स									
बैंक / वित्तीय संस्था	0	0	0	0	0	0	0	0	0
केंद्र सरकार									
एसटेट सरकार									
वेंचर कैपिटल फंड्स									
बीमा कंपनी									
एफआईआई									
विदेशी उद्यम पूंजी कोष									
अन्य (निर्दिष्ट करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-कुल (बी)(1)									
2. गैर संस्थान									
शेयरकार्पोरेशन (i) भारतीय (ii) विदेशी	549530	57200	606730	1.41	372959	56300	429259	0.99	-0.42%
व्यक्तियों									
(i) रुपये तक की मामूली शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक। 2 लाख	1237422 6	93317 0	1330739 6	30.82	1298434 3	92207 0	1390641 3	32.21	+1.39
(ii) 2 लाख रुपये से अधिक की मामूली शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	2806744	0	2806747	6.50	2836284	0	2836284	6.57	+0.07
एनआरआई	256085	0	256085	0.59	243279	0	243279	0.57	-0.02
समाशोधन सदस्य	165369	0	165369	0.38	178764	0	178764	0.41	+0.03
एनबीएफसी	451673	0	451673	1.05	0	0	0	0	-1.05
विश्वास	0	0	0	0	1	0	1	0	0

उप कुल(बी)(2)	1660363 0	99037 0	1759400 0	40.75	1661563 0	97837 0	1759400 0	40.75	0
टीओटल पब्लिक शेयरहोल्डिंग (बी)=(बी)(1)+(बी)(2)	1660363 0	99037 0	1759400 0	40.75	1661563 0	97837 0	1759400 0	40.75	0
सी. जीडीआर और एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जीरेंड टोटल (ए+बी+सी)	4218962 3	99037 7	4318000 0	100	4220162 3	97837 7	4318000 0	100	0

प्रमोटरों की शेयरधारिता

अ नु क्र	शेयरधारक का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए शेयरों का%/कुल शेयरों के लिए भारगस्त	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए शेयरों का%/कुल शेयरों के लिए भारगस्त	वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में % परिवर्तन
1	भारत के राष्ट्रपति	25585 993	59.25	0	25585 993	59.25	0	0
2	सीए शिवमन	1	0	0	1	0	0	0
3	एमएस दयाल अतिरिक्त. सचिव	1	0	0	1	0	0	0
4	डॉ. एस. रामचंद्रन	1	0	0	1	0	0	0
5	डॉक्टर वी.आर. कल्याणरामन	1	0	0	1	0	0	0
6	डॉ (श्रीमती) मंजू शर्मा सलाहकार	1	0	0	1	0	0	0
7	डॉ. पी. दास गुप्ता	1	0	0	1	0	0	0
8	एसबी कृष्णन, संयुक्त सचिव	1	0	0	1	0	0	0
	टीओटल	25586 000	59.25	0	25586 000	59.25	0	0

ii. सीप्रवर्तकों की शेयरधारिता में कमी (यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो कृपया निर्दिष्ट करें):- सरकार होने के नाते। कंपनी के शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम पर हैं।

V. मैक्रणग्रस्तता

मैबकाया/उपार्जित लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता: - शून्य

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक

वर्ष 2021-22 के दौरान उपरोक्त के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं था

बी. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक:

वर्ष 2021-22 के दौरान निदेशकों को बैठक शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक नहीं था

सी. प्रबंध निदेशक / प्रबंधक / डब्ल्यूटीडी के अलावा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को पारिश्रमिक

क्र. ना।	का विवरण पारिश्रमिकराशन	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
		सीईओ	कंपनी सेक्रेटरी	सीएफओ	टीओटाल
1.	जीरॉस वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (बी) धारा 17(2) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अनुलाभों का मूल्य (ग) धारा 17(3) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वेतन के बदले लाभ	ना	केन्द्रीय महंगाई भत्ता (सीडीए) पैटर्न स्तर 12 के लिए 7वें सीपीसी के लिए लागू सरकारी नियम के अनुसार।	ना	
2.	अनुसूचित जनजातिओके विकल्प	ना	शून्य	शून्य	
3.	एसवेट इक्विटी	ना	शून्य	शून्य	
4.	आयोग - लाभ के% के रूप में - अन्य (निर्दिष्ट करें...	ना	शून्य	शून्य	
5.	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें				
	टीओटाल				

VII. दंड/दंड/अपराधों का कंपाउंडिंग: शून्य



भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन - L24232UP1989GOI010542 (भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय: विल.चोल, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश-पिन 203203

उपस्थिति पर्ची

33वीं वार्षिक आम बैठक

रेग। फोलियो/डीपी और ग्राहक संख्या:..... धारित शेयरों की संख्या:.....

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं कंपनी के पंजीकृत शेयरधारक के लिए एक पंजीकृत शेयरधारक/प्रॉक्सी हूँ। मैं इसके द्वारा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में 30 सितंबर, 2022 को पूर्वाह्न 11.30 बजे होने वाली कंपनी की 33वीं वार्षिक आम बैठक में और उसके किसी भी स्थगन पर अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ।

सदस्य का नाम:

सदस्य/प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी का नाम :

नोट: 1. कृपया इस उपस्थिति पर्ची को भरें और इसे हॉल के प्रवेश द्वार पर सौंप दें।

2. सदस्यों/प्रॉक्सी धारकों/अधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक में भाग लेने के लिए अपना फोटो पहचान पत्र दिखाएं।

3. कॉर्पोरेट सदस्य(सदस्यों) के अधिकृत प्रतिनिधि उनके पक्ष में जारी उचित प्राधिकार प्रस्तुत करेंगे।

फॉर्म नंबर एमजीटी -11



भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन - L24232UP1989GOI010542 (भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय: विल.चौल, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश-पिन 203203

छद्म प्रारूप

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार)

सदस्य (सदस्यों) का नाम:

पंजीकृत पता:

ई मेल आईडी: फोलियो नंबर / क्लाइंट आईडी: डीपी आईडी:।

मैं/हम, उपरोक्त नामित कंपनी के शेयरों को धारण करने वाले सदस्य होने के नाते, एतद्वारा नियुक्त करते हैं

1. नाम पता:

.....इ। मेल आईडी: हस्ताक्षर या उसे विफल करना

2. नाम पता:

.....इ। मेल आईडी: हस्ताक्षर या उसे विफल करना

3. नाम पता:

.....इ। मेल आईडी: हस्ताक्षर।

शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 को पूर्वाह्न 11.30 बजे पंजीकृत कार्यालय में होने वाली कंपनी की 33वीं वार्षिक आम बैठक में मेरे/हमारे और मेरी/हमारी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए मेरे/हमारे प्रतिनिधि के रूप में कंपनी के और उसके किसी भी स्थान पर ऐसे प्रस्तावों के संबंध में जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

क्रमांक	प्रस्तावों साधारण व्यवसाय	वैकल्पिक	
1	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को अपनाने के लिए	के लिये	के खिलाफ
2	लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और उनका पारिश्रमिक तय करना		

इस पर हस्ताक्षर किए2022

प्रॉक्सी धारक(धारकों) के हस्ताक्षर

राजस्व स्टाम्प
लगाएं

शेयरधारक के हस्ताक्षर

- नोट: 1. प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी का यह फॉर्म विधिवत रूप से पूरा किया जाना चाहिए और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले जमा किया जाना चाहिए।
2. बॉक्स में दर्शाए गए प्रस्तावों के सामने उपयुक्त कॉलम में "X" लगाना वैकल्पिक है। यदि आप किसी या सभी प्रस्तावों के सामने 'के लिए' या 'अगेंस्ट' कॉलम खाली छोड़ देते हैं, तो आपका प्रॉक्सी उस तरीके से वोट करने का हकदार होगा जैसा वह उचित समझे।
3. कृपया जमा करने से पहले उपरोक्त बॉक्स में सदस्य (सदस्यों) के विवरण सहित सभी विवरण भरें।